

इतिहास और नागरिक शास्त्र

छठी कक्षा के लिये पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की अनुमति से ऑक्सफोर्ड एण्ड आई०बी०एच० पब्लिशिंग कम्पनी ने जून 1977 में प्रकाशित किया था। बाद के सभी संस्करण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित।

प्रथम संस्करण

जून 1977

ज्येष्ठ 1899

पुनर्मुद्रण

मार्च 1979

फाल्गुन 1900

जून 1980

ज्येष्ठ 1902

P.D. 32 T.

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1977

रु० 4.45

प्रकाशन विभाग में, श्री विनोद कुमार पंडित, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा जयप्रिंट पैक (प्रा०) लि० नई दिल्ली 110015 में मुद्रित।

प्रस्तावना

10+2+3 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था के आवश्यक तत्व केवल उसकी संरचना में ही निहित नहीं हैं, अपितु शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबंधित करने के लिए नवीन उद्देश्यों एवं दृष्टिकोणों से भी अभिप्रेरित है। इसके लिए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना का कार्य प्रारंभ किया गया और 1975 में राष्ट्रीय-स्तर पर पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई। इस प्रारूप के आधार पर विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों के लिए विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में मानवता, धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों के उन्नयन पर बल देना चाहिए।

माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का उत्तरदायित्व एक समिति को सौंपा गया है, जिसके अध्यक्ष डा० वीर बहादुर सिंह हैं तथा डा० मु० अनस, कृ० अहिल्या चारी, प्रो० सत्य भूषण, प्रो० भा० स० पारख, डा० दि० सी० मुले तथा श्री अजुंन देव इसके सदस्य हैं।

इस समिति के मतानुसार प्रो० रोमिला थापर द्वारा लिखित तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित 'प्राचीन भारत' में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में दिए गए इतिहास के अंश का बहुत ही उपयुक्त रूप से निर्वाह किया गया है। यह पुस्तक एक विशिष्ट संपादन मंडल के तत्वावधान में तैयार की गई, जिसके अध्यक्ष प्रो० एस० गोपाल थे और प्रो० एस० नूरुल हसन, प्रो० सतीशचन्द्र तथा प्रो० रोमिला थापर इसके सदस्य थे। प्रो० थापर ने आवश्यकतानुसार इस संस्करण की विषय सामग्री में अपेक्षित संशोधन किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के श्री एस० एच० खान ने इसके प्रश्न-अभ्यासों में संशोधन

किया है। डा० शिवकुमार सैनी ने प्रेस कापी तैयार करने में बहुत ही सहायता की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है।

इस पुस्तक के नागरिक शास्त्र संबंधी भाग को सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के डा० दि० सी० मुले एवं श्री अमीचन्द शर्मा ने सामाजिक विज्ञान संपादन मंडल के निर्देशन में तैयार किया है। इस पुस्तक के चित्र श्री चन्द्रकुमार वाजपेयी के निर्देशन में श्री केशव वाघ तथा कु० रंजना वाजपेयी ने बनाए हैं। मैं इस योगदान के लिए इन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। संपादन मंडल के अध्यक्ष डा० वीर बहादुर सिंह के प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में अमूल्य सहयोग दिया।

इस पुस्तक के बारे में पाठकों के सुझाव एवं समीक्षाएँ प्राप्त कर परिषद् आभारी होगी। उनके प्रकाश में ही हम पुस्तक का संशोधित संस्करण निकाल पाएँगे।

नई दिल्ली
4 मार्च, 1977

रईस अहमद
निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

इतिहास

प्राचीन भारत

रोमिला थापर

संपादन मंडल

प्रधान संपादक

डा० एस० गोपाल

संपादक

डा० एस० नूरुल हसन

डा० सतीशचंद्र

डा० रोमिला पापर

सचिव

डा० किरण मैत्रा

चित्रकार

चंद्रप्रकाश टंडन, केशव वाघ, मनोरंजन ठाकुर

प्राचीन भारत का प्रथम संस्करण परिषद् द्वारा मई 1969 में प्रकाशित किया गया। इसका पुनर्मुद्रण सितंबर 1969 और जून 1970 में और इसका संशोधित संस्करण अक्टूबर 1971 में प्रकाशित हुआ और पुनर्मुद्रण मई 1973 और जून 1975 में किया गया।

प्राक्कथन

हमारे स्कूलों की छठी कक्षा के बच्चों की इस पाठ्यपुस्तक में आदि काल से लेकर मध्य युग के प्रारंभ तक के इतिहास का उल्लेख है। सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में प्राचीन युग के अंत से लेकर वर्तमान युग के प्रारंभ तक के काल का वर्णन है और आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के इतिहास का वर्णन है। इन्हीं युगों का इतिहास अधिक ऊँचे स्तर पर क्रमशः नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में लिखा जाएगा।

भारतीय इतिहास के प्राचीन युग का अंत और मध्य युग का आरंभ कब से होता है— यह निर्णय करने के लिए केवल राजवंशीय परिवर्तनों पर ही नहीं, बरत भारतीय संस्कृति और समाज के विकास के प्रमुख चरणों पर भी ध्यान दिया गया है। महमूद गजनवी के आक्रमण अथवा दिल्ली-मलनत की स्थापना जैसी घटनाओं की अपेक्षा आठवीं शती में भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन तथा अभिनव राजनीतिक संस्थाओं का विकास अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ते हैं और इसीलिए आठवीं शती को प्राचीन युग का अन्तमान काल माना गया है। इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी में मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था बदली और उसके स्थान पर आधुनिक भारत के निर्माण का समारंभ हुआ। इस संदर्भ में केवल अंग्रेजों के आगमन की ही नहीं, बरत मुगल शासन के अंतिम चरण में होने वाले परिवर्तनों की भी समीक्षा अपेक्षित है। इन्हीं कारणों से 18वीं शती का आरंभ मध्ययुग के अन्तमान और आधुनिक युग के आरंभ की सुविधाजनक तिथि मानी गई है। इस दृष्टिकोण के कारण ही राजवंशीय इतिहास को पृष्ठभूमि में डालकर उन शक्तियों, प्रवृत्तियों तथा संस्थाओं पर विशेष जोर दिया गया है, जो भारतीय राष्ट्र के इतिहास के निर्माण में सहायक रहें हैं।

इन सभी पुस्तकों में आधुनिकतम शोध के समाविष्ट करने तथा विषय के वैज्ञानिक अनुगमन की ओर लक्ष्य रहेगा। भारतीय इतिहास के सभी पक्षों का सर्वेक्षण किया जाएगा और

भारतीय एकता तथा भारतीय संस्कृति के उस विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा जो घातक भेद-भाव तथा प्रादेशिक भावना से परे हैं। साथ ही विश्व-इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास का अनुशीलन किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि ग्यारहवीं कक्षा छोड़ते समय तक प्रत्येक बालक या बालिका को हमारे देश तथा यहाँ के निवासियों के इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

छठी कक्षा की इस पाठ्यपुस्तक को संपादन मंडल की एक सदस्या, डा० रोमिला थापर ने लिखा है। इसकी पांडुलिपि को मंडल के अन्य सदस्यों ने भी पढ़ा है और उनके विचार-विमर्श के आधार पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इसके अंतिम प्रारूप का दायित्व मंडल के सभी सदस्यों पर है।

इस पुस्तक के चारों के निर्माण हेतु हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आभारी हैं। पुस्तक में प्रयुक्त सभी फोटो भी उन्हीं से प्राप्त हुए हैं। मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के प्रकाशनों से पुनः उद्धृत किए गए हैं।

पुस्तक का हिन्दी अनुवाद डा० विश्वेश्वरदयाल शुक्ल ने किया है।

संपादक वृंद

विषय-सूची

प्रस्तावना	iii
प्राक्कथन	ix
भूमिका—भारतीय इतिहास का अध्ययन	1
अध्याय 1—आदि मानव	7
अध्याय 2—नगर जीवन का आरंभ	23
अध्याय 3—वैदिक युग का जीवन	37
अध्याय 4—मगध राज्य का उत्कर्ष	47
अध्याय 5—मौर्य साम्राज्य	63
अध्याय 6—उत्तर मौर्यकालीन भारत	77
अध्याय 7—गुप्त काल	93
अध्याय 8—छोटे-छोटे राज्यों का युग	109
अध्याय 9—भारत और विश्व	125
परिशिष्ट	
सहत्त्वपूर्ण तिथियाँ	137
सुप्रसिद्ध विभूतियाँ	139
तुलनात्मक तिथि-क्रम का चार्ट	142
टीका और शब्द-संग्रह	143

मणिं॥ एसा अग्रद
अद्वयनिर्दिष्टं संलि
ज्ञा॥ न॥ मगलमहाप्रा



ठाकडवियद्विसुदवं
लिया॥ अंघायगावा१६
॥ पुनसकडा॥ ठा॥ ठा॥ ठा॥

भूमिका

भारतीय इतिहास का अध्ययन

मुझे विश्वास है, तुम्हारे मन में अनेक बार यह प्रश्न उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ रहे हो। इतिहास का अध्ययन बीते हुए समय को जानने का एक ढंग है। इतिहास यह समझने का एक प्रयास है कि किस तरह और क्यों हमारे पूर्वज उस जमाने में जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें वे कैसे सुलझाते थे। अतीत से परिचित होना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम उसे भली भाँति समझ सकते हो, जो आज भ्रष्ट में हो रहा है। तभी तुम्हें अपने देश की कहानी मालूम होगी जिसका प्रारंभ अनेक शताब्दियों पहले हो चुका था। तुम उन शासन करने वाले राजाओं और राजनीतिज्ञों को तथा जनसाधारण को जान सकोगे जिनके कारण इस कहानी का जन्म हुआ। तुम्हें यह भी ज्ञात हो सकेगा कि जो भाषा तुम बोलते हो वह क्यों बोल रहे हो।

इसके अतिरिक्त अतीत के अध्ययन से एक आनंद प्राप्त होता है। एक तरह से यह 'गड़े हुए खजाने' की खोज का खेल है। सभी प्रकार के स्थानों में छिपे हुए संकेत मिलते हैं और जब तुम्हें एक संकेत मिल जाता है तो उससे दूसरे संकेत का पता लग जाता है और धीरे-धीरे, एक-एक करके, तुम्हारे हाथ वह 'खजाना' आ जाता है। यहाँ खजाने का मतलब इस बात की जानकारी से है कि तुम्हारे जन्म लेने से बहुत पहले दुनिया में और तुम्हारे देश में क्या हो रहा था।

भारत का अतीत बहुत लंबा है। यह कई हजार वर्ष पुराना है। इसकी जानकारी का आधार वह सबूत है जिसे हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं। निकट अतीत के लिए

हमारे पास लिखित और छपे हुए अभिलेख हैं। उस युग के लिए, जब छपाई का ज्ञान नहीं था, हमारे पास कागज पर हाथ से लिखे हुए अभिलेख मौजूद हैं। परंतु उससे भी प्राचीन युग में जब कागज नहीं बना था, अभिलेख सूखे ताड़ के पत्तों, भोज-पत्तों और तांबे की पट्टियों पर लिखे जाते थे और कभी-कभी बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थर की दीवारों या ईंट की बनी छोटी-छोटी पट्टियों पर खोदे जाते थे। इसके भी बहुत पहले का एक समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन का ज्ञान हमें उन पदार्थों से होता है जिन्हें वे छोड़ गए हैं, जैसे, उनके मिट्टी के बर्तन, हथियार तथा औजार। ये वस्तुएँ ठोस हैं, इन्हें तुम देख या छू सकते हो। इन्हें कभी-कभी सचमुच धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये सभी ऐतिहासिक 'गड़े हुए खजाने' की खोज के खेल के संकेत हैं।

संकेत अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली हस्त-लिपियाँ हैं। हस्तलिपियाँ प्राचीन पोथियाँ हैं जो या तो सूखे ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं अथवा भोजपत्र की बारीक छाल या कागज पर (प्रायः कागज पर लिखी हुई हस्त-लिपियाँ अधिक मिलती हैं, यद्यपि कागज पर लिखी पुस्तकें उतनी पुरानी नहीं हैं जितनी कि दूसरी)। जिन भाषाओं में बहुत पुरानी पुस्तकें मिलती हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें अब हम भारत में प्रयोग में नहीं लाते जैसे पालि और प्राकृत। कुछ पुस्तकें संस्कृत और अरबी में हैं जिनका हम आज भी अध्ययन करते हैं और धार्मिक संस्कारों में प्रयोग करते हैं, यद्यपि घर पर बोल-चाल में उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। कुछ तमिल भाषा में भी लिखी मिलती हैं। तमिल भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है और उसका साहित्य काफी पुराना है। ये सब शास्त्रीय भाषाएँ कहलाती हैं। विश्व के अनेक भागों का इतिहास विविध शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। यूरोप में प्राचीन काल में पुस्तकें प्रायः ग्रीक तथा लैटिन भाषा में लिखी जाती थीं। पश्चिम एशिया में अरबी तथा हिब्रू भाषा का और चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था।

भारत की हस्तलिखित पुस्तकों की लिपियाँ देश की आधुनिक लिपियों से मिलती-जुलती हैं। उदाहरण के लिए तुम संभवतः उस लिपि को पढ़ सकते हो जिसमें संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध हैं—यह देवनागरी लिपि है। हायनाकि जो उसमें लिखा

हुआ है, तुम उसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं समझ सकते। परंतु दो हजार वर्ष पूर्व की लिखावट भिन्न है और उसे पढ़ने के लिए तुम्हें विशेष प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होगी। यह अति प्राचीन लिखावट अधिक हस्तलिखित पोथियों में नहीं मिलती, ज्यादातर शिलालेखों में ही मिलती है। पत्थर अथवा धातु या ईंट पर जो लेख खोदा जाता है, शिलालेख कहलाता है। इस प्रकार के अनेक शिलालेख समूचे भारत में अनेक भाषाओं में मिले हैं। ये सारे संकेत अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़-बटोरने में सहायक होते हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख शिलालेखों, स्तंभों, ईंटों, इमारतों तथा धातु के पत्रों पर पाए जाते हैं।

भारत के प्राचीन इतिहास का बहुत कुछ अंश उस साक्ष्य पर आधारित है जो पुरातत्त्व विज्ञान से प्राप्त हुआ है। पुरातत्त्व विज्ञान का अर्थ है पुराने समय के अवशेषों का अध्ययन। इसमें स्मारक अथवा इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु के बने औजार, आकृतियाँ, मूर्तियाँ तथा अनेक प्रकार की दूसरी वस्तुएँ शामिल हैं जिनका प्रयोग अनेक सदियों पूर्व लोग अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। कुछ बहुत पुराने नगर और गाँव या तो उजड़ गए या नष्ट हो गए और उनकी इमारतें धरती के भीतर समा गईं। उनको खोदकर निकाला जाता है। परंतु कुछ भवन आज भी खड़े हैं (जैसे मंदिर) और उनके उद्वहन की जरूरत नहीं है।

पुरातत्त्व से प्राप्त संकेतों की सहायता से हमने हजारों वर्ष पूर्व के भारत में स्त्री-पुरुषों के रहन-सहन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उनके जीवन की उस अवस्था को आदिम या प्राकृतिक कहा जाता है क्योंकि जीवन-निर्वाह के लिए वे अधिकतर प्रकृति पर निर्भर थे। न उनका भोजन पकाया जाता था, न उनके कपड़े सिले होते थे और न उनका घर-द्वार होता था। इस हालत में रहने वाले मनुष्य 'भोजन-संग्रहीक' (भोजन इकट्ठा करने वाले) कहलाते हैं। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे वे अपने चारों ओर के पौधों और पशुओं के विषय में अधिकाधिक जानते गए और जैसे-जैसे उनके औजारों और कार्य करने के ढंग में सुधार होता गया, वैसे-वैसे उनके जीवन में सुविधाएँ बढ़ती गईं। अंत में जाकर वे पौधे उगाने और पशु पालने के तरीके सीख गए। मानव के विकास की इस अवस्था को 'भोजन-उत्पादक' (भोजन पैदा करने वाले) की अवस्था

कुछ भारतीय लिपियाँ

अशोक कालीन ब्राह्मी
ई. पू. तीसरी शताब्दी

𑀘𑀓𑀡𑀭𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺 𑀅𑀲𑀺𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺

गुप्त-वाकाटक ब्राह्मी
चौथी-पाँचवी शताब्दी

𑀘𑀓𑀡𑀭𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺

मध्य एशिया की प्रवाही
ब्राह्मी
पाँचवीं-छठी शताब्दी

𑀘𑀓𑀡𑀭𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺

शारदा

𑀘𑀓𑀡𑀭𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺

वट्टेलुनु
आठवीं शताब्दी

𑀘𑀓𑀡𑀭𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺

तमिल ग्रंथ
दसवीं शताब्दी

𑀘𑀓𑀡𑀭𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺𑀶𑀢𑀺

तमिल

பாரதம் ஒரு பெரிய தேசம்

उड़िया

ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ଅଟେ

बँगला

ভারত এক মহান দেশ

गुजराती

ભારત એક મહાન દેશ છે

देवनागरी

भारत एक महान देश है

तिब्बती

མཁའ་ལ་ཕ་ལམ་ལོ་ལ་ལྷན་པོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་

कहा जाता है। शीघ्र ही इनके जीवनस्तर में अधिक विकास हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। यही नहीं, उन्हें अवकाश का समय भी मिलने लगा, जिसमें वे चिन्तन करते और साहित्य की रचना करते तथा अपने रहन-सहन के तरीकों में सुधार करते थे।



आदि मानव

(क) खानाबदोश मनुष्य

आदिम मनुष्य को सभ्य बनने में लाखों वर्ष लग गए। 'भोजन-संग्रहीक' से 'भोजन-उत्पादक' बनने में मनुष्य को लगभग 300,000 वर्ष लग गए। परंतु एक बार भोजन-उत्पादक बन जाने के बाद मनुष्य ने बड़ी शीघ्रता से उन्नति की। मनुष्य का जितना अधिक अधिकार अपने चारों ओर की वस्तुओं पर होता है उतनी ही शीघ्रता से वह प्रगति करता है।

प्रारंभ में मनुष्य भ्रमणशील थे और वे झुंड बनाकर भोजन तथा आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। एक झुंड में प्रायः कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे जो एक साथ रहते थे क्योंकि अकेले रहने से समूह में रहना अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छा था। उन दिनों का जीवन, सचमुच, बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग वृक्षों के फल-फूल खाते थे और जो पशु मिल जाते उनका शिकार करते थे। वे शाक-भाजी या अन्न उपजाना नहीं जानते थे। अतः जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी चीजों को खाकर समाप्त कर देते, तो उन्हें भोजन की खोज में दूसरे स्थान को जाना पड़ता था।

जहाँ कहीं गुफाएँ मिल जातीं, मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे अथवा वे बड़े-बड़े वृक्षों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच हल्की छाया का प्रबंध कर लेते थे। उन्हें दो चीजों का भय रहता था—मौसम तथा जंगली जानवरों का। आदि मानव यह नहीं जानता था कि मेघों का गर्जन अथवा बिजली कैसे पैदा होती है, और जब किसी वस्तु का कारण

ज्ञान नहीं हाता है तो उस वस्तु से भय लगा करता है। भयानक पशु जैसे बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जंगलों में घूमते-फिरते थे (और भारत उन दिनों वनों से ढका हुआ था)। इन पशुओं की तुलना में मनुष्य दुर्बल था और गुफाओं में वृक्षों पर अपने आप को छिपाकर अथवा अपने भोंडे हथियारों से उनको मारकर आत्मरक्षा करता था। परंतु पशुओं से बचाव का सर्वोत्तम साधन अग्नि थी।

रात को गुफा के भीतर प्रत्येक प्राणी झुंड में बैठा होता, गुफा के द्वार पर आग जला करती थी और इससे जंगली पशु गुफा में प्रवेश करने से डर जाते थे। जाड़े की ठंडी तथा तूफानी रातों में आग ही उनके आराम और रक्षा का साधन थी। आग की खोज संयोग से हुई। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने से एक चिनगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उसमें आग की लपट फूट निकली। आदिम मनुष्य के लिए आग आश्चर्य की वस्तु थी, परंतु आगे चलकर उसका अनेक प्रकार से प्रयोग होने लगा और उससे मनुष्य के रहन-सहन के ढंग में बहुत से सुधार हुए। इस प्रकार आग की खोज से मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया और इसलिए हम इसको एक महान खोज कह सकते हैं।

औजार और हथियार

चकमक एक प्रकार का पत्थर होता है। आग पैदा करने के अतिरिक्त दूसरे कामों में भी उसका प्रयोग होता था। चकमक कठोर होता है, लेकिन आसानी से इसके चिप्पड़ (टुकड़े) हो जाते हैं और उन चिप्पड़ों को तरह-तरह का रूप व आकार दिया जा सकता है। चकमक दूसरे प्रकार के पत्थरों के साथ औजार और हथियार बनाने में भी काम में लाया जाता था। इनमें से कुछ पंजाब में सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। कश्मीर की घाटी जैसे कुछ स्थानों में पशुओं की हड्डियाँ भी हथियारों की तरह प्रयोग की जाती थीं। पत्थर के बड़े टुकड़ों से, जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे, घन, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना बेंट या मूठ की कुल्हाड़ियाँ ही वृक्ष आदि की डालियाँ काटने के काम में लाई जाती थीं। आगे चल कर उसे डंडे में कसा जाने लगा जिससे उनके प्रयोग में आसानी हो गई। औजारों के प्रयोग से मनुष्य को बड़ा लाभ

हुआ। इनके द्वारा वह पेड़ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर की शकल बदलने में समर्थ हो गया।


पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े, जो बड़े-बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से प्रयोग में लाये जाते थे कि पत्थर में धार आ जाती थी और तब इन टुकड़ों का बारीक काम के लिए चाक या खुरचने वाले औजार के रूप में प्रयोग होता था या इन्हें नोकदार बनाकर तीर या बछी में बांध दिया जाता था। आदिम मानव बहुधा नदी या झरने के किनारे रहता था जिससे उसे पानी मिलने की सुविधा रहे। यदि तुम हिमालय की तराई में, नदियों की घाटियों में अथवा दक्खिन के पठार के कुछ भागों, जैसे नर्मदा की घाटी में घूमो और गौर से जमीन की तरफ देखो, तो कभी इन पत्थर के औजारों में से एक-आध तुम्हारे हाथ लग सकता है !

कपड़े

आदिम मनुष्य को कपड़ों के बारे में अधिक कठिनाई नहीं थी। जब गर्मी का मौसम होता, कपड़ों की जरूरत ही न पड़ती थी। जब पानी बरसता या ठंडक होती, तब मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल या बड़े-बड़े पत्ते कपड़ों के रूप में काम में लाये जाते थे। एक या दो मृगचर्म शरीर के चारों ओर लपेटना शरीर को गर्म रखने के लिए काफी था।

(ख) स्थिर जीवन का प्रारंभ

धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यों मनुष्य को अपने चारों ओर की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, त्यों-त्यों अधिक सुखदायक ढंग से जीवन बिताने की उसकी इच्छा बढ़ती गई। अनेक खोजों के फलस्वरूप जीवन बिताने के ढंग में परिवर्तन हो गया। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज यह थी कि मनुष्य पौधे और अन्न उपजा सकता था। उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगेंगे। यहीं से खेती की शुरुआत हुई। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि आदिम मानव को अब भोजन की



मनुष्य द्वारा भोजन-संग्रह की अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले
शुद्ध तथा पथार

मानव के प्रारंभिक इतिहास की अनेक शताब्दियों के लिए हमें लिखित अभिलेख नहीं मिलते। इस प्रागैतिहासिक काल के एकमात्र ज्ञात अवशेष पत्थर के वे भग्नेय औजार हैं, जिन्हें शिकार आदि कार्यों के लिए मनुष्य ने बनाया और इस्तेमाल किया। बहुधा ये औजार नदियों की वेदिकाओं में मिलते हैं जहाँ प्राचीन मानव जंगली शिकार की खोज में घूमता-फिरता था, अथवा उन गुफाओं तथा चट्टानों से बने घरों में प्राप्त होते हैं, जहाँ वह रहा करता था। इस युग को, जब पत्थर ही सब कामों के लिए उपयोगी पदार्थ था, पाषाण-युग कहते हैं। युग में काफ़ी लंबे अर्से तक मनुष्य मूलतः 'भोजन-संग्रहीक' ही बना रहा। भोजन की पूर्ति के लिए वह करीब-करीब पूरे तौर से प्रकृति के ही सहारे रहता था। उसके प्रारंभिक औजारों से अनेक काम निकलते थे, जैसे मरे हुए पशुओं की खाल निकालना, उनका मांस काटना तथा हड्डियाँ तोड़ना आदि। अनुभव के द्वारा उसने यह सीखा कि पत्थर को किस प्रकार ठीक-ठीक काटा जाता है और उससे खास ज़रूरतों के लिए किस प्रकार औजार बनाए जाते हैं। औजारों की तीन अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, जो मानव-प्रगति को तदनुसार तीन विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराती हैं।

- 1-3. आदि पाषाण-युगीन औजार : 1. कंकड़ का औजार जो छोटे-छोटे टुकड़े काटने के काम में आता था और जो कंकड़ के एक भाग से काटकर इस प्रकार बनाया जाता था कि उसके किनारे में काटने वाली धार आ जाए; 2. हाथ की कुल्हाड़ी : सब कामों में आने वाला औजार जो भाकार में नाशपाती की तरह होता था और जिसके दोनों ओर लंबी धार होती थी; 3. भेदने या फाड़ने वाला औजार जिसमें खजानी की शकल की चौड़ी धार होती थी।
- 4-7. मध्य पाषाण-युगीन औजार : छेद करने वाला, तीर की नोक, खुरचने वाला औजार आदि।
- 8-12. उत्तर पाषाण-युगीन औजार : नोकदार, चंद्राकार फाल और खुरचने वाला औजार आदि। इसमें से कुछ द्रुतगामी पशुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस अवस्था में भोजन-संग्रह करने की एक विशिष्ट दक्षता की ओर बढ़ने वाली स्थिति की झलक मिलती है, जिससे आगे चलकर पोषे उगाने की प्रारंभिक अवस्था का विकास हुआ।

तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत न रही। उसका भ्रमणशील जीवन समाप्त हो गया और उसने खेतिहर के रूप में एक स्थान पर निश्चित रूप से रहना शुरू किया। मानव-जीवन की पद्धति में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए। परन्तु हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से चार या पाँच हजार वर्ष पूर्व हुए।

पशु-पालन

अन्य आकर्षक खोज यह थी कि मनुष्य को पता चल गया कि वन के कुछ पशु पाले भी जा सकते हैं अर्थात् वह अपने काम के लिए उनका उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए जंगली बकरे और बकरियाँ केवल मारे जा सकते थे और उनका मांस खाया जा सकता था। परन्तु पालतू बकरियाँ प्रतिदिन दूध दे सकती थीं, उनसे और बकरियाँ पैदा की जा सकती थीं, जिनमें से कुछ खाई भी जा सकती थीं। अब शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत न रही। कुत्ते का पालना भी मनुष्य को लाभदायक सिद्ध हुआ। हल जोतने और गाड़ी खींचने के लिए भी पशु काम में लाए जा सकते थे और वे इस प्रकार मनुष्य की सहायता कर सकते थे।

धातुओं की खोज

जब आदिम मनुष्य एक स्थान पर स्थिर रूप से रहने और अन्न उपजाने लगा तो उसे पेड़ और झाड़ियाँ काटकर ज़मीन को साफ़ करना पड़ा। इस काम में पिछली दो खोजों से बड़ी मदद मिली। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ वृक्ष और झाड़ियाँ काटने के काम में आईं और बाद में ठूँठ जला दिए जाने पर ज़मीन साफ़ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना कठिन काम था। परन्तु भाग्य से एक अन्य खोज से पेड़ गिराना अधिक सरल हो गया। यह धातुओं की खोज थी। पहले ताँबे की खोज हुई। बाद में ताँबा दूसरी धातुओं में मिलाया जाने लगा, जैसे, राँगा या जस्ता और सीसा। इन्हें मिलाकर एक नई धातु या धातु मिश्रण बनाया गया जो काँसा कहलाया। यह सब कैसे शुरू हुआ, कच्ची धातु का पिण्ड पिघलाकर किस प्रकार धातु खोज निकाली गई, यह हमें ज्ञात नहीं है। धातु के बने हुए चाकू और कुल्हाड़ियाँ पत्थर


के औजारों की अपेक्षा अधिक पैनी और अच्छा काम देने वाली सिद्ध हुईं। वह युग जिसमें मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर का समय या पाषाण-युग कहलाता है (इसमें पुराना पत्थर का समय या पूर्व पाषाण-युग और नया पत्थर का समय या उत्तर पाषाण-युग शामिल हैं)। जिस युग में मनुष्य ने छोटे-छोटे पत्थर के औजारों के साथ-साथ धातु का प्रयोग करना आरम्भ किया वह ताम्र-युग या कांस्य-युग (या ताम्र-पाषाण-युग) कहलाता है। भारत में कई स्थल हैं जहाँ ताँबे या काँसे की कुल्हाड़ियाँ तथा चाकू पाए गए हैं। उनमें से कुछ स्थान हैं—ब्रह्मगिरि (मैसूर के निकट) और नाव्दा-टोली (नर्मदा के तट पर)।

चक्र

एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज चक्र यम पहिए की थी। यह मालूम नहीं कि इसकी खोज किसने और कहाँ पर की थी, परन्तु इसकी खोज के फलस्वरूप रहन-सहन की प्रणाली में बड़ी उन्नति हुई। आज भी चक्र की आवश्यकता है, चाहे वह हाथ की घड़ी जैसी किसी छोटी वस्तु के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी किसी बड़ी वस्तु के लिए। चक्र के आविष्कार ने कई प्रकार से जीवन को अत्यधिक सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए चक्र के प्रयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए या तो पैदल जाता था या किसी जानवर की पीठ पर। अब वह गाड़ी बना सकता था जिसे जानवर खींचता था और जिसमें एक से अधिक लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते थे। चक्र के द्वारा भारी-भरकम चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती थीं, जो पहले संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त चक्र के प्रयोग ने मिटटी के बर्तन बनाने की कला में सुधार किया।

प्रारम्भिक गाँव

अब आदि मानव अधिक सभ्य जीवन के लिए तैयार थे। इधर-उधर घूमने वाले जन-समूह अब एक जगह बस गए। इससे गाँव बन गया। वहाँ उन्होंने अपने लिए झोंपड़ियाँ बना लीं और चावल या गेहूँ उगाने लगे और बकरियाँ तथा दूसरे पशु पालने लगे। ये सबसे प्रारम्भिक ग्राम या ग्राम-समुदाय थे। वे समस्त भारतवर्ष में पाये जाते थे, पर



सोजत-उत्पादन की अवस्था में मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए गए औजार तथा पदार्थ

नव पाषाण-युग अथवा 'भोजन-उत्पादन की अवस्था' वह युग था जब मनुष्य के जीवन का ढंग ही पूरी तरह बदल गया था। इसके पहले मानव-जीवन पशुओं के शिकार तथा जंगली पौधों के संग्रह पर आश्रित था। जीवन की नवीन गतिविधि में मनुष्य ने पशु पालना और खेती करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले शायद कुत्ता, बकरी और भेड़ का पालना आरंभ हुआ। पौधों में गेहूँ और जौ सबसे पहले उगाए गए। इस कार्य के लिए मनुष्य को किन्हीं चुने हुए क्षेत्रों में बस्ती बसाना पड़ी। इसी के सहारे आगे चल कर गाँवों और खेती से संबंधित समुदायों का विकास हुआ। उसे कुछ ऐसे औजारों की जरूरत पड़ी जिनसे वह ज़मीन साफ़ कर सके। उसे बर्तनों की आवश्यकता हुई, जिनमें वह बचे हुए अन्न अथवा द्रव पदार्थों को जमा कर सके। इसके लिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाए। सबसे पहले के बर्तन गोल टोकरियों के इर्दगिर्द मिट्टी का लेप लगाकर बनाए गए। आगे चलकर टोकरियों का प्रयोग किए बिना ही बर्तन बनाए जाने लगे।

सामने वाले पन्न पर कुछ औजार और पदार्थ दिखाये गए हैं जिन्हें मनुष्य 'भोजन-उत्पादन की अवस्था' में काम में लाता था और जो भारत के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं।

1. एक वज्रदार लाठी या डंडा जो ज़मीन खोदने के काम में लाया जाता था। इस औजार में पत्थर की मूठ और लकड़ी का डंडा होता था, जो नीचे की ओर नुकीला होता था।
 2. फसल काटने का हँसिया : यह औजार कई छोटे-छोटे पत्थर के फालों को मिलाकर बनाया जाता था जिसमें लकड़ी की मूठ लगी होती थी।
 3. कुल्हाड़ी : इसका प्रयोग वृक्ष काटने और गिराने के काम में होता था। यह औजार कठोर पत्थर का बना होता था। इसको पतला करके और घिसकर धार बनाई जाती थीं। इसके बाद इसमें लकड़ी की बेंट लगाई जाती थी।
 4. हाथ की चक्की और ओखली : अनाज पीसने और कूटने के काम में आती थी।
- 5-8. तरह-तरह के मिट्टी के बर्तन : एक प्याले के पेंदे में चटाई के काम के चिह्न दिखाई पड़ते हैं।

अधिकतर वे नदी की घाटियों तथा समतल मैदानों में मिलते थे जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ होती थी और जहाँ फसल उगाना अधिक आसान था। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इन गाँवों के बहुत-से अवशेषों को ढूँढ़ लिया है और इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि आदिम मनुष्य किस तरह जीवन बिताते थे।

गाँव छोटे होते थे और झोंपड़े एक दूसरे से सटे रहते थे। एक दूसरे से सटकर रहने से जंगली जानवरों से गाँव की रक्षा करना अधिक सरल होता था। झोंपड़ों का क्षेत्र संभवतः मिट्टी की दीवार या किसी काँटेदार झाड़ी के घेरे से चारों ओर से घिरा होता था। खेत घेरे के बाहर होते थे। खेतों की अपेक्षा गाँव की भूमि कुछ ऊँचाई पर होती थी। झोंपड़े, फूस के छप्परों से ढके जाते थे और आम तौर पर वे एक-एक कमरे के ही होते थे। बाँसों की ठटरी बनाकर उस पर डालियाँ और फूस बिछाया जाता था। झोंपड़ी में आग जलाई जाती थी, जिसपर खाना पकाया जाता था और जिसके चारों ओर रात को सारा कुटुंब सोता था।

अब भोजन पकाकर खाया जाता था, कच्चा नहीं। आग के ऊपर मांस भून लिया जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। बचा हुआ अन्न बड़े-बड़े घड़ों में रख दिया जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत होती थी। वे पहले मिट्टी के बनाए जाते थे और बाद में धातु के बनाये जाने लगे। प्रारंभ में मिट्टी के बर्तन स्त्रियाँ बनाती थीं जो मिट्टी को गोल घड़े, प्याले और तश्तरियों से मिलते-जुलते आकारों में ढाल देती थीं; ये बर्तन धूप में सुखा लिए जाते थे। आग चलकर धूप में सुखाए गए मिट्टी के बर्तन भट्ठे या आवे में पकाये जाने लगे जिसमें वे इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में रखने पर भी नहीं गलते थे। इसमें भी आगे चलकर जब चाक का प्रयोग होने लगा तो चाक पर बर्तन अधिक शीघ्रता से बनने लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गाँवों में बनाए जाते हैं। ताँबे और पत्थर के युग का कुम्हार कभी-कभी अपने बर्तनों को सुन्दर बेल-बूटों से सजाता भी था।

वस्त्र और आभूषण

ताँबे और पत्थर के युग का मनुष्य आभूषण और सज-धज का बड़ा शौकीन था।

अब जीवन जंगली जानवरों और खराब मौसम के विरुद्ध संघर्षमात्र नहीं रह गया। अब पुरुष के पास आनंद देने का अवकाश था और वह अपने और अपनी स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने लगा। स्त्रियाँ शंख और हड्डियों के आभूषण पहनती थीं और अपने बालों में बढ़िया काम वाली कंधियाँ लगाए रहती थीं। अब केवल पशुओं की खालें, बृक्षों की छालें और पत्ते मात्र ही पहनने के वस्त्र न रहे। मनुष्य ने कपास के पौधे की रूई से सूत कातने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। काम-काज से बचा हुआ समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत किया जाता था।

समाज

जब मनुष्य ने ग्राम-समुदाय में रहना प्रारंभ किया और इधर-उधर भ्रमण करना बंद कर दिया, तो वह मनमानी नहीं कर सकता था और उसके लिए आचरण के नियम बनाना आवश्यक हो गया। दूसरे कुटुंबों और समुदायों के साथ रहने का मतलब था कि गाँव में कोई कानून और व्यवस्था हो। पहला काम यह निश्चय करना था कि प्रत्येक मनुष्य का क्या काम हो। कुछ लोग खेतों में काम करने जाते थे जबकि दूसरे लोग जानवरों की देखभाल करते या झोंपड़े, औजार तथा हथियार आदि तैयार करते। कुछ स्त्रियाँ सूत कातती और कपड़ा बुनती थीं, कुछ मिट्टी के बर्तन बनातीं, खाना पकातीं या बच्चों की देखभाल करती थीं। इस बात का निर्णय कि कौन क्या करेगा, सारा गाँव मिलकर करता था। तभी गाँव में एक अगुआ या नेता की आवश्यकता हुई, जो आदेश दे सकता हो। यह मुखिया प्रायः सबसे बुद्धिमान था तथा सबसे अधिक बुद्धिमान भी समझा जाता था। कभी-कभी वह सबसे अधिक बलवान और बहादुर भी होता था।

धर्म

जीवन के कुछ ऐसे पक्ष थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। क्यों सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल निकलता और संध्या समय अस्त हो जाता है? नींद और स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। प्रतिवर्ष क्यों वे ही ऋतुएँ दृश्यात् आती-जाती हैं? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य मृत्यु से डग्वे

थे। उन्हें बिजली और भूकंप का भी भय था क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने दूसरों की अपेक्षा इन प्रश्नों पर अधिक विचार किया और उनका उत्तर ढूँढा। एक आकाश का देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की आज्ञा देता था। पृथ्वी माता के समान थी जो अपने बच्चों को फसलों और पौधों के सहारे जीवित रखती थी। और यदि यह आवश्यक समझा जाए कि सूर्य प्रत्येक सुबह को निकले और पृथ्वी फसल दे, तो आकाश के देवता और पृथ्वी माता को बलि देकर मंत्रों से पूजा की जाए। पृथ्वी देवी की मिट्टी की छोटी मूर्तियाँ मातृ रूप में बनाई जाती थीं और उनकी सर्वत्र पूजा की जाती थी। इस प्रकार कुछ मनुष्य 'चमत्कारी' हो गए जिनका यह दावा था कि वे मौसम पर काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और हानि से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का एक वर्ग तैयार हुआ जो यज्ञ करवाता और समस्त समाज की ओर से मंत्रों का गान करता था।

मृत्यु दूसरे लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कोई कभी वापस नहीं लौटता। अतएव जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे कब्र या समाधि बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। यदि कोई बच्चा मर जाता, तो उसके शव को एक बड़े पात्र या घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी-कभी समाधियों के ऊपर शिला भी रख दी जाती थी। शव के साथ बर्तन, मनका तथा अन्य ऐसी चीजें भी समाधि में रख दी जाती थीं जिन्हें गाँव वाले मरे हुए मनुष्य के लिए उसकी यात्रा में जरूरी समझते थे।

मनुष्य की संस्कृति, रहन-सहन का ढंग, और मिलने-जुलने का तरीका उस आदिम अवस्था से काफी आगे बढ़ गया था, जब मनुष्य भ्रमणशील था और हर रोज़ के लिए भोजन इकट्ठा करता था। अब उसके पास रहने का स्थायी प्रबंध था और वह अपने गाँव में काफी सुरक्षित था। वह अपनी जीवन-चर्या में उन्नति कर रहा था और काम करने के नए ढंग निकाल रहा था—ऐसे ढंग जो उसके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना सकें। लेकिन अभी उसमें एक चीज़ की कमी थी जिसके कारण वह अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने में असमर्थ था। उसे लिखना नहीं आता था। वह अपने बच्चों को सिखा तो सकता था कि किस प्रकार फसलें उगाई जाएँ और कैसे जानवर

रखे जाएँ या बर्तन बनाए जाएँ परंतु वह अपने ज्ञान को लिख नहीं सकता था। लिखने का ज्ञान आगे चलकर प्राप्त हुआ, जब शहरों का जन्म हुआ था।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. इतिहास पढ़ने का क्या उद्देश्य है ?
2. प्राचीन समय के इतिहास का अध्ययन करने के कौन-कौन से स्रोत हैं ?
3. 'पुरातत्व-विज्ञान' का क्या अर्थ है ? पुरातत्व-विज्ञान संबंधी कौन-कौन से साक्ष्य हैं ?
4. 'भोजन-संग्रहीक' एवं 'भोजन-उत्पादक' अवस्थाओं में क्या अंतर है ?
5. बहुत प्राचीन समय में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भ्रमण किया करता था ?
6. आदि मानव बादलों की गरज एवं बिजली से क्यों भयभीत होता था ?
7. आदि मानव ने आग की खोज कैसे की ?
8. आग की खोज ने आदि मानव की किस प्रकार से मदद की ?
9. आदि मानव ने कौन-कौन से और किस प्रकार के औजार बनाए ?
10. आदि मानव ने अपने औजारों का प्रयोग कौन-कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया ?
11. आदि मानव ने किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया ?
12. पशु पालन ने किस प्रकार मनुष्य की सहायता की ?
13. किन खोजों ने मनुष्य को स्थिर-जीवन व्यतीत करने में मदद की ?
14. धातुओं की खोज आदिम मनुष्य के लिए किस प्रकार महायक हुई ?
15. चक्र के आविष्कार ने जीवन को किस प्रकार अधिक सुगम और सुखमय बना दिया ?

II. 'भोजन-संग्रहीक मनुष्य' के निवास, भोजन, वस्त्र एवं औजारों का वर्णन करो।

III. ताम्र-पाषाण-युग के लोगों के जीवन अर्थात् उनके ग्राम-सोपड़ों, भोजन और धर्म का वर्णन करो। प्रत्येक का पूर्व-पाषाण युग के लोगों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करो।

IV. नीचे 'क' और 'ख' स्तंभों में दिए हुए वक्तव्यों को सही-सही एक दूसरे के सामने लिखो :

स्तंभ (क)

स्तंभ (ख)

1. हस्तलिपियाँ

1. चीजें जो खोद कर भूमि से निकाली जाती हैं।

2. अभिलेख

2. अतीत से संबंधित इमारतों जो या तो भूमि खोदने पर या खड़ी हुई मिलती हैं।

3. स्मारक

3. हाथ की लिखी प्राचीन पुस्तकें।

4. लिपि

4. पत्थर की सतह या धातु या ईंटों पर खुदा हुआ लेख।

5. पुरातत्व-संबंधी प्रमाण

5. भाषाओं के लिखने का ढंग।

V. प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द या शब्दों को चुनकर निम्नांकित वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरें :

1.को शिलाओं पर खोदा जाता था। (हस्तलिपियों, पुस्तकों, अभिलेखों)

2.भारत की प्राचीन भाषा है। (पालि, बंगला)

3. आदिम मानव ने पहले.....सीखा। (आग जलाना, पशु पालन)

4.की खोज स्थिर जीवन की शुरुआत थी।

(आग जलाने, अन्न उपजाने, पहिये बनाने)

5. ताम्र-पाषाण-युग की स्त्रियाँ.....के बने हुए आभूषण पहनती थीं। (काँसे, लोहे)

6. मनुष्य ने धातु के औजारों का प्रयोग.....किया।

(जंगल साफ करने में, बर्तन बनाने में, पशु के शिकार करने में)

VI. ताम्र-पाषाण-युग के बारे में नीचे लिखे हुए वक्तव्यों में कौन से सही हैं? प्रत्येक वक्तव्य के बाद कोष्ठक में सही या गलत लिखो :

1. मनुष्य बिना पका हुआ मांस खाते थे। ()

2. मनुष्य भ्रमणशील जीवन व्यतीत करता था। ()

3. मनुष्य स्थिर और संगठित जीवन व्यतीत करता था। ()

4. लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के काम करते थे। ()

VII. रीचक कार्य

1. अजायबघर जाकर आदिम मनुष्य के औजार देखो ।
2. इतिहास की किसी पुरानी पुस्तक से आदिम मनुष्य के औजारों के चित्र काट कर उन्हें अपनी कापी पर चिपकाओ अथवा उन औजारों के रेखाचित्र बनाओ । (अपनी पुस्तक में औजारों और हथियारों के नाम देखो ।)
3. अपनी कापी में आदिकालीन बस्ती या झोंपड़ी या गाँव का चित्र या मॉडल बनाओ ।
4. ताम्र-पाषाण युग के मनुष्यों के औजारों के चित्र बनाओ और उनका प्रयोग लिखो । वे किस प्रकार पाषाण-युग के औजारों से भिन्न थे ?



नगर जीवन का आरंभ

(क) नगर

समय के साथ-साथ कुछ छोटे गाँव बड़े होते गए। उनके निवासियों की संख्या बढ़ गई। नई ज़रूरतें पैदा हुईं और नए उद्योग-धंधे चल पड़े। इन बड़े गाँवों के लोग संपन्न थे। क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे। इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को दूसरी चीजों जैसे कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण के बदले दे सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता न रही कि प्रत्येक कुटुंब खेतों में काम करे और अपने लिए अन्न पैदा करे। जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी तैयार की हुई चीजें अन्य कुटुंबों द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न से बदल लेते थे। जैसे-जैसे व्यापार बढ़ता गया, शिल्पकार साथ-साथ रहने लगे और इस प्रकार गाँव नगर बन गए।

नगर-जीवन के आरंभ ने टेक्नोलोजी और उच्चकोटि की सभ्यता के विकास का प्रारंभ किया। सभ्यता मनुष्य के विकास की वह अवस्था है, जहाँ वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ और चाहता है। उसके पास पर्याप्त खाना है। इसलिए वह शहर में रह सकता है। उसके पास विचार करने के लिए तथा आश्चर्य-जनक जीवन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ निकालने के लिए अवकाश है। उसे लिखने का ज्ञान है इसलिए वह अपने विचारों को लिख सकता है। उसके समाज में लोग नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य तभी सभ्य बनता है जब वह अपनी बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है।


शहरों के भवन ईंट के बने होते थे, सड़कें ठिकाने से निकाली जाती थीं। नगर में सफाई रखने के लिए अच्छी नालियाँ बनीं थीं जिनसे कूड़ा-करकट बह जाता था।

यातायात तथा संपर्क के साधनों में सुधार हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई। सामाजिक जीवन अब सरल न रहा। तरह-तरह के नियमों की आवश्यकता हुई और उनको लागू करने के लिए शासन की जरूरत पड़ी। परंतु सबसे बड़ी उन्नति थी लिपि का आविष्कार जो शुरू में व्यापारियों द्वारा अपने हिसाब-किताब करने के काम में लाई जाती थी।

सबसे पहला नगर जिसकी भारत में खोज हुई सिन्धु नदी किनारे स्थित मोहन-जोदड़ो था। सिन्धु-घाटी में ऊपर आगे चलकर दूसरा प्राचीन नगर खोद निकाला गया और वह आधुनिक मांटगुमरी के निकट हड़प्पा था। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिन्धु-घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा क्योंकि ये दोनों नगर तथा इसी प्रकार की सभ्यता वाले दूसरे स्थान सिन्धु-घाटी में मिले थे। परंतु पिछले बीस वर्षों से पुरातत्त्ववेत्ता उत्तरी और पश्चिमी भारत के भागों की खुदाई करने में लगे रहे और उन्होंने दूसरे नगर ढूँढ़ निकाले जो सिन्धु-घाटी के नगरों से मिलते-जुलते हैं। इसलिए सिन्धु-घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा-संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इन नगरों का रहन-सहन हड़प्पा के रहन-सहन से मिलता-जुलता है। इन नगरों में एक चंडीगढ़ के निकट रोपड़ में, दूसरा अहमदाबाद के निकट लोथल में, तीसरा राजस्थान में कालीबंग में और चौथा सिंध में कोट दीजी में मिला है।

हड़प्पा-संस्कृति सारे सिन्ध, बलूचिस्तान, लगभग समूचे पंजाब (पूर्वी और पश्चिमी), उत्तर राजस्थान, काठियावाड़ और गुजरात में फैली हुई थी। यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूँढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना व्यापक था। यह सभ्यता कहलाती है क्योंकि यहाँ मनुष्य पूर्वकालीन युगों के लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत करते थे। नगरों के निर्माण की सुन्दर योजना थी और उनकी सुचारु रूप से देखभाल करने के लिए उच्चतम प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे और उनके पास मनोरंजन और चिंतन के लिए अवकाश था। हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे। उनकी भाषा चित्रों की तरह चिह्नों में लिखी जाती थी जो चित्रलेख कहलाते थे। दुर्भाग्य से, इतिहासकार इन चित्रलेखों (लिखावट) को अभी तक पढ़ या समझ नहीं सके हैं।

हड़प्पा-संस्कृति भारत में उस समय विकसित हुई जब एशिया और अफ्रीका के



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार 1980

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मीलकी दूरी तक है ।

दूसरे भागों में मुख्यतः नील, फ़रात (सुप्रात), दजला (तिग्रा) और हवाड हो नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यताएँ फल-फूल रही थीं। हड़प्पा-संस्कृति को आज से 4500 वर्ष पहले या जैसा कि लोग आमतौर से कहते हैं लगभग 2500 ईसवी पूर्व में, महत्त्व प्राप्त हुआ। इस समय मिस्र में फ़ैरोहों (मिस्र के राजाओं की उपाधि) की सभ्यता थी, जिन्होंने पिरामिड बनवाए। जो प्रदेश आज इराक़ के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ सभेरीय

सभ्यता थी। हड़प्पा के लोगों का सुमेर के लोगों से व्यापारिक संपर्क था। उन दिनों भारत तथा विश्व के अन्य भागों के बीच व्यापार होता था।

परिवेश

उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग (जिसमें आजकल पाकिस्तान भी शामिल है) जंगलों से ढके थे, जलवायु नम और आर्द्र थी तथा सिन्ध और राजस्थान रेगिस्तानी इलाके नहीं थे जैसा कि वे आजकल हैं। जिन पशुओं को इस प्रदेश के लोग जानते थे, वे अधिकतर जंगली थे, जैसे बाघ, हाथी, गैंडा और दरियाई घोड़ा। जंगलों से लकड़ी मिलती थी, जो उन भट्ठों में काम में लाई जाती थी, जिनमें मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थीं। लकड़ी से नावें भी बनाई जाती थीं।

नदियों के किनारे-किनारे खेत होते थे। भूमि में खेती करना आसान था, क्योंकि नदियाँ बराबर प्रतिवर्ष जमीन को बाढ़ के पानी से भर देती थीं। इसलिए बाढ़ आने के ठीक पहले बीज खेत में डाल दिया जाता था और बाढ़ से खेतों की सिंचाई हो जाती थी। पानों के बहाव को मोड़ने के लिए बाँध और नाले बनाने पड़ते थे, परंतु जटिल सिंचाई व्यवस्था की अभी जरूरत नहीं थी। जितना लोग खाते थे उससे अधिक अन्न गाँवों में पैदा होता था। फालतू अनाज नगर-निवासियों के खाने के लिए नगरों में भेज दिया जाता था और बड़े धान्यागारों या कोठारों में, जो विशेषतः अन्न रखने के लिए बनाए जाते थे, रखा जाता था।


नगर-निवासी खेत नहीं जोतते थे। वे मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन तथा विनिमय द्वारा रोजी कमाते थे। वे हाथ से चीजें बनाते थे जैसे मनके, कपड़े और गहने। इन वस्तुओं का नगरों में इस्तेमाल किया जाता था और कुछ सुदूर देशों को भेजी जाती थीं, उदाहरण के लिए इराक में सुमेर राज्य को।

नगर और उनके भवन

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बँटे थे। ऊपरी हिस्से को जो एक

टीले पर बना हुआ था, गढ़ कहा गया है। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्यागार, अधिक आवश्यक कारखाने तथा धार्मिक इमारतें थीं। नगर का दूसरा भाग नीचे का हिस्सा था जिसका विस्तार कहीं अधिक था और जहाँ लोग रहते और अपना धंधा करते थे। नगर में बाढ़ की आशंका होने पर निचले भाग के निवासी संभवतः दुर्ग में जाकर शरण लेते थे।

हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक इमारतें धान्यागारों की थीं। वे सफ़ाई से आयताकार क्षेत्र में बनी होती थीं और नदी के पास स्थित होती थीं। धान्यागार में रखने के लिए गल्ला नावों द्वारा नदी के रास्ते लाया जाता था। यह एक स्थान से दूसरे स्थान को गल्ला भेजने का सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि इसमें कम दामों में काम हो जाता था और परिश्रम भी कम करना पड़ता था। धान्यागारों का बड़ा महत्त्व था क्योंकि नगर-निवासियों का जीवन उनके भरे-पूरे रहने पर ही आश्रित था। धान्यागारों के निकट भट्ठियाँ थीं जहाँ धातुकार ताँबे, काँसे, सीसे, टिन आदि धातुओं की अनेक चीजें



मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित विशाल स्नानकुंड
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

बनाते थे। इस भाग में कुम्हार भी काम करते थे। कारखाने में काम करने वाले मजदूर एक साथ कारखाने के निकट छोटे-छोटे कमरों में रहते थे।

चहार-दीवारी से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के गढ़ में और दूसरी इमारतें भी थीं। वहाँ एक बड़ा भवन था। देखने में ऐसा जान पड़ता है कि वह या तो राजमहल या किसी शासक का मकान था। हमें ज्ञान नहीं कि हड़प्पा के निवासियों का शासक राजा होता था अथवा नागरिकों की समिति उनका शासन करती थी। निकट ही एक और इमारत है जो या तो सभा-भवन था या बाज़ार का स्थान। मोहनजोदड़ो गढ़ की सबसे प्रसिद्ध इमारत स्नानकुंड है। यह तैरने के लिए बने एक विशाल कुंड से मिलता-जुलता है पर यह किस खास उद्देश्य से बनाया गया था, यह हमें ज्ञात नहीं है।

भवन

भवनों के निर्माण से पूर्व मोहनजोदड़ो के निचले नगर की सुंदर योजना बनाई गई थी। सड़कें सीधी जाती थीं और एक दूसरे को त्रिकोण पर काटती थीं। सड़कें चौड़ी होती थीं। मुख्य सड़क की चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी जो आधुनिक नगरों की बड़ी-बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे।

भवन ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मज़बूत होती थीं। दीवारों पर पलस्तर और रंग किया जाता था। छतें चपटी होती थीं। खिड़कियाँ कम परंतु दरवाज़े अधिक होते थे। ये शायद लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहाँ पर अन्न या तेल रखने के लिए बड़े-बड़े घड़े रहते थे। रसोई के निकट ही नाली होती थी। स्नानागार मकान के एक ओर बनाए जाते थे और उनकी नालियाँ सड़क की नाली से मिली होती थीं। सड़क की नाली सड़क के किनारे-किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थीं जिससे उसे साफ़ रखा जा सके। कुछ नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थीं।

घर में एक आँगन होता था जिसमें एक ओर रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पर गृहणी सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद घरेलू जानवर भी, जैसे कुत्ते और बकरियाँ आँगन में ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएँ होते थे। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध था।

नगर के प्रत्येक निवासी को ऐसे आरामदेह घर प्राप्त नहीं थे। मजदूर जो धान्या-गारों और भट्ठों में काम करते थे, छोटे-छोटे कमरों में रहते थे और संभवतः बड़े गरोब थे।

(ख) जन-जीवन

भोजन


लोग गेहूँ और जौ को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी पकाते थे। वे फलों को भी पसंद करते थे, विशेष रूप से अनार और केले को। वे मांस और मछली भी खाते थे।

वस्त्र

वे सूत बुनना जानते थे। मिट्टी के तकुए मिले हैं जिनसे अनुमान होता है कि बहुत सी स्त्रियाँ घर पर सूत कात लेती थीं। स्त्रियाँ छोटा घाघरा पहनती थीं जो कमरबंद से कमर में कसा रहता था। पुरुष कपड़े की चादर शरीर पर ओढ़े रहते थे। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का भी प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों को अपने केश अनेक प्रकार से सँवारने का शौक था। उन्हें वे भाँति-भाँति से गूँथती और कंधों से सजाती थीं। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष तावीज बाँधते थे और स्त्रियाँ चूड़ियाँ और हार पहनती थीं। ये आभूषण सीप की गुरिया के बने होते थे परंतु अमीरों के लिए सोने और चाँदी के बनाए जाते थे।

मनोरंजन और खिलौने

कुछ ऐसे पदार्थ भी मिले हैं जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोगों के मनोरंजन के क्या साधन थे। बच्चों के लिए कई प्रकार के खिलौने होते थे : मिट्टी की छोटी-छोटी गाड़ियाँ, जो आजकल के इक्कों से मिलती-जुलती थीं और जो शायद बड़ी बैल-गाड़ियों की नकल थीं, पशुओं की आकृति के खिलौने जिनके अंगों को कठ-पुतली की तरह डोर से खींचा जा सकता था; चिड़ियों के आकार की सीटियाँ तथा तरह-



मोहनजोदड़ो से प्राप्त आभूषण
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रह में)

तरह के झुनझुने। बच्चों में गोलियाँ खेलने की प्रथा भी प्रचलित थी। लड़कियों के लिए गुड़िया भी होती थी। बड़े लोग जुआ, नाच-कूद, शिकार और मुर्गी की लड़ाई में अपना समय व्यतीत करते थे।

व्यवसाय-धंधे

बहुत से लोग रुई और ऊन की कटाई-बुनाई के व्यवसाय में लगे थे। कपड़े का प्रयोग हड़प्पा-निवासी करते थे और वह फ़ारस की खाड़ी के किनारे के शहरों तथा सुमेर को भी भेजा जाता था। कुम्हार शायद सबसे अधिक व्यस्त रहते थे और वे मिट्टी के कुछ बहुत सुंदर बर्तन बनाते थे। अधिकतर ये बर्तन कुछ-कुछ लाल मिट्टी के बनते थे और उन पर अनेक प्रकार के काले रंग के आलेखन होते थे—जैसे रेखाएँ, बिन्दु, रेखागणित के आलेखन (ज्योमेट्री के डिजाइन), पैड़-पत्तों के आलेखन तथा पशुओं की आकृतियाँ।



मोहनजोदड़ो में प्राप्त बाढ़ी वाली मूर्ति
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

मनकों और तावीजों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। मनके मिट्टी, पत्थर, लुगदी, शंख और हाथी-दाँत के बनाये जाते थे। धातु के कारीगर ताँबे और काँसे के औजार और हथियार तैयार करते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फँसाने वाले काँटे और उस्तरे। घर के काम में लाए जाने वाले बर्तन पतली धातु की चादर के भी बनाए जाते थे और ये मिट्टी के बर्तनों से मिलते-जुलते थे परंतु ये बड़े कीमती होते होंगे, अतः अमीर लोग ही इनका प्रयोग कर सकते थे।

मोहनजोदड़ों में जो वस्तुएँ अधिक संख्या में मिली हैं उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी चपटो आयताकार मुहरें उल्लेखनीय हैं। मुहर के एक तरफ साँड या वृक्ष या कोई अश्व बना है। चित्र के ऊपर एक रेखा में चित्रलेख है, जिन्हें हड़प्पा के नागरिक लिपि



मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक मुहर जिसमें पशुपति अंकित है
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

के रूप में काम में लाते थे । ये मुहरें शायद व्यापारी अपने माल पर ठप्पा लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे ।

व्यापार

उस समय सुमेर और फ़ारस की खाड़ी के किनारे के नगरों के निवासियों तथा

हड़प्पा के नागरिकों के बीच संपर्क था। वे परस्पर व्यापार करते थे और एक जगह से दूसरी जगह को बराबर माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मुहरें तथा अन्य छोटी चीजें बैबीलोन में मिली हैं। व्यापारिक माल लोथल से जहाज द्वारा भेजा जाता था (जहाँ एक डॉक अर्थात् जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने की जगह खुदाई में मिली है) और आने वाला माल भी यहीं उतारा जाता था। बाँट और पैमाने का स्वभावतः व्यापारी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी तरह-तरह की आकृति होती थी और उन्हें ठीक-ठीक छोटा-बड़ा बनाया गया था।

धर्म

मिस्र और सुमेर के नागरिकों के विपरीत हड़प्पा-निवासियों ने कोई ऐसे अभिलेख नहीं छोड़े हैं जिनमें उनके शासन, समाज और धर्म का उल्लेख हो। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उनका धर्म किस प्रकार का रहा होगा। मातृ देवियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। वे लोग शायद उनकी पूजा करते थे। एक पत्थर की मुद्रा (मुहर) पर अंकित पुरुष देवता की बैठी हुई मूर्ति मिली है। वे पीपल जैसे कुछ वृक्षों को भी पवित्र मानते होंगे जिसे उनकी मोहरों पर अक्सर दिखाया गया है। वे संभवतः साँड को भी पवित्र मानते होंगे। कुछ हड़प्पा-निवासी अपने मृतकों को ज़मीन में गाड़ते थे और कुछ लोग एक पात्र में शव को रखकर गाड़ देते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी वहीं जीव रहता है, क्योंकि समाधियों में अक्सर मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं, जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि इनको उसे मृत्यु के बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है।

हड़प्पा निवासियों का पतन

हड़प्पा-संस्कृति लगभग हजार वर्षों तक जीवित रही। 1500 ई० पू० तक जब आर्य भारत में प्रवेश करने लगे, हड़प्पा-संस्कृति नष्ट हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? संभव है निरंतर आने वाली बाढ़ से ये नगर नष्ट हो गए हों, अथवा किसी संक्रामक और भयंकर रोग ने सभी जनो को समाप्त कर दिया हो। जलवायु भी बदलने लगी और यह प्रदेश अधिकाधिक मरुस्थल की भाँति शुष्क होने लगा। यह भी संभव है कि नगरों पर आक्रमण हुआ हो और यहाँ के निवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे हों।

हड़प्पा-संस्कृति का पतन भारत के इतिहास में एक दुखद घटना थी। आर्य जो बाद में आए, नगर के जीवन से अपरिचित थे। अतः आर्यों के आने के बाद एक हजार वर्ष का और समय लगा तब कहीं जाकर भारत में सुंदर नगर फिर से बसे।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. सिन्धु-घाटी की सभ्यता को हड़प्पा-संस्कृति भी क्यों कहते हैं ? इस संस्कृति का विस्तार क्या था ?
2. किन साधनों से हमें इस संस्कृति का ज्ञान होता है ?
3. हड़प्पा के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे ?
4. मोहनजोदड़ो नगर की योजना का वर्णन करो।
5. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों, सड़कों और नालियों का वर्णन करो।
6. हड़प्पा-संस्कृति के लोग अपने खेतों को किस प्रकार सींचते थे ?
7. मिट्टी के तकुओं की खोज से किस बात का अनुमान लगाया जा सकता है ?
8. हड़प्पा संस्कृति में स्त्रियाँ किस प्रकार के वस्त्र धारण करती थीं तथा कैसे श्रुंसार करती थीं ?
9. हड़प्पा-संस्कृति के बच्चों के खिलौनों का वर्णन करो।
10. मोहनजोदड़ो में प्राप्त मोहरों का वर्णन करो। ये मुहरें किस प्रकार काम में लाई जाती थीं ?
11. ऐसे चार कारणों को बताओ जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि हड़प्पा निवासियों की सभ्यता उच्चकोटि की थी।
12. भारत के इतिहास में हड़प्पा-संस्कृति का पतन क्यों एक दुखद घटना थी ?

II. नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। यदि वक्तव्य ठीक हैं तो कोष्ठक में उनके सामने 'हां' लिखो यदि वक्तव्य ठीक नहीं हैं तो 'नहीं' लिख दो :

1. हड़प्पा-संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक फैली हुई थी। ()
2. श्वेत नहरों से सींचे जाते थे। ()


3. हड़प्पा-निवासी सुमेर के निवासियों के साथ व्यापार करते थे। ()
4. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर बिना योजना के बने थे। ()
5. मोहनजोदड़ो में अन्न कोठारों में संग्रह किया जाता था। ()
6. घर ईंटों से बने थे। ()
7. इतिहासज्ञ हड़प्पा-निवासियों की लिपि पढ़ने में समर्थ हो गए हैं। ()

III. नीचे लिखे प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उनमें से ठीक शब्द या शब्द-समूह चुनकर वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरें।

1. सिन्ध और राजस्थान की जलवायु तब.....थी और अब.....है। (शुष्क, आर्द्र)
2. गढ़.....भूमि पर बना था। (नीची, ऊँची)
3. खेत नदियों.....स्थित थे। (के किनारे, से दूर)
4.से खेतों को सींचते थे। (नहर, बाढ़, कुएँ)
5. हड़प्पा-संस्कृति के नागरिक.....से अपना मनोविनोद करते थे। (जुआ, ताश)
6. हड़प्पा-निवासी जो कपड़ा प्रयोग करते थे, वह.....का बना होता था। (रेशम; सूत)
7. हड़प्पा-संस्कृति के कुम्हार बर्तनों के लिए.....मिट्टी का प्रयोग करते थे और उन पर.....में डिज़ाइन बनाते थे। (काले रंग, लाल रंग)
8. हड़प्पा-संस्कृति का अंत लगभग.....में हुआ। (1500 ई० पूर्व, 800 ई० पूर्व)

IV. रोचक कार्य

1. प्राचीन एशिया के मानचित्र में सुमेर तथा मिश्र की सभ्यताओं को दिखाओ।
2. भारत के मानचित्र में हड़प्पा-संस्कृति के उन नगरों को दिखाओ जो खोद कर निकाले गए हैं।
3. उन डिज़ाइनों के रेखाचित्र बनाओ जिनको हड़प्पा-निवासी मुहरों पर खोदते थे ?
4. तुम्हारे नगर में जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं उन्हें इकट्ठे करो। उन खिलौनों के रेखाचित्र बनाओ जो हड़प्पा के बच्चों के खिलौने से मिलते-जुलते हों।
5. कुछ चित्रवत चिह्न बनाओ जिन्हें हड़प्पा के नागरिक लिपि के रूप में प्रयोग करते थे।



वैदिक युग का जीवन

(क) आर्य बस्तियाँ

जब तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास आर्यों के आगमन से प्रारंभ होता है। परंतु अब हमें ज्ञात है कि वह बहुत पुराना है। आर्य भारत में बाहर से आए, संभवतः उत्तर-पूर्वी ईरान तथा कैस्पियन सागर के आसपास के प्रदेश से। जो आर्य भारत पहुँचे वे इंडो-आर्य कहलाते हैं जिससे वे उन आर्यों से पृथक् किए जा सकें जो पश्चिमी एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में पहुँचे।

आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व की ओर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में पहुँचे। उस समय यहाँ निकट ही एक नदी बहती थी जिसको सरस्वती कहते थे, परंतु अब उस नदी का जल सूख गया है। यहाँ वे बहुत वर्षों तक रहे और यहीं उन्होंने वेदमंत्रों का संग्रह तैयार किया। उसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र का मैदान है जहाँ पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, ऐसा लोगों का विश्वास है। कुछ समय बाद आर्य पूर्व की ओर गंगा-घाटी में और आगे बढ़े। जैसे-जैसे वे लोग आगे बढ़ते गए, वे अपनी नई खोज द्वारा प्राप्त लोहे की कुल्हाड़ियों से सघन वन साफ़ करते गए। उन्होंने लोहे का प्रयोग खोज निकाला और लोहे के हथियार और औज़ार बनाना शुरू कर दिया जिससे उनको ज़मीन साफ़ करने में और आसानी हो गई।

आर्य पशु चराने (पालन करने) वाले खानाबदोश थे। उनके पास पशुओं के बड़े-बड़े झुंड रहते थे जो उनकी जीविका के साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। धीरे-धीरे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और गाँवों में स्थायी रूप से बस

गए। चूँकि वे भ्रमणशील जीवन बिताते रहे थे, उन्हें नगर-जीवन का परिचय नहीं था। कई शताब्दियाँ बीतने के बाद उन्होंने नगर का निर्माण आरंभ किया। इस कारण उनके आरंभिक निवास-स्थल गाँव ही थे।

आर्यों के संबंध में हमारा ज्ञान हड़प्पा-निवासियों की भाँति उनके निवास-स्थलों को खुदाई पर आधारित नहीं है। आर्यों के संबंध में हमारा ज्ञान उनके द्वारा रचित उन मंत्रों, कविताओं तथा कथाओं पर निर्भर है जिनको उन्होंने मौखिक पाठ द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस समय तक सुरक्षित रखा जब तक कि वे लिख नहीं लिए गए। इसे हम 'साहित्यिक साक्ष्य' कहते हैं और इससे हमें उनके इतिहास की जानकारी होती है। परंतु हाल में कुछ स्थानों में हुई खुदाई से, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर तथा अतरंजीखेड़ा में, हमें उनकी संस्कृति के विषय में और जानकारी प्राप्त हुई है।

जिन देवताओं की वे पूजा करते थे उनकी स्तुति में मंत्रों की रचना हुई। आर्यों के धार्मिक अनुष्ठानों, कार्य और पूजा के सम्बन्ध में नियम बनाए गए। वे चारों वेदों में मिलते हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। उन्होंने अपने राजाओं और शूर-वीरों के जीवन, पराक्रम तथा युद्धों के बारे में भी लंबी कविताएँ लिखीं। बाद में उन कविताओं का संग्रह किया गया और ये ही प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत कहलाए।

राजा और उसके पदाधिकारी

आर्य अनेक जन-जातियों में बँटे हुए थे और प्रत्येक जन-जाति किसी विशेष प्रदेश में बसी हुई थी। परंतु ये जन-जातियाँ आपस में लड़ा करती थीं। पशुओं के झुंडों के चरने के लिए चरागाहों की जरूरत होती थी और जन-जातियाँ चरागाहों पर अधिकार करने के लिए लड़ती थीं। प्रत्येक जन-जाति का एक राजा या प्रमुख होता था जो सामान्यतः अपने बल और वीरता के आधार पर चुना जाता था। आगे चलकर राजपद वंशानुगत हो गया अर्थात् राजा का पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा हो जाता था। राजा का कर्त्तव्य था कि वह अपनी जन-जाति की रक्षा करे और इस कार्य में सहायता करने के लिए उसके पास सैनिकों का एक दल रहता था।

राजा जन-जाति की इच्छानुसार शासन करता था और उसकी सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। उसके सैनिकों का एक सेनापति होता था जो 'सेनानी' कहलाता था और सदैव उसके साथ रहता था। एक 'पुरोहित' होता था जो राजा के लिए धार्मिक कृत्य करता था और उसे सलाह देता था। दूतों के द्वारा वह निकटवर्ती गाँवों में रहने वाले अपनी जन-जाति के आदमियों से संपर्क स्थापित करता था। राजा अपनी जन-जाति के गाँवों के मुखियों से भी सलाह लेता था। ये 'ग्रामणी' कहलाते थे। जब किसी अत्याधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होता तो राजा समूची जन-जाति की सलाह लेता था। ये संस्थाएँ 'सभा' और 'समिति' कहलाती थीं। 'समिति' में कोई भी व्यक्ति समस्या पर अपने विचार व्यक्त कर सकता था, परंतु 'सभा' चुने हुए सदस्यों की एक छोटी संस्था जान पड़ती है।

ग्राम

जन-जाति छोटी इकाइयों में बँटी हुई थी, जिन्हें ग्राम कहते थे। प्रत्येक ग्राम में कई कुटुंब शामिल थे। आगे चलकर जब आर्यों ने अपने भ्रमणशील जीवन को त्याग कर खेती करना आरंभ किया तो गाँव बड़े हो गए और जन-जाति के अन्य बहुत से सदस्य एक गाँव में रहने लगे। गाँवों का समूह विश कहलाता था और उस जाति के लोग जन कहलाते थे।

गाँव कुटुंबों में बँटा हुआ था और कुटुंब के सभी सदस्य एक संयुक्त परिवार में साथ-साथ रहते थे। कुटुंब पितृ-प्रधान था, अर्थात् कुटुंब का सबसे बड़ा-बूढ़ा पुरुष, अक्सर दादा या पितामह, कुटुंब का मुखिया होता था। कुटुंब में यह अधिकार का पद था क्योंकि मुखिया सब निर्णय लेता था और परिवार के अन्य सदस्यों को उसके द्वारा लिए गए निर्णय स्वीकार करने पड़ते थे। विवाह के बाद भी पुत्र अपनी पत्नियों सहित घर में पिता के साथ ही रहते थे। स्त्रियों का आदर किया जाता था। लड़कों के साथ-साथ कुछ लड़कियाँ भी पढ़ती थीं।

जब आर्य ग्राम-समुदायों में स्थायी रूप से बस गए तो ग्राम-जीवन में खेती करने वाले लोगों के अतिरिक्त और लोग भी शामिल हो गए। इसमें शिल्पकार भी थे। कुछ

गाँव किन्हीं विशेष शिल्पों में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते थे। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी, वहाँ बहुत से कुम्हार रहने लगे। एक गाँव में बने खपत से बचे हुए बर्तन पड़ौसी गाँव को, जहाँ बर्तनों की कमी होती थी, भेज दिए जाते थे। इस प्रकार वस्तुएँ एक गाँव से दूसरे गाँव भेजी जाने लगीं और उनके अदल-बदल से व्यापार आरंभ हुआ।

परन्तु यह सब कुछ अभी तक साधारण स्तर पर ही चलता था। गाँवों में छप्पर वाली कच्ची झोंपड़ियाँ होती थीं जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहता था और उसके बाहर खेत होते थे। खेत जोते जाते थे और कुओं व नलों के पानी से उनकी सिंचाई होती थी। यह ढंग हड़प्पा-निवासियों के खेती के ढंग से भिन्न था। जौ की व्यापक रूप से खेती होती थी और बाद में गेहूँ और चावल भी उगाया जाने लगा। शिकार आमतौर से दूसरा पेशा था। हाथियों, भैंसों, बारहसिंगों और सुअरों का शिकार किया जाता था। साँड़ और बैल हल में जोते जाते थे। पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था क्योंकि आर्य अनेक चीजों के लिए गाय पर निर्भर थे। वास्तव में विशेष अतिथियों के लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मानसूचक माना जाता था (यद्यपि बाद की शताब्दियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित हो गया)। मनुष्य का जीवन सौ गायों के जीवन के मूल्य के बराबर समझा जाता था। यदि एक मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता, तो उसे मृतक के कुटुंबियों को दंड के रूप में सौ गायें देनी पड़ती थीं।

आर्य और उनके घोड़े

आर्यों को घोड़ों से वास्तविक प्रेम था। वे ईरान से अपने साथ घोड़े लाए थे। घोड़े रथों को खींचने के काम में आते थे। रथ की दौड़ आर्यों के मनोरंजन का प्रिय साधन थी और रथ बनाने वाले को समाज में बड़ा आदर मिलता था। वैदिक मंत्रों में अक्सर रथ का वर्णन मिलता है। यह हल्का दो पहियों वाला रथ था जो दौड़ में उत्साह बढ़ाने वाला तथा युद्ध में उपयोगी होता था।

(ख) जन-जीवन

आर्य और दस्यु

जब पहले-पहल आर्यों ने भारत में पदार्पण किया तो उन्हें भूमि के लिए उन लोगों से युद्ध करना पड़ा जो यहाँ पहले से रह रहे थे। आर्य इन लोगों को दस्यु या दास कहते थे। दस्यु लोगों को काले रंग और चपटी नाक वाला बतलाया गया है। दस्यु उन देवताओं की पूजा नहीं करते थे जिनकी आर्य करते थे। वे जो भाषा बोलते थे उसे आर्य नहीं समझते थे। आर्य संस्कृत बोलते थे। आर्यों ने दस्युओं को युद्ध में पराजित किया, परंतु उनके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं किया और अनेक दस्युओं को दास बना लिया। दस्युओं को आर्यों की सेवा करनी पड़ती थी। उन्हें कठिन से कठिन और नीच काम भी करना होता था। आर्यों ने नियम बना रखा था कि कोई आर्य दस्यु के साथ विवाह न करे।

समाज

आर्य और दस्यु एक ही गाँव के अलग-अलग भागों में रहते थे और पहले उन्हें एक दूसरे से मिलने-जुलने की आज्ञा न थी। आर्य स्वयं भी तीन भागों में बँटे हुए थे। सबसे अधिक शक्तिशाली राजा और उसके सैनिक थे जो क्षत्रिय कहलाते थे। उन्हीं के समान महत्त्वपूर्ण पुरोहित अथवा ब्राह्मण थे। उसके बाद शिल्पकार और किसान अथवा वैश्यों का स्थान था। इसके अतिरिक्त चौथा वर्ग भी था जो शूद्र कहलाता था। इस वर्ग में दस्यु और वे आर्य सम्मिलित थे जो दस्युओं से घुल-मिल गए थे और उनके साथ ब्याह कर चुके थे और इस कारण उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार आर्यों का समाज चार भागों या वर्णों में बँटा हुआ था—‘ब्राह्मण’, ‘क्षत्रिय’, ‘वैश्य’ और ‘शूद्र’। समाज में प्रत्येक वर्ग के पृथक्-पृथक् कर्म और व्यवसाय थे। शुरू में, मनुष्य मनचाहा पेशा चुन सकता था। धीरे-धीरे मनुष्य वे ही पेशे करने लगे, जो उनके पिता करते थे। प्रारंभ में ब्राह्मणों का क्षत्रियों के बराबर महत्त्व था, परंतु धीरे-धीरे वे इतने प्रभावशाली हो गए कि उनको समाज में प्रथम स्थान मिल गया। उनका आदर बढ़ा, क्योंकि उन्होंने धर्म को बड़ा महत्त्वपूर्ण बना दिया।

व्यवसाय-धंधे

कृषि के अतिरिक्त पशु-पालन, मछली मारना, धातु-कर्म, बढईगिरी और चमड़े का काम गाँवों के सामान्य उद्योग थे। धातु-कर्म करने वालों को एक नई धातु—लोहा, काम करने को मिल गई। लोहे के प्रयोग ने आर्यों के जीवन को और सुगम बना दिया। कठोर और मजबूत होने के कारण औजार और हथियार बनाने के लिए लोहा, ताँबे या काँसे से अधिक उपयुक्त था। कपड़े की कताई-बुनाई जारी रही। यह काम अधिकतर स्त्रियों के हाथ में था। पुरोहित पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों के करने में लगे रहते थे। विशेष कर उन महान यज्ञों में जिनमें समस्त जन-जाति भाग लेती थी और जो बहुत दिनों तक चलते रहते थे। पुरोहित शिक्षक भी होते थे। बालक गुरु के यहाँ रहते थे जो उन्हें वेद-मंत्रों का पाठ करना सिखाते थे। एक वेद-मंत्र में शिष्यों का बड़ा रोचक वर्णन दिया हुआ है। लिखा है कि गुरु के साथ पाठ दोहराते हुए शिष्य वर्षा के आगमन पर मेंढकों की तरह ध्वनि करते सुनाई पड़ते हैं। पुरोहित गाँव के चिकित्सक भी होते थे। उन्हें जड़ी-बूटी और पेड़-पौधों का ज्ञान था और जब कभी कोई बीमार पड़ता, रोगी को दवा देने के लिए पुरोहित बुलाया जाता था।

वस्त्र

जो वस्त्र आर्य धारण करते थे वे हड़प्पा-निवासियों के वस्त्रों से बहुत भिन्न नहीं थे। पहनावे में दो वस्त्र होते थे—'उत्तरीय' या ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र और 'अंतरीय' या निचले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र। एक किस्म की पोशाक टखनों तक आती थी। सिर पर बाँधने के लिए पगड़ी का भी प्रयोग होता था। आर्यों को गहने भी बड़े प्रिय थे जो स्वर्ण तथा दूसरी धातुओं के बने होते थे और स्त्रियाँ अनेक ढंग से मालाएँ पहनती थीं। अधिक धनवान लोग सोने की जूरी के कशीदे वाले कपड़े पहनते थे।

मनोरंजन

रथों की दौड़ आर्यों को बहुत प्रिय थी। नाचने और गाने में भी उनकी रुचि थी।

वे बाद्यों में बाँसुरी, वीणा और ढोल का प्रयोग करते थे। परंतु जुआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन जान पड़ता है।

आहार

आर्य लोग छक कर दूध पीते थे और ख़ूब मक्खन और घी खाते थे। फल, तरकारियाँ, अन्न और मांस भी ख़ूब खाया जाता था। आर्य लोग मुरा और मधु जैसे नशीले पेय भी पीते थे। एक अन्य विशेष पेय होता था जो 'सोमरस' कहलाता था। यह केवल धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, क्योंकि इसका तैयार करना कठिन था। आर्यों को जीवन से प्रेम था और वे ख़ूब अच्छी तरह जिन्दगी बिताते थे और वे बड़े मस्त लोग थे।

आर्य अनेक देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य, तारागण, वायु, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि सभी प्रकृति की शक्तियाँ देवी-देवता बन गईं। आकाश का देवता द्यौस, वर्षा, तूफ़ान और युद्ध का देवता इंद्र, प्रकाश का देवता सविता (सूर्य) और आग का देवता अग्नि माने जाने लगे। उषा प्रातःकाल की देवी मानी गई। देवताओं को मनुष्यों का रूप प्रदान किया गया, परंतु वे अलौकिक प्राणी थे, उनके पास अपार शक्ति थी और उनसे लोग डरते थे। लोगों का विश्वास था कि देवता प्रायः स्त्री-पुरुषों पर दयालु होते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उनको संतुष्ट करना पड़ता है। इंद्र सर्वप्रिय देवता था क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था।

आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों के द्वारा कराई गई धार्मिक बलि से देवता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की बलि के लिए बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ती थीं। वेदियाँ बनाई जाती थीं और उन पर तांत्रिक रेखाएँ खींची जाती थीं। पुरोहितों द्वारा मंत्र-ध्वनि के साथ-साथ पशुओं का बलिदान होता था। अन्न, पशु और वस्त्र पुरोहितों को दान में दिए जाते थे और सोमपान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे लोगों का आराधना सुनें। लोगों का यह विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी कामनाएँ पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बन गए और संभवतः इसी कारण वे शक्तिशाली हो गए।

परंतु सभी लोग बलि के धर्म से संतुष्ट न थे। उनके मन में अन्य प्रश्न उठते थे। वे जानना चाहते थे कि संसार किस प्रकार रचा गया, देवता कौन थे, मनुष्य को किसने बनाया आदि। अपने इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए और परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए वे दार्शनिक गाँवों को छोड़कर वन के शांत स्थलों में चले जाते थे। उनके विचारों को उनके शिष्य कांठाग्र कर लेते थे और बाद में वे लेखबद्ध कर लिए जाते थे। इन्हें हम आजकल 'उपनिषदों' में पढ़ सकते हैं जो वेदों के अंग हैं। इन शिक्षकों को 'ऋषि' कहा जाता है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. 'द्विषो-आर्य' पद का क्या अर्थ है ?
2. भारत में आने से पूर्व आर्य कहाँ रहते थे ?
3. भारत में आर्य पहले कहाँ आकर बसे और वहाँ से किस स्थान की ओर बढ़े ?
4. आर्यों से संबंधित हमारे ज्ञान का क्या आधार है ?
5. आर्य जाति के जीवन का वर्णन करो। राजा का क्या स्थान था ?
6. आर्यों की कुटुंब-प्रथा का वर्णन करो।
7. आर्यों के मुख्य व्यावसायिक धंधे क्या थे ?
8. दस्यु कौन थे ? आर्यों के आने के बाद उनका क्या हुआ ?
9. आर्यों का समाज किस प्रकार बँटा हुआ था ? उनके क्या कार्य थे ?
10. कुछ शिल्पों के नाम बताओ जिनमें आर्य दक्ष थे। लोहे की खोज ने आर्य लोगों की किस प्रकार सहायता की ?
11. प्रारंभिक आर्यों के सर्वप्रिय आमोद-प्रमोद कौन-से थे ?
12. इस युग में क्षत्रियों और ब्राह्मणों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसका वर्णन करो।
13. आर्यों के आहार और पेय का वर्णन करो।
14. प्रारंभिक आर्यों के धर्म का वर्णन करो।

15. कुछ देवताओं के नाम बताओ जिनकी वे पूजा करते थे। इनमें से किन-किन देवता की पूजा आज भी होती है ?
16. आर्यों का समाज वर्णों में बँटा हुआ था। तुम्हारे विचार से वर्तमान समाज के विभाजन का क्या आधार है ?

II. जिस तिथि क्रम में ये घटनाएँ हुई, उसी क्रम से इन्हें लिखो :

1. आर्य पंजाब में बस गए।
2. आर्य गंगा की घाटी में बस गए।
3. आर्य उत्तर-पूर्व ईरान में रहते थे।
4. आर्यों ने लोहे के प्रयोग की खोज की।

III. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द या शब्द-समूह चुनकर रिक्त स्थानों को भरें :

1. हम लोग हड़प्पा-निवासियों के बारे में केवल.....साक्ष्य से तथा आर्यों के बारे मेंसाक्ष्य से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ? (साहित्यिक, पुरातत्व संबंधी)
2.राजा के लिए धार्मिक कार्य करता था.....महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय देती थी और.....युद्धों में मदद करता था। (सेनानी, पुरोहित, समिति, सभा)
3. जन-जाति के लोग.....के रूप में इकट्ठे होते थे परन्तु कुछ चुने हुए लोग.....के रूप में प्रशासन संबंधी प्रश्नों पर राजा को सलाह देने के लिए इकट्ठे होते थे। (सभा, समिति)

IV. 'क' और 'ख' स्तम्भों में दिए हुए कथन को ठीक-ठीक एक दूसरे के सामने लिखो :

स्तम्भ (क)	स्तम्भ (ख)
1.	1. पुजारी, शिक्षक और वैद्य के रूप में कार्य करते थे।
2. शूद्र	2. वे लोग जिनका समाज में स्तर निम्न था।
3. क्षत्रिय	3. व्यापारी, दस्तकार और कृषक थे।
4. ब्राह्मण	4. प्रारंभिक आर्यों के समाज में शासक तथा योद्धा थे।

5. वषय 5. यह नाम आर्यों ने उन लोगों को दिया था जो भारत में उनके आने से पहले रह रहे थे।

V. क्या निम्नांकित कथन सही हैं? प्रत्येक के लिए 'हाँ' या 'नहीं' लिखो :

1. आर्य दस्युओं के साथ दया का व्यवहार करते थे। ()
2. आर्य घोड़ों पर चढ़ना, गहने पहनना और रथों को दौड़ पसन्द करते थे। ()
3. दस्यु संस्कृत बोलते थे। ()
4. आर्यों का समाज चार भागों में बँटा हुआ था। ()
5. आर्य केवल शाक-भाजी खाते थे। ()
6. आर्य अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। ()

VI. रोचक कार्य


1. एशिया के मानचित्र में ईरान तथा कैस्पियन सागर ढूँढो।
2. भारत के मानचित्र में पंजाब, गंगा, यमुना तथा पंजाब की नदियाँ दिखाओ।
3. उन व्यवसायों का एक चित्रवत चार्ट तैयार करो जो आर्य करते थे।
4. रथ का एक रेखाचित्र बनाओ।


मगध राज्य का उत्कर्ष

(क) राज्य और गणराज्य

लगभग 600 ई० पू० तक गंगा की घाटी के एक भाग के जंगल काटकर साफ़ कर दिए गए और आर्य जन-जातियाँ विभिन्न भागों में बस गईं, जैसे, पंचाल (जिला बरेली), सुरसेन (मथुरा), कोशल (अवध), काशी, विदेह, मगध आदि। आर्य अब जन-जातियों के रूप में ग्राम-समूह में नहीं रहते थे। उन्होंने राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए थे। गणराज्य एक प्रकार का शासन है जिसमें शक्ति जनता या कुछ चुने हुए व्यक्तियों या चुने हुए एक प्रमुख के हाथ में रहती है। उसमें वंशानुगत राजा नहीं होता। प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे। राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास थी और जन-जातियों की सभाओं में भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार की सरकार को 'अल्पतंत्र सरकार' अथवा कुछ ही व्यक्तियों की सरकार कहा है क्योंकि सभा में गौर-क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। राजतंत्रों और गणराज्य ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए और उनकी शासन-व्यवस्था भी बदल गई।

शाक्य आर लिच्छवि वंशों के प्रसिद्ध गणराज्य थे। उनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में हैं। राजाओं से शासित राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे—कौशल, मगध और वत्स जो गंगा की घाटी में स्थित थे। एक अन्य शक्तिशाली राज्य अवंति का था जिसका केन्द्र उज्जयिनी (उज्जैन) था। ये राज्य आपस में बराबर लड़ा करते थे क्योंकि या तो वे अपने क्षेत्र का विस्तार या नदियों पर अधिकार करना चाहते थे। यत्र मगध सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। महात् धर्माचार्य महावीर और गौतम





भारत के महासर्वेक्षक की अनुसंधाननुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार 1980 ।

समुद्र में भारत का जलप्रवेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह
समुद्री मील की दूरी तक है ।

बुद्ध ने मगध में धर्म-प्रचार किया और उन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं और वहाँ के लोगों के जीवन के विषय में चर्चा की।

मगध राज्य

लगभग 542 ई० पू० में बिम्बिसार मगध का राजा हुआ। उसने कई उपायों द्वारा इसे शक्तिशाली राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उसका एक ढंग पड़ोसी शासक परिवारों की राजकुमारियों से विवाह-संबंध जोड़ना था। ये शासक उसके मित्र बन गए। मगध राज्य के आधुनिक छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में कच्चा लोहा मिलता था। यह हथियार और औज़ार बनाने के लिए उस समय एक कीमती धातु थी। इसलिए लोग इसे खरीदना चाहते थे। इससे मगध की शक्ति बढ़ गई और वह धनवान हो गया। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के द्वारा होता था। सामान नावों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता था। शीघ्र ही मगध का नदी पर अधिकार हो गया। बिम्बिसार ने अंग राज्य (उसकी राजधानी समेत जो आधुनिक भागलपुर के निकट थी) जीत लिया। यह मगध के दक्षिण-पूर्व में था। अंग राज्य में गंगा नदी पर चंपा का सुप्रसिद्ध बंदरगाह थी। वहाँ से जहाज़ गंगा के मुहाने की ओर तथा उससे आगे पूर्वी समुद्रतट के साथ-साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत से ये जहाज़ मसाले और मणि-माणिक लेकर लौटते थे जिनसे मगध धनवान बन गया था।

बिम्बिसार

बिम्बिसार ने मगध पर सुचारु रूप से शासन किया। उसकी सहायता के लिए मंत्रियों की एक समिति थी। उसने गाँवों के प्रधानों को आज्ञा दे रखी थी कि वे सीधे उससे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है। यदि उसका कोई पदाधिकारी भली प्रकार काम नहीं करता था तो वह उसे दंड देता था। उसने कई नगरों और गाँवों को परस्पर जोड़ने के लिए सड़कें बनवाईं और

नदियों पर पुल बनवाए। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य का दौरा किया।

वह अंग को छोड़कर अन्य राज्यों से मित्रता का संबंध रखना चाहता था और वह सुदूर देशों को अपने राजदूत भेजता था। यहाँ तक कि भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में गंधार राज्य तक उसने अपना राजदूत भेजा। उसकी राजधानी पटना के निकट राजगृह थी। यह पर्वत माला से घिरा हुआ एक सुन्दर नगर था। पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वारा खोदे हुए उसके अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है।

अजातशत्रु

बिम्बिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार डाला। अजातशत्रु मगध को और शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु उसने विचार किया कि यह तभी संभव होगा जब वह अपने सभी पड़ोसियों को जीत सके। उसने अपने चाचा कोशल-नरेश पर आक्रमण किया। उसने उत्तरी बिहार के प्रदेश में वज्जियों पर भी हमला किया। वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंत में अजातशत्रु विजयी हुआ। उत्तरी भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया।

राजा की स्थिति

राजा अब असाधारण पुरुष बन गया था। वह अब 'समाज' और 'धर्म' की रक्षा करने वाला था। गणराज्यों में यह विचार था कि प्रमुख को जन साधारण से चुना जा सकता है। परंतु राजतंत्र के संबंध में ब्राह्मणों ने यह कहा कि राजा कोई साधारण पुरुष न होकर देवता के समान है और ब्राह्मण लोग ही यज्ञ-अनुष्ठानों द्वारा राजा को दैवी शक्तियों और गुणों से युक्त करते हैं। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ गया क्योंकि वे उसके सलाहकार थे और उनके बिना राजा न तो शासन कर सकता था और न यज्ञ।

सेवकों और अधिकारियों से घिरा हुआ राजा बहुत बड़े महल में बड़ी शान-शौकत से रहता था। 'पुरोहित,' 'अमात्य' या मंत्रि और कई अन्य अधिकारी प्रशासन में राजा

की सहायता करते थे। वह राज्य के खर्चों के लिए किसानों से उपज का एक भाग लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने ऊपर ही खर्च नहीं करता था; वरन् सेना पर, वेतन देने में तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे सड़क, कुओं और नहरों के निर्माण तथा ब्राह्मणों और विद्वानों की सहायता आदि में उसको खर्च करता था।

(ख) जन-जीवन

करों का महत्त्व

सभी वस्तुओं के उत्पादक राजा को कर देते थे। कृषक अपनी उपज का एक भाग राजा को देते थे जो सामान्यतः उपज का छठा भाग होता था। धातुकार राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। बढ़ई भी बिना पैसे लिए राजा के लिए रथ तैयार करते थे और बुनकर (जुलाहे) बिना मूल्य लिए कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को दिया करते थे। शुरु में कर वस्तु-रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अर्थात् लोगों द्वारा तैयार किए हुए माल के रूप में, और वही वस्तुएँ वेतन के रूप में अधिकारियों में बाँट दी जाती थीं।

कर बहुत जरूरी थे क्योंकि उनके बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था। न तो वह सेना रख सकता था, न काम करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर सकता था और न वह सड़कें ही बनवा सकता था। इसलिए उसने कर वसूल करने के लिए कई कर्मचारी नियुक्त किए। इनमें से कुछ कर्मचारियों का यह काम था कि वे गाँव-गाँव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करें और जितना अन्न किसान पैदा करे उसका हिसाब रखें। उपज का छठा भाग हिसाब करके निकाल दिया जाता था और वह भाग किसान को राजा के लिए देना पड़ता था। जब फसल तैयार हो जाती, कर वसूल करने वाला (कर-समाहर्ता) किसान के पास जाता और राजा को दिया जाने वाला भाग वसूल कर लेता था। इसी ढंग से दूसरे उद्योग-व्यवसायों से कर इकट्ठा किया जाता था। नगरों में भी कर-समाहर्ता कर वस्तु रूप में या नकद संग्रह करते थे।

ग्राम

अधिकांश लोग अब भी गाँवों में रहते थे और इन लोगों में पहले के युग की अपेक्षा कुछ अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। जनसंख्या बढ़ने के कारण अब गाँवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गाँव एक दूसरे से सड़कों और पगडंडियों से जुड़े थे। नदी के किनारे के गाँवों में लोग नावों से आते-जाते थे। प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता था जो ग्राम-वासियों और राजा के लिए काम करता था और इसलिए वह राजा और किसानों के बीच एक कड़ी के समान था। राजा के पास भी कुछ गाँव और भूमि होती थी। इस भूमि को जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे और इस श्रम के लिए उन्हें मजदूरी दी जाती थी।

नगर

इस युग में और पहले के युगों में एक बड़ा अन्तर था और वह था उपनगरों का विकास। प्रारंभिक युग में कुछ छोटे उपनगर होते थे। परंतु अब बहुत बड़े उपनगर और नगर बन गए थे। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण थे और उनका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। वे थे उज्जयिनी (मालवा में), प्रतिष्ठान (उत्तरी दक्कन में), भृगुकच्छ (गुजरात में अडोच्च), ताम्रलिप्ति (गंगा के मुहाने में), श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश में), चंपा (बिहार में), राजगृह (बिहार में), अयोध्या (उत्तर प्रदेश में) और कौशांबी (उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप)। इनमें से कुछ नगर खोद कर निकाले गए हैं। यह पता चला है कि वे लकड़ी और ईंटों के बने हुए थे और इसलिए वे गाँवों की अपेक्षा अधिक स्थायी थे। राजा का महल प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था और उसकी सुन्दर सजावट होती थी।

बहुधा उपनगर शिल्प-केन्द्रों, व्यापारिक केन्द्रों तथा राज्यों की राजधानियों के आसपास बने। प्रारंभ में वे गाँव जिन्होंने कुछ शिल्पों में विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी—जैसे धातुकर्म, काष्ठशिल्प या बढईगिरी या कपड़ों की बुनाई—शिल्प के केन्द्र बन गए। जब पड़ोसी क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर एक साथ बस जाते, कस्बा बन जाता था। वे एक स्थान पर काम करना पसंद करते, क्योंकि इससे कच्चे माल के संग्रह में और तैयार की हुई चीजों के बेचने में अधिक सुविधा होती थी। इस कार्य का संगठन दूसरे वर्ग द्वारा किया जाता था जो 'व्यापारी' कहलाते थे।

व्यापारी गाँव-गाँव जाकर कातने वालों से सूत और बुनने वालों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते और उन्हें उन गाँवों में ले जाकर बेचते, जहाँ उनकी माँग होती थी। इस प्रकार सूत कातने वाले और बुनने वाले अपने गाँव के बाहर की चीजों को ले जाने और बेचने की मुसीबत से बच जाते थे। व्यापारी प्राप्त माल की बिक्री के द्वारा लाभ कमाते थे। सूत और कपड़े के संबंध में जो प्रणाली थी वह अनाज तथा दूसरी उपज के बारे में भी लागू थी। शीघ्र ही देश में व्यापार या माल का लेन-देन अर्थात् विनिमय बढ़ गया।

व्यापार

विनिमय और मूल्य की एक नई प्रणाली के आविष्कार ने जिसे 'मुद्रा प्रणाली' कहा जाता है, व्यापार को और आसान बना दिया। मुद्रा या सिक्कों के प्रयोग से पहले, वस्तुओं का परस्पर विनिमय होता था, अर्थात् एक गाय के बदले कपड़े की दस गाँठें, या दो बोरे गेहूँ के बदले तेल के पाँच घड़े। विनिमय के माध्यम से बेचना और खरीदना सरल न था। परंतु सिक्कों को ले जाना आसान होता है। ज्यों-ज्यों सिक्कों का प्रयोग बढ़ा, व्यापारियों की संख्या भी बढ़ती गई। इस युग के सिक्के चाँदी या ताँबे के अनगढ़ टुकड़े होते थे जिन पर एक ठप्पा लगा होता था। व्यापार छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित न था। गंगा की घाटी में पैदा की हुई वस्तुएँ पंजाब के उस पार तक्षशिला भेजी जाती थीं या विंध्याचल के पार भृगुकच्छ (भड़ोच) बंदरगाह को भेजी जाती थीं जहाँ से जहाज़ उन्हें पश्चिमी एशिया या दक्षिण भारत को ले जाते थे।

समाज

शिल्पकार और व्यापारी संघों में संगठित थे जिन्हें 'श्रेणी' कहते थे। चूँकि कारीगर मिल-जुल कर साथ-साथ रहते और काम करते थे, वे इतने घुल-मिल गए कि एक 'जाति' के समझे जाने लगे। बेटे अपने बाप का धंधा करने लगे, जिससे जाति वंशानुगत हो गई। धीरे-धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के लिए पृथक कानून बन गए। ये कानून धर्मशास्त्रियों ने लेखबद्ध कर लिए। उनमें से कुछ बहुत कठोर कानून थे। एक

जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ न तो खाना खा सकते थे और न अपनी जाति के बाहर विवाह ही कर सकते थे ।

जातियाँ चार वर्गों में विभाजित थीं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । इन चार जातियों के बाहर जो जातियाँ होती थीं वे नीची समझी जाती थीं ।

धर्मशास्त्रों के लेखकों ने उच्च वर्गों के जीवन के पथ-प्रदर्शन के लिए नियम बनाए । इन नियमों के अनुसार जीवन चार अवस्थाओं या 'आश्रमों' में बँटा था । पहला 'ब्रह्मचर्य-आश्रम' था और यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए था । दूसरा 'गृहस्थ-आश्रम' था जिसमें घर-गृहस्थी बसाई जाती थी । तीसरा 'वानप्रस्थ-आश्रम' था जिसमें ध्यान-चिन्तन करने के लिए जंगल में रहना होता था । अंतिम 'संन्यास-आश्रम' कहलाता था । संन्यासी का कर्त्तव्य साधु बनकर उपदेश देना था । आश्रम-व्यवस्था एक आदर्श के रूप में थी परंतु यह मालूम नहीं कि कितने लोग इस पर आचरण करते थे ।

(ग) बौद्ध धर्म और जैन धर्म

धर्म

वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया था । कुछ लोग उनसे असंतुष्ट थे । वे सोचते थे कि पूजा का दिखावा करने की बजाय यह अधिक अच्छा है कि मनुष्य सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करे । उनमें से कुछ संन्यासी हो गए और वनों में घूमने लगे, क्योंकि वे एकांत में चिन्तन करना चाहते थे । उनमें से कुछ वनों से लौट आए और अपने विचारों का नगरों और गाँवों में प्रचार करने लगे । ऐसे दो व्यक्ति जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए । महावीर ने जैन धर्म और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की । महावीर लिच्छवि और गौतम शाक्य गण-जाति के थे । राजकुमारों की भाँति उनका पालन-पोषण हुआ था और उन्हें विलास की सभी मनचाही वस्तुएँ सुलभ थीं । परंतु दोनों जब लोगों को दुखी देखते तो स्वयं दुखी हो जाते थे । उन्होंने इस दुःख को दूर करने का उपाय ढूँढ़ने का निश्चय किया ।

जैन धर्म

महावीर का जन्म ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में वैशाली नगर में हुआ । उन्होंने

अपना घर छोड़ दिया और बहुत वर्षों तक जीवन संबंधी उन प्रश्नों का हल ढूँढने के लिए भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। बारह वर्षों के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों का हल ढूँढ़ लिया है। उन्होंने 23 धार्मिक महापुरुषों के, जो तीर्थंकर कहलाते थे, उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। यह धर्म जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठानों के करने और देवताओं से सहायता माँगने से कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा यह है कि सदाचारपूर्ण जीवन हो और गलत काम न किया जाय। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आत्मा का बंधन कर्मों के फलस्वरूप है। पूर्वजन्म के कर्मों का नाश और इस जन्म में उनका न होना ही मोक्षदायक है। कर्मों की रोक सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार के तिरतनों के साधन से हो सकती है। उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि लोग किसी जीव की हिंसा न करें चाहे वह मनुष्य हो या पशु या कीट। इसी को 'अहिंसा' कहा जाता था। यदि किसी का जीवन सदाचारमय होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और उसे इस संसार में फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। इस धर्म का उपदेश सर्व साधारण की बोल-चाल की भाषा में किया गया था जिसे सब समझ लेते थे—संस्कृत में नहीं क्योंकि संस्कृत का प्रयोग इस काल में उच्च वर्ग के शिक्षित लोग ही करते थे।



महावीर

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)



गौतम बुद्ध
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

बौद्ध धर्म

महावीर के जन्म के कुछ वर्षों बाद शाक्य वंश में बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से उत्पन्न हुए। वे कपिलवस्तु के निकट लुंबिनी वन में पैदा हुए थे। कपिलवस्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर था। इन्होंने भी घर त्याग दिया और वर्षों तक संन्यासी की भाँति घूमते रहे। उसके बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। उनका कहना था कि संसार में दुःख ही दुःख है और उसका कारण सांसारिक चीजों के लिए 'तृष्णा' (गहरी इच्छा) है। तृष्णा से मनुष्य का छुटकारा अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास द्वारा हो सकता है। इस 'मार्ग' में आठ प्रकार के कर्म और विचार हैं। यह मार्ग मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देने वाला है। यह संतुलित जीवन की प्रेरणा देता है जो किसी भी प्रकार की अति से ऊपर होता है। पवित्र जीवन का उद्देश्य मन को पवित्र करना और निर्वाण की प्राप्ति है, जिसके उपरांत पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक बलि के लिए पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया, पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। उस समय पशु-पालन का खेती-बाड़ी में बहुत महत्व था। बिना किसी कारण के पशु-बलि करना निरर्थक समझा जाने लगा। पशु-जीवन के प्रति इन विचारों ने खान-पान में शाकाहारिता को बढ़ावा दिया।

गौतम बुद्ध भी वैदिक यज्ञ और कर्मकांड के विरोधी थे। वे समाज का जातियों में विभाजन नहीं चाहते थे क्योंकि इसके कारण ऊँची जाति वाले नीची जाति वालों, 'शूद्रों' तथा दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करते थे। बुद्ध ने विहारों का जीवन आरम्भ किया। विहार वे स्थान थे जहाँ भिक्षु रहते थे और अपना जीवन स्वाध्याय, ध्यान और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने में बिताते थे। ये विहार पाठशालाओं का भी काम करते थे।

बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः दस्तकारों, व्यापारियों, किसानों और अछूतों में से थे क्योंकि उनके विचार से इन धर्मों के अभ्यास में कोई कठिनाई नहीं थी। दूसरी तरफ़ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कार तथा कर्मकांड द्वारा अपने धर्म का आचरण कठिन

बना रखा था। नगरों में विशेष रूप से, बौद्ध और जैन धर्म बहुत लोकप्रिय थे। भिक्षु जगह-जगह नए विचारों का प्रचार करते फिरते थे और इसी कारण थोड़े समय में ही बौद्ध धर्म भारत के अनेक भागों में फैल गया। इसका प्रभाव भारतीय जीवन के हर एक पक्ष पर पड़ा। बौद्ध विहार शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्धों को दान में धन देते और 'चैत्य', 'विहार' और 'स्तूप' बनवाते थे। इनको सुन्दर मूर्तियों से सजाते थे। बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे भागों में ले गए—जैसे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण-पूर्व एशिया। बौद्धों और जैनियों ने अहिंसा के सिद्धांत को फैलाया। बाद में जब सम्राट् अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, तब बौद्ध धर्म और अधिक लोकप्रिय हो गया।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दो :

1. गुरु के दो गणराज्यों और कुछ राजतंत्रों के नाम बताओ। राजतंत्र और गणराज्य में क्या अन्तर है ?
2. मगध को कौन-कौन से प्राकृतिक लाभ प्राप्त थे जिनके कारण वह सबल और संपन्न बन सका ?
3. विभिन्नार और उसके पुत्र ने राज्य का विस्तार और शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया ?
4. राजतंत्र में राजा के पद का किस प्रकार विकास हुआ ? उसका जीवन किस प्रकार का था ?
5. राजा अपना कार्य किस प्रकार करता था ? राजा किस प्रकार राज्य-कार्य में आवश्यक खर्चों का प्रबंध करता था ?
6. उन मुख्य स्रोतों का वर्णन करो जिनके द्वारा हमें आरंभिक आर्य एवं 600 ई० पूर्व के मगध का ज्ञान होता है।

7. करों का महत्त्व बताओ। वे किस प्रकार लगाए और वसूल किए जाते थे ?
8. शिल्पी अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को राजा को निशुल्क क्यों दिया करते थे ?
9. उपनगर किस प्रकार बने ? उपनगरों के नाम बताओ जो शुरू-शुरू में बन गए थे।
10. एक शिल्प के शिल्पी एक साथ रहना क्यों पसन्द करते थे ?
11. विनिमय प्रणाली के क्या दोष थे ? व्यापार की वृद्धि में मुद्रा के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ा ?
12. आश्रमों के नाम बताओ जिनमें मनुष्य का जीवन बँटा था।
13. इस युग में जाति-प्रथा की क्या विशेषताएँ थीं ?
14. लोगों को वैदिक धर्म की किस चीज़ ने असंतुष्ट कर दिया ?
15. महावीर का जन्म कब हुआ ? जैन धर्म की क्या शिक्षाएँ थीं ?
16. महात्मा बुद्ध किस स्थान पर पैदा हुए ? उनकी क्या शिक्षाएँ थीं ?
17. बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में किस चीज़ ने सहायता की ? विहारों तथा प्रचारकों ने बौद्ध धर्म को सुदूर देशों में फैलाने में क्या सहायता की ? उनमें से कुछ देशों के नाम बताओ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ।

II. 'क' और 'ख' स्तंभों में दिए हुए कथनों को ठीक-ठीक एक दूसरे के सामने लिखो :

स्तंभ (क)

1. वत्स
2. अंग
3. कौशल
4. गंधार

स्तंभ (ख)

1. उत्तरी भारत का राज्य था।
2. पश्चिमोत्तर भारत में स्थित एक राज्य था।
3. मध्य भारत का एक राज्य था।
4. भारत के पूर्व में एक राज्य था।

III. क्या नीचे दिए हुए कथन सही हैं ? प्रत्येक के लिए 'हाँ' या 'नहीं' लिखो :

1. राजगृह बिम्बिसार की राजधानी थी। ()
2. शाक्य और लिच्छवि शक्तिशाली राज्यतंत्र हो गए। ()
3. अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर डाला। ()

4. बिम्बिसार कौशल का राजा था । ()
5. राजा और ब्राह्मण 600 ई० पूर्व के बाद बहुत शक्तिशाली हो गए । ()
6. किसान अपनी उपज का एक भाग राजा को देते थे । ()
7. राजा की भूमि जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे । ()
8. सभी प्राचीन नगरों को खोदकर निकाला गया है । ()
9. कर सदैव नकद दिए जाते थे । ()
10. भड़ोच एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह थी । ()
11. इस काल में मनुष्य अपनी जाति बदल सकते थे । ()
12. बुद्ध ने जाति-प्रथा का समर्थन किया । ()
13. बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश संस्कृत में दिया । ()
14. विहार शिक्षा के भी केन्द्र थे । ()
15. महावीर और बुद्ध ने वैदिक बलियों का समर्थन किया । ()
16. जैन धर्म और बौद्ध धर्म के निम्न कही जाने वाली जातियों से बहुत से अनुयायी बने । ()

VI. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से चुनकर उपयुक्त शब्द या शब्द-समूह को रिक्त स्थानों में भरें :

1. मगधमें था और अवन्तिमें था ।
(उज्जयिनी के आसपास के प्रदेश, गंगा की घाटी)
2. बिम्बिसार नेजीता और अजातशत्रु नेजीता । (कौशल, अंग)
3.में कच्चा लोहा अधिक मात्रा में मिलता था । (मगध, गंधार)
4.से मसाले और कीमती पत्थर मगध को आते थे ।
(पंजाब, दक्षिणी भारत, उज्जयिनी)
5.में चंपा एक बड़ी बन्दरगाह है । (मगध, अंग, कौशल)
6.मगध की राजधानी थी । (चंपा, राजगृह)
7. किसान अपना करदेते थे ।
(वस्तु, के रूप में, नकद)

8. बुद्ध एक.....राजकुमार था और महावीर.....राजकुमार था ।
(लिच्छवि, शाक्य)
9.यज्ञ और कर्म-कांड पर जोर देते थे जबकि.....और.....अहिंसा और सादे जीवन पर बल देते थे । (जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म)
10. का उपदेश जन साधारण की भाषा में दिया जाता था और.....का उपदेश संस्कृत में । (वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म)

V. रोचक कार्य

1. भारत के मानचित्र में निम्नांकित ढूँढो ।
(क) गंगा, यमुना और सिंधु नदी । कौशल, मगध, वत्स, अवन्ति और गंधार राज्य ।
(ख) शाक्य और लिच्छवि गणराज्य ।
(ग) राजगृह, चंपा और काशी नगर ।
2. अपने अध्यापक से मगध काल के राजाओं के जीवन के विषय में और बातें पूछो ।
3. यदि हो सके तो राजगृह नगर के भवनावशेष के चित्र इकट्ठे करो ।
4. अपने माता-पिता से पूछो कि क्या वे कर देते हैं ? वे कौन-से कर देते हैं ? वे क वस्तु रूप में देते हैं या नकद ?

मौर्य साम्राज्य

(क) मौर्य राजा


ईसा से चौथी शताब्दी पूर्व मगध पर नंद वंश के राजा राज करते थे और वह उत्तर का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। नंद वंश के शासकों ने करों के द्वारा अतुल संपत्ति इकट्ठी कर ली थी और उनके पास एक विशाल सेना थी। परंतु वे योग्य शासक न थे और प्रजा में लोकप्रिय भी न थे। इसलिए उनको उखाड़ फेंकना कठिन न था। चाणक्य नामक ब्राह्मण मंत्री ने, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, मौर्य वंश के एक नवयुवक राजकुमार चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन किया और उसने नंद वंश के राजा को सिंहासन से उतार दिया। जनता ने इस नवयुवक मौर्य राजा का स्वागत किया और उसके प्रति पूरी स्वामिभक्ति दिखाई।

सिकंदर

मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान उत्तर-पश्चिम दिशा में पंजाब की ओर लगाया। ईसा से 326 वर्ष पूर्व यूनान के राजा सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया था, क्योंकि उत्तर के कुछ प्रांत एकेमेनी शासकों के महान ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। सिकंदर ने ईरानी सम्राट को हरा कर उसका साम्राज्य जीत लिया था। लेकिन सिकंदर स्वयं 323 ई० पू० में इस संसार से चल बसा। पंजाब पर अब सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े हुए यूनानी गवर्नर (क्षत्रप) शासन करते थे।

चंद्रगुप्त मौर्य

चंद्रगुप्त ने शीघ्र ही सारा पंजाब जीत लिया। सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार 1980

समुद्र में भारत का जलप्रवेश, उपयुक्त आधार रखा से भापे गए बारह
समुद्री मोल की दूरी तक है ।

अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने धार्मिक आदेश जारी करना शुरू किया। उसमें उनके धर्म, शासन तथा जनता के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार से संबंध रखने वाले विचारों का संग्रह था। ये आदेश साम्राज्य के सभी प्रांतों को भेज दिए गए और वे ऐसे स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवा दिए गए जहाँ लोग इकट्ठे होकर उन्हें पढ़ा करें। इस प्रकार उसकी प्रजा को राजा के विचारों का ज्ञान हो सका। ये अभिलेख हमें अशोक के आदर्शों का भी ज्ञान कराते हैं।

अशोक का धर्म

अशोक बौद्ध था और वह बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहता था। परंतु इससे भी अधिक वह ऊँचे आदर्शों में विश्वास करता था जो मनुष्य को शांत और सदाचारी बना सकें। इसी को वह 'धम्म' कहता था (जो संस्कृत शब्द 'धर्म' का प्राकृत

ॐ अशोकः
 अशोकः
 अशोकः
 अशोकः
 अशोकः
 अशोकः
 अशोकः
 अशोकः

श्मिनदेई स्तंभ का अभिलेख

देवताओं के प्रिय, सम्राट प्रियदर्शी दीक्षा लेने के बीस वर्षों के बाद स्वयं इस स्थान पर, जहाँ बुद्ध शाक्यमुनि ने जन्म लिया था, आए और इसकी अभ्यर्थना की। उनकी प्रेरणा से यह प्रस्तर-प्राचीर और प्रस्तर-स्तंभ बना। भगवान की जन्मभूमि होने के कारण लुंबिनी ग्राम को उन्होंने कर-मुक्त कर दिया है और इसका (अन्न का) अंशदान आठवाँ भाग निश्चित कर दिया है।

रूप है)। उसने अपने धम्म की व्याख्या अपने अभिलेखों में की है। अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, परंतु उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत जन-साधारण के बोलचाल की भाषा थी और संस्कृत का प्रयोग शिक्षित वर्ग करता था। चूँकि अशोक अपने विचार साधारण जनता तक पहुँचाना चाहता था इसीलिए उसने उसी भाषा का प्रयोग किया जिसे लोग समझ सकें।

अशोक की इच्छा थी कि अलग-अलग धर्म मानने वाले सभी लोग आपस में शांति और सहिष्णुता से रहें। अक्सर बौद्धों, जैनियों और ब्राह्मणों में झगड़े हुआ करते थे, यह बात राजा को रुचिकर न थी। वह चाहता था कि सभी लोग आपस में प्रेम-भाव से रहें। छोटे-बड़ों की तथा बच्चे माता-पिता की आज्ञा मानें। दासों और नौकरों के साथ उनके मालिक जिस प्रकार का व्यवहार किया करते थे, उसे देखकर अशोक को दुःख हुआ। इसलिए वह विशेष आग्रह करता था कि मालिक नौकरों के प्रति दयालु और उदार बनें। इससे भी अधिक वह मनुष्यों और पशुओं का वध रोकना चाहता था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह युद्ध न करेगा। उसने लोगों को धार्मिक यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाने से मना किया क्योंकि इसे वह निर्दयता समझता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाएँ। उसकी रसोई में दो मोर और एक हिरन प्रतिदिन राजा के लिए पकाए जाते थे। उसने उसे रोक दिया। उसकी सबसे तीव्र इच्छा थी कि सब लोग शांतिपूर्वक रहें और जमीन के लिए तथा धर्म के नाम पर न लड़ें। उसका कहना था कि महत्त्वपूर्ण बात आपसी भेद-भाव नहीं, वरन साम्राज्य के भीतर एकता का होना है।

(ख) प्रशासन, समाज और संस्कृति

मौर्य कला


अशोक के अभिलेख शिलाओं तथा बलुआ पत्थर के बने हुए लंबे स्तंभों पर खोदे गए थे। स्तंभों पर इतनी बढ़िया पालिश थी कि जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती थी तो वे खंभे सुनहले दिखाई पड़ते थे। प्रत्येक खंभे के सिर पर एक पशु की आकृति बनी होती थी। यह पशु हाथी, बैल या सिंह होता था। सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष (सिरा)

चार सिंहों का बना हुआ था। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया तो इस चार-सिंहों के चित्र को भारत के राष्ट्रीय चिह्न के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया गया।

अशोक का प्रशासन

अशोक के शासन संबंधी विचार भी उसके अभिलेखों में मिलते हैं। अशोक का विश्वास था कि राजा को प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा पिता अपने बच्चों के साथ करता है। वह अक्सर अपने अभिलेखों में कहता है, 'सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं।' जिस प्रकार पिता को अपने बच्चों की चिन्ता होती है और वह उनकी देखभाल करता है, राजा को भी उसी प्रकार अपनी प्रजा की चिन्ता होनी चाहिए। अशोक प्रजा को विविध प्रकार से देखभाल करता था। उसने अच्छी सड़कें बनवाकर नगरों को परस्पर जोड़ दिया। इससे यात्रा सुविधाजनक और कम समय में होने लगी। उसने तेज धूप से रक्षा के लिए सड़कों के किनारे-किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएँ खुदवाए और थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएँ बनवाईं। उसने रोगी मनुष्यों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाए। उसने पशुओं के इलाज के लिए भी अस्पतालों का प्रबंध किया। उसने गरीबों को दान में बहुत-सा धन दिया।

अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) नगर से शासन करता था। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् थी और उसके आदेशों का पालन करने के लिए अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य चार बड़े प्रांतों में बँटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत पर एक प्रांतीय शासक राज्यपाल शासन करता था, जो राजा के अधीन होता था। प्रांत जिलों में बँटे हुए जान पड़ते हैं। प्रत्येक जिले में कई गाँव होते थे। जिले के प्रशासन की देखभाल करने के लिए कई अधिकारी होते थे। उनमें कुछ जिलों का दौरा करते थे और सब प्रकार की व्यवस्था को ठीक रखते थे। कुछ अधिकारी जिलों से कर वसूल करते थे। कुछ न्यायाधीश होते थे और उनके सामने फ़ैसले के लिए मुकदमे लाए जाते थे। अशोक चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फ़ैसलों में और दंड देने में उदार रहें। कुछ अधिकारी करों में प्राप्त धन का हिसाब रखते थे और बड़े अफ़सरों को उनके काम में मदद देते थे। प्रत्येक गाँव के अपने पृथक अधिकारी होते



सारनाथ में अशोक-स्तंभ के ऊपर बना सिंहों वाला शिखर
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

थे, जो गाँव के पशुओं और आदमियों का लेखा रखते और कर वसूल करके उसे बड़े अफसरों तक पहुंचाते थे।

प्रशासन-कार्य कई विभागों में बँटा हुआ था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष पाटलिपुत्र में रहता था। इस प्रकार राजा को इस बात की सदैव सूचना मिलती रहती थी कि उसके साम्राज्य में कहाँ, क्या हो रहा है। इन अधिकारियों के अलावा अशोक ने एक विशेष प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जिनको वह 'धर्म-महामात्र' कहता था। ये लोग सारे देश में दौरा करते, स्थानीय काम की जाँच-पड़ताल करते, लोगों की शिकायतें सुनते और सभी को समझाते कि धर्मानुसार आचरण करें और आपस में मेल-जोल से रहें। नगर का प्रशासन एक परिषद् और 6 समितियाँ करती थीं जिनके अधीन अलग-अलग विभाग होते थे।

पड़ोसी देशों से संबंध

अशोक अपने पड़ोसियों से

भी मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने आजकल के राजदूतों की भाँति कई धर्म प्रचारक दल पश्चिम एशिया के राजाओं के दरबार में भेजे। उसने अपने पुत्र महेन्द्र को श्रीलंका भेजा। महेन्द्र ने वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका का राजा बौद्ध हो गया। उसके हृदय में अशोक के लिए बड़ा सम्मान और प्रेम था।

कौटिल्य और मेगस्थनीज

मौर्य काल का बहुत कुछ ज्ञान दो साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होता है। उनमें से एक 'अर्थशास्त्र' है, जिसका बहुत कुछ अंश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने इस बात की व्याख्या की है कि अच्छे शासन का किस प्रकार संगठन किया जाए। दूसरा स्रोत है मेगस्थनीज के द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ एक वर्णन। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त के राज्यकाल में भारत में कुछ समय बिताया था। मेगस्थनीज का वृत्तांत, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा है, उसका आँखों देखा वर्णन है—

मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक विशाल सुन्दर नगर था जिसके चारों ओर मजबूत दीवारें बनी हुई थीं। भवन लकड़ी के बने हुए थे, पर राजा का महल पत्थर का बना हुआ था। राजा के दरबार और वैभवपूर्ण जीवन से मेगस्थनीज प्रभावित था। राजा जनता की सब तरह की शिकायतें सुनने को सदैव तैयार था। चंद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी सेना थी क्योंकि उसे अनेक युद्ध करने पड़े थे। अफसरों के द्वारा इकट्ठे किए हुए करों का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च होता था।

समाज

मेगस्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। या तो उनकी अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। वे गाँवों में सुखपूर्वक रहते थे। पशुओं की देखभाल करने वाले चरवाहे और गड़रिए भी गाँवों में रहते थे। शिल्पी भी, जिनमें कपड़ा बुनने वाले, बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि शामिल थे, नगरों में रहते थे। उनमें से कुछ लोग राजा के लिए काम करते थे, जबकि कुछ नागरिकों के उपयोग के

लिए सामान तैयार करते थे। व्यापार तरक्की पर था और व्यापारी अपना माल देश के कोने-कोने में ले जाते थे।

मनुष्यों की एक बड़ी संख्या सेना में भर्ती थी। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे सुख-चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी नगर तथा गाँव दोनों में काम करते थे। ब्राह्मण तथा बौद्ध और जैन भिक्षुओं की संख्या किसानों, कारीगरों तथा सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम थी, परंतु उनका सम्मान हर कोई करता था। वे राजा को कोई कर नहीं देते थे।

मौर्य साम्राज्य का अंत

मौर्य साम्राज्य सौ वर्ष से कुछ अधिक समय तक रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन-भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे। एक तो यह था कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह सँभाल न सके। दूसरा कारण यह था कि साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश भारी दूरी के कारण एक-दूसरे से अलग-अलग थे और इसलिए उनका प्रशासन और उनसे संपर्क बनाए रखना कठिन हो गया था। एक विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। शायद बाद वाले मौर्य शासक इन खर्चों के लिए करों से इतना धन इकट्ठा न कर सके। धीरे-धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग होने लगे और वे स्वतंत्र राज्य बन गए।

इस फल का यह फल निकला कि चंद्रगुप्त द्वारा यूनानियों के हराए जाने के सौ वर्ष के बाद बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजा पर आक्रमण किया। इस राजा को अकेले आक्रमण का सामना करना पड़ा। चूँकि किसी दूसरे भारतीय राजा ने उसकी सहायता नहीं की, वह यूनानियों द्वारा पराजित हुआ। बीस वर्ष बाद 185 ई० पू० में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा को हटा कर मगध में शुंग वंश की स्थापना की।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. नंद राजाओं ने कहाँ और किस समय शासन किया ? अंतिम नंद राजा को किसने हराया ?
2. चन्द्रगुप्त ने किन राज्यों को जीता ? उसको शक्तिशाली शासक बनने में किसने मदद की ?
3. लगभग सारे भारत का सबसे पहला भारतीय शासक कौन था ?
4. कलिंग-युद्ध का अशोक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा ? उसने भविष्य में क्या करने का निश्चय किया ?
5. अशोक ने 'धम्म' के बारे में अपने विचारों को फैलाने के लिए क्या किया ? उसके राज्य-आदेशों के अभिलेख प्राकृत में क्यों खुदाए गए थे ।
6. चन्द्रगुप्त के राज्यकाल के ज्ञान के लिए हमारे पास कौन-से दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं ?
7. चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के प्रशासन में कौटिल्य का क्या हाथ था ?
8. मेगस्थनीज कहाँ से आया ? उसने चन्द्रगुप्त, उसकी राजधानी, उसके दरबार, उस समय की साधारण जनता और उनके उद्योग धंधों के विषय में क्या लिखा है ?
9. अशोक ने जनता के जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या किया ?
10. तुम अशोक के प्रशासन के विषय में क्या जानते हो ? उसके शासन में विभिन्न अधिकारियों के क्या कर्तव्य थे ?
11. हमको अपने राष्ट्रीय प्रतीक के लिए चिह्न कहाँ से मिला ? मौर्य कला का वर्णन करो ।

II. स्तम्भ 'क' और स्तम्भ 'ख' में दिए हुए कथनों को ठीक-ठीक एक-दूसरे के सामने लिखो :

स्तम्भ 'क'

1. सिकन्दर
2. सेल्यूकस निकेटर

स्तम्भ 'ख'

1. चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा हटाया गया ।
2. ने पंजाब पर 326 ई० पूर्व में आक्रमण किया ।

- | | |
|--------------|---|
| 3. बिन्दुसार | 3. ने कर्नाटक तक दक्षिण की जीत ली। |
| 4. अशोक | 4. पंजाब के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक शासन करता था। |
| 5. कौटिल्य | 5. चन्द्रगुप्त का मंत्री था। |
| | 6. पहला शासक था जिसने अपने राज्य में लगभग समूचे भारत को सम्मिलित कर लिया। |

III. 'क' और 'ख' स्तंभों में दिए गए कथनों को ठीक-ठीक करके एक-दूसरे के सामने लिखो :

- | स्तंभ 'क' | स्तंभ 'ख' |
|---------------------------|--|
| 1. पुष्यमित्र | 1. ने श्रीलंका के लोगों को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित किया। |
| 2. अशोक के पुत्र महेन्द्र | 2. ने अर्थशास्त्र लिखा। |
| 3. कौटिल्य | 3. ने शांति-दल को दूर देशों की भेजा। |
| 4. अशोक | 4. शुंग वंश की नींव 185 ई० पूर्व में डाली। |

IV. निम्नांकित घटनाओं को तिथि क्रम से लिखो :

- (अ) 1. अशोक ने कलिंग जीत लिया।
 2. चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया।
 3. सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया।
 4. अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र को श्रीलंका भेजा।
 5. पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक को सिंहासन से हटा दिया।
 6. अशोक ने अपने राज्य आदेशों के अभिलेख स्तंभों और शिलालों पर खुदवाए।
 7. अशोक बौद्ध हो गया।

(आ) 185 ई० पूर्व, 326 ई० पूर्व, 261 ई० पूर्व।

V. प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए शब्द या शब्द-समूह चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :

1.ने.....की शिक्षा देकर तैयार किया जिसने.....को उखाड़ फेंका।

(अंतिम नंद राजा, चन्द्रगुप्त, चाणक्य)

2. जब.....संन्यासी हो गया तब.....राजा हुआ । (चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार)
3. अशोक के आदेश.....लिपि में खुदवाये गए परन्तु जिस भाषा का प्रयोग हुआ, वह.....थी । (प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी)

VI. क्या निम्नांकित सही हैं ? प्रत्येक के लिए 'हाँ' या 'नहीं' लिखो :

1. सिकंदर ने 326 ई० पूर्व पंजाब पर आक्रमण किया । ()
2. चन्द्रगुप्त ने सिकंदर को पराजित किया । ()
3. चाणक्य चन्द्रगुप्त का प्रधान मंत्री था । ()
4. सेल्यूकस निकेटर ने चन्द्रगुप्त को पराजित कर दिया । ()
5. कर्लिंग विजय के बाद अशोक ने अनेक युद्ध किए । ()
6. अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने लगभग सारे भारत पर शासन किया । ()

VII. रोचक कार्य :

1. भारत का मानचित्र बनाओ और उसमें पाटलिपुत्र, पंजाब और कर्लिंग तथा चन्द्रगुप्त के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की सीमा दिखलाओ ।
2. विभिन्न मौर्य शासकों की विजयों की एक सूची बनाओ ।
3. अपनी अभ्यास-पुस्तिका के पूरे पृष्ठ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का चित्र बनाओ ।
4. भारत का एक रेखा मानचित्र बनाओ और उसमें दिखाओ :
 - (क) मगध की राजधानी
 - (ख) सारनाथ
 - (ग) अशोक के साम्राज्य की सीमा ।
5. अशोक-स्तंभों के शीर्षों के रेखाचित्र अर्थात् ब्रह्म, सिंह और हाथी के रेखाचित्र अपनी उत्तर-पुस्तिका में खींचो ।



उत्तर मौर्यकालीन भारत

(क) दक्खिन

विन्ध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का देश जो प्राचीन समय में दक्षिणपथ कहलाता था आजकल दक्खिन या दक्कन कहलाता है। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ों या तमिलों का देश है। प्राचीन समय से इस भूमि में उन भारतीय जातियों का निवास था जो आर्य नहीं थीं। इन राज्यों और क्षेत्रों को मौर्यों ने अपने राज्य में मिला लिया था परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् वे फिर स्वतंत्र हो गए। ये नए राजा प्रायः उन वंशों के थे जो मौर्य राजाओं के अधीन रह चुके थे।

सातवाहन

इन वंशों में सातवाहन वंश सबसे अधिक विख्यात था, जो आंध्र भी कहलाता था। इस वंश के महान शासकों में सातकर्णि नामक एक विजेता भी था जो 'पश्चिम का स्वामी' कहलाता था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ। वह संभवतः ई० पू० प्रथम शताब्दी में राज करता था। सातकर्णि के शासन के कुछ समय बाद, सौराष्ट्र में राज करने वाले शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक के बाहर निकाल कर आंध्र से भगा दिया। परंतु सातवाहनों ने अपनी सेना का फिर से संगठन कर शकों पर हमला किया और वे दक्कन के पश्चिमी भाग को फिर से जीत लेने में सफल हुए। यह कार्य गौतमीपुत्र सातकर्णि ने किया।

गौतमीपुत्र ने दक्षिण में सातवाहन राज्य को शक्तिशाली बना दिया। परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने के सुअवसर को कभी हाथ से न जाने दिया और यह


स्थिति गौतमीपुत्र के लड़के वासिष्ठपुत्र के समय तक बराबर चलती रही जब तक कि वासिष्ठपुत्र ने शक नरेश की कन्या से विवाह न कर लिया। इसके बाद कुछ समय तक शकों और सातवाहनों के बीच शांति रही। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंत तक शक पहले की अपेक्षा शक्तिहीन हो गए और इससे सातवाहनों को राज्य-विस्तार का मौका मिल गया। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के डेल्टा पर कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत काल तक कायम न रह सकी और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई।

सातवाहन राज्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम करता रहा। कुछ जंगल साफ कर दिए गए और गाँव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में दक्कन के सारे उत्तरी भाग में आने-जाने के लिए सड़कें बनवा दी गईं। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक न रहा। नासिक क्षेत्र में और गोदावरी के डेल्टा में व्यापार-वृद्धि के कारण नगर बस गए। ईरान, इराक और अरब देश से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भड़ौच के बन्दरगाह का प्रयोग करते थे। गंगा के डेल्टा से दक्षिण भारत को जाने वाले सामुद्रिक मार्ग के किनारे-किनारे गोदावरी डेल्टा की बंदरगाहें स्थित थीं। इनसे बर्मा और मलाया को जहाज जाया करते थे।

सातवाहन राज्य सुखी और समृद्ध था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बँटा था जिन पर सैनिक और असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गाँव का मुखिया राजस्व या कर वसूल किया करता था।

बौद्ध स्मारक

नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल थे और उनके पास अन्य कार्यों में खर्च करने के लिए धन था। उनमें से अधिकांश बौद्ध या जैन थे। इस कारण वे बौद्ध विहारों को धन दान देते थे। यह धन 'चैत्य' और 'स्तूपों' को सजाने में लगाया जाता था। 'स्तूप' अर्ध गोलाकार टीले होते थे जिनमें बुद्ध के या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। इस कारण बौद्ध 'स्तूपों' को पवित्र मानते थे। सांख्यी




भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार। 1980 ।

समुद्र में भारत का जलप्रवेश, उपयुक्त आधार रेखा से नादे गए बारह
समुद्री मील की दूरी तक है।

के 'स्तूप' (भोपाल के निकट) की चार दीवारी और उसके द्वारों का निर्माण दान के धन से हुआ था। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप भी व्यापारियों और राजाओं द्वारा दिए हुए धन से बना था। स्तूपों के निकट विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बने थे, जैसे तक्षशिला (पेशावर के निकट) और



सांची का स्तूप

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

सारनाथ (वाराणसी के निकट) के विहार। यहाँ से बौद्ध भिक्षु प्रति दिन प्रातःकाल भिक्षा माँगने के लिए नगरों में आसानी से जा सकते थे। कुछ बौद्ध भिक्षु विहारों में रहते थे। ये विहार बड़ी गुफाएँ होती थीं जो पहाड़ों को काट कर बना ली जाती थीं।

ये मूर्तिकला से सुसज्जित भी होती थीं जैसे काले और बेदसा की गुफाएँ (पूना के निकट पश्चिमी घाट में)। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध थी परंतु कहीं-कहीं जैन मूर्तिकला के भी दर्शन होते हैं।

धर्म

बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। विहारों में शास्त्रार्थ और वाद-विवाद होते थे और लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षु बाहर भेजे जाते थे। अश्वघोष और नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे, उनके विचार अब बदल रहे थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और वैष्णव व शैव संप्रदायों को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे और इसके बदले लोग यही सोचने लगे कि अनेक विधि-विधान और अनुष्ठानों के बिना भी ईश्वर की प्रार्थना शांतिपूर्वक की जा सकती है। यह ऐसा काल था जब धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा।

(ख) दक्षिण भारत

चोल, पांड्य और चेरें

दक्कन के पठार और सातवाहन राज्य के दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ। ये थे चोल (जिसका केन्द्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था), पांड्य (मदुरई में जिसका केन्द्र था) और केरल या चेरें (मालाबार-तट के किनारे आधुनिक केरल का एक भाग)। तंजौर प्रदेश को तमिलनाडु या तमिलों का देश कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती थी। इन तीन दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर चोल और पांड्य के संबंध में हमारा ज्ञान उस साहित्य पर आधारित है, जिसे संगम साहित्य कहते हैं।

संगम साहित्य

ऐसा कहा जाता है कि अनेक शताब्दियों पूर्व मदुरई नगर में तीन सभाएँ हुई।

दक्षिण के सभी कवि, चारण, भाट तथा घूमने फिरने वाले गर्वए इकट्ठे हुए और उन्होंने कविताएँ रचीं। लोगों का विश्वास है कि पहली सभा में देवता भी शामिल हुए थे। परंतु इस सभा में रचित कविताएँ अब नहीं मिलती हैं। दूसरी सभा में दो हजार कविताओं का आठ ग्रंथों में संग्रह किया गया। इन कविताओं को हम आज भी पढ़ सकते हैं और इनसे ही 'संगम' साहित्य बना है। ये कविताएँ वेद-मंत्रों से मिलती-जुलती हैं, परंतु ये सभी धार्मिक रचनाएँ नहीं हैं। ये तमिल में लिखी हुई हैं। कवि लोग जगह-जगह घूम कर जातियों के प्रधानों को प्रसन्न करने के लिए रचना करते थे। इन कविताओं में जन साधारण तथा प्रधानों के जीवन का वर्णन है।

चोल, पांड्य और चेरें अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कई कविताओं में इन युद्धों की चर्चा है। स्थल-युद्ध से संतुष्ट न होकर चोलों ने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उसकी मदद से श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ वर्षों तक वे उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किए रहे, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। अपने भारत के वर्णन में मेगस्थनीज़ लिखता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की, जिसके पास एक बड़ी सेना थी।

केरल के राजाओं में नेडनजेराल अडन को महान वीर समझा जाता था। वह अनेक राज्यों का विजेता था। उसने मालाबार-तट के समीप एक रोमन जहाजी बेड़े को जीत लिया था।

रोमन व्यापार

रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार-तट तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर आया करते थे। इस समय रोम-साम्राज्य का अधिकार भूमध्यसागर के सभी देशों पर था और रोम के बाजारों में भारत की बनी भोग-विलास की सामग्री की बड़ी माँग थी। मसाले, कपड़े, कीमती मणि, माणिक जैसी वस्तुएँ, मोर जैसे पक्षी और बंदर जैसे पशु आदि रोम-निवासी भारत से मँगवाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से अरब सागर पार करते हुए मालाबार-तट पर आते थे या सुदूर पूर्व समुद्र तट पर मन्नार जल संधि तक पहुँचते थे। वे जो सामान चाहते थे उससे जहाज भर लेते थे और सोने से उसका

मूल्य चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत धनवान बना दिया था।

रोम के नागरिक भी दक्षिण भारत के तटों पर स्थित नगरों में रहते थे। यहाँ वे सामान इकट्ठा करते और उसे जहाजों द्वारा रोम ले जाने का प्रबंध करते थे। इन नगरों में से एक नगर अरिकमेडु (जो पांडिचेरी के निकट है) खोद निकाला गया है। रोम के बने हुए अनेक पदार्थ यहाँ मिले हैं। इन बंदरगाहों से दक्षिण-पूर्व एशिया को भी जहाज जाते थे और कुछ भारतीय व्यापारी चीन से भी व्यापार करते थे। जहाज द्वारा यात्रा करने में कठिनाइयों के होते हुए भी ऐसे साहसी लोगों की कमी न थी जो इस प्रकार के खतरे का सामना करने को तैयार थे। भारत के भीतर दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत को भेजा जाता था। दक्षिण से रत्न, हीरे जैसे कीमती पत्थरों को बाहर भेजा जाता था। इससे दक्षिण के राज्यों को बहुत धन की प्राप्ति हो रही थी।

जन-जीवन

दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहाँ खेत जोतना कठिन था, पशु पाले जाते थे। अनेक व्यापारी और शिल्पकार नगरों में रहते थे। नगर प्रायः समुद्र तट पर थे जहाँ से व्यापार सुगम था। राज्य पर राजा का शासन था। उसकी सहायता और परामर्श के लिए ब्राह्मण मंत्री होते थे। एक साधारण सभा होती थी जिसमें सभी प्रमुख भाग लेते थे। इसमें तरह-तरह के मामलों पर विचार होता था, जैसे युद्ध किया जाए या नहीं अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं, आदि। राजा कृषकों, गो-पालकों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों से कर वसूलता था। व्यापारियों से उस समय कर लिया जाता था जब वे माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे।

नगरों अथवा गाँवों में सभी जगह जीवन सादा था। दैनिक कार्य के बाद जुए तथा दूसरे खेलों द्वारा मन-बहुलाव किया जाता था। संगीत, नृत्य और कविता-पाठ लोकप्रिय थे। तरह-तरह के वाद्यों का प्रयोग होता था, जैसे, बाँसुरी, मुरली, तार वाले वाद्य तथा मृदंग। दिन और रात के विभिन्न समयों के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष संगीत की प्रथा थी।

धर्म

उत्तर के धार्मिक विचार, जैसे वैदिक देवताओं की पूजा तथा बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांत दक्षिण के निवासियों को ज्ञात थे। कुछ इन धर्मों को मानते थे, परंतु अधिकांश लोग अब भी पुराने देवी-देवताओं की पूजा करते थे और अपना ही धार्मिक कार्य करते थे। मुद्गन, जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है, तमिल लोगों का सबसे अधिक प्रिय देवता था। लोगों का विश्वास था कि वह पर्वत पर रहता है। वह युद्ध और शक्ति का देवता था। उसे मंत्रोच्चारण के साथ-साथ बलि दी जाती थी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले शूरवीरों के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी पूजा होती थी। समुद्र तट के निवासी समुद्र देवता की प्रार्थना करते थे।

छठी शताब्दी में विशाल पल्लव साम्राज्य की स्थापना होने तक तमिल शताब्दियों तक इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहे।

ईसाई धर्म

ईसा की प्रथम शताब्दी में पश्चिम एशिया में जन्मा एक नवीन धर्म भारत पहुँचा। यह ईसाई धर्म था और ईसा मसीह ने इसका प्रचार किया था। यह प्राचीन यहूदी धर्म पर आधारित था जिसमें केवल एक ईश्वर की पूजा का निदेश था। ईसा केवल ईश्वर के मसीह (संदेशवाहक) ही नहीं माने जाते थे, वस्तुतः उन्हें ईश्वर का पुत्र समझा जाता था। ईसा उस प्रेम पर जोर देते थे जो भगवान के हृदय में अपने बनाए हुए मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे पवित्र जीवन व्यतीत करें। जब वे मरेंगे, उनकी आत्माएँ स्वर्ग को जाएँगी और वहाँ ईश्वर से उनका फिर मिलन होगा। ईसाई धर्म अनेक रूपों में समस्त यूरोप में फैल गया और वहाँ का एक प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म पहले मालाबार-तट के लोगों में तथा आधुनिक मद्रास के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैला।

प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने नया संवत्सर चलाने के लिए ईसा की जन्मतिथि का प्रयोग किया। जो घटनाएँ ईसा के जन्म के पहले हुई थीं उनकी तारीख ईसा पूर्व की

रखी गई और जो घटनाएँ उनके जन्म के बाद हुईं वे ईस्वी में गिनी गईं। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में काम में लाई जाती है।

(ग) उत्तर भारत

इसी बीच 200 ई० पू० और 100 ईस्वी के मध्य कुछ विदेशी बहुत बड़ी संख्या में सुदूर उत्तर में आए। वे भारत में बस गए और उन्होंने दूसरे ही प्रकार की जीवन पद्धति द्वारा भारतीय संस्कृति में योगदान दिया। ये थे (बैक्ट्रिया के) यूनानी, पार्थियन, शक और कुषाण। यूनानियों को छोड़कर बाकी सब लोग मध्य एशिया से आए थे। अनेक अवसरों में यह पहला अवसर था जब मध्य एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति को केवल प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि वे भारतीय जनसंख्या के अंग बन गए।

इंडो-ग्रीक

सिकंदर के यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में अपने राज्य स्थापित किए। इन राजाओं के वंशजों ने अब अपनी दृष्टि उत्तरी भारत की ओर फेरी। उत्तरी भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के भंग हो जाने के बाद यूनानी शासकों के लिए पंजाब के कुछ भाग और काबुल की घाटी जीत लेना कठिन न था। यह गंधार प्रांत था जिसमें 'इंडो-ग्रीक' नामधारी राजा शासन करते थे। उन्होंने अनेक प्रकार की मुद्राएँ (सिक्के) चलाईं जिनकी सहायता से उस युग के इतिहास को जोड़ना संभव है। इन राजाओं में से कुछ बौद्ध हो गए



इंडो-ग्रीक सिक्के
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के त्तोजन्य से)


जैसे राजा मिलिन्द (मिनांडर)। कुछ विष्णु की पूजा करते थे। इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का मिश्रण थी।

शक

शक पश्चिमी भारत में आए और उन्होंने सिन्ध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। अंत में वे काठियावाड़ और मालवा में बस गए। उनका सातवाहनों से प्रायः युद्ध चलता रहा। उसके सुप्रसिद्ध राजाओं में से रुद्रदामन नाम के एक राजा ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने से रोका। इच्छा होने पर भी शक स्वयं उत्तर की ओर न बढ़ सके, क्योंकि कुषाणों ने उनको रोक रखा था।

कुषाण

कुषाण, जिनका मूल निवास-स्थान चीनी तुर्किस्तान में था, ईसा की पहली शती में अफ़ग़ानिस्तान पहुँचे और वहाँ से इंडो-ग्रीक लोगों को हटाकर स्वयं तक्षशिला और पेशावर में जम गए। इसके बाद उन्होंने सारे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर




कुषाण सिक्के

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का सुप्रसिद्ध केन्द्र था। राज्य प्रांतों में विभक्त था जिस पर गवर्नर राज करते थे जो क्षत्रप कहलाते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। उसके नेतृत्व में सेनाएँ मध्य एशिया तक पहुँचीं। वह बड़ा पराक्रमी राजा था। मध्य एशिया में हूण साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई।

मथुरा में कनिष्क की एक बिना सिर की मूर्ति है जिससे वह गठे हुए बदन का व्यक्ति प्रतीत होता है। वह बौद्ध-धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण



सारनाथ का घुमेल स्तूप
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

के लिए धन दिया। धार्मिक वाद-विवादों में भी उसकी रुचि थी जिनका उन दिनों बड़ा प्रचलन था। उसके ही राज्यकाल में चौथा बौद्ध महासंगति का अधिवेशन हुआ था। पहले की भाँति इसमें भी बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए।

विचार-विनिमय

इस विचार-विनिमय का यह फल निकला कि धर्म, कला और विज्ञान के बारे में कई नवीन विचार भारतीय जीवन के विविध पक्षों में समा गए और इससे अनेक परिवर्तन हुए। भारत, ईरान और पश्चिम एशिया के निकट संपर्क में आ गया। व्यापार में उन्नति हुई और भारतीय वस्तुएँ भूमध्यसागर के नगरों और बंदरगाहों में पहुँचने लगीं। भारत और सिकंदरिया के बीच लंबी दूरी के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह से (जो मिस्र में नील नदी के मुहाने पर है) भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। इस व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जयिनी नगर और अधिक प्रसिद्ध हो गए।

कला

पश्चिम एशिया से संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मूर्तिकला उत्तर भारत के नगरों तक पहुँची। इसमें यूनानी और रोमन देवताओं तथा भूमध्यसागर के लोगों की मूर्तियाँ थीं। गंधार में काम करने वाले भारतीय कलाकार मूर्तिकला की इस नवीन शैली में रुचि रखने लगे और इसका उन पर प्रभाव भी पड़ा। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ तथा बुद्ध के जीवन के अन्य दृश्य यूनानी शैली से मिलते-जुलते थे। कला का यह रूप गंधार कला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कला पंजाब और कश्मीर के क्षेत्रों में ही लोकप्रिय नहीं हुई बरन आधुनिक अफ़ग़ानिस्तान में भी इसका प्रचार हुआ, क्योंकि गंधार कला के अधिकांश अवशेष वहीं प्राप्त हुए हैं। मथुरा में कुछ और भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने कला की एक नई शैली को जन्म दिया जिसमें यूनानी कला की तकल नहीं थी, यद्यपि मूर्तियाँ बौद्ध ही थीं। कला की इस शैली को मथुरा शैली की कला कहते हैं।

धर्म

ये मूर्तियाँ केवल बुद्ध की ही नहीं, वरन बोधिसत्त्व कहलाने वाले उन अन्य महात्माओं की भी थीं जिनका बौद्ध आदर करते थे। बोधिसत्त्व वे महापुरुष थे जो पृथ्वी पर बुद्ध से पहले अवतीर्ण हुए थे। बोधिसत्त्वों के विषय में 'जातक' कथाओं में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। जिस रूप में गौतम ने बौद्ध धर्म को प्रस्तुत किया था अब उसका वह साधारण रूप नहीं रह गया था। अब उसके दो संप्रदाय हो गए थे। महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक अनुष्ठान और कर्मकांड होते थे और उसमें साधु-संतों की पूजा का विधान था। इसके भिक्षु शक्तिशाली होते थे। पर भारत के अन्य भागों में अब भी ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म को इस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे हीनयान बौद्ध कहलाते थे। महायान बौद्धों ने चीन को धर्म प्रचारक भेजे जो भारतीय व्यापारियों के साथ उस देश में पहुँचे। शीघ्र ही बौद्ध धर्म समस्त मध्य एशिया और चीन में फैल गया।

पश्चिम एशिया के साथ भारतीय संपर्क का एक और महत्वपूर्ण परिणाम निकला। भारतीय ज्योतिषियों ने (जो नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं) यूनानी ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिसके फलस्वरूप भारत में नक्षत्रों के अध्ययन में प्रगति हुई। वैज्ञानिक अध्ययन में भी इससे सहायता मिली, हालाँकि आगे चलकर भविष्य बतलाने के लिए इस ज्ञान का दुरुपयोग किया गया। चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी बढ़ा जिसका प्रमाण सुश्रुत और चरक के ग्रंथ हैं। शल्य-चिकित्सा (चीर-फाड़) के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। भारत उस उन्नति की तैयारी में संलग्न था जो उसे आगामी कुछ शताब्दियों के गुप्त काल में करनी थीं।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. सातकर्षि कौन था ? उसकी कुछ विषयों का उल्लेख करो।

2. सातवाहनों और शकों की लड़ाई का वर्णन करो ।
 3. सातवाहन राजाओं ने व्यापार को बढ़ाने और अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए क्या किया ? उन देशों के नाम बताओ जिनसे व्यापार होता था ।
 4. स्तूपों और विहारों का क्या महत्व था ? सातवाहनों के राज्य-काल में विद्यमान कुछ विहारों के नाम बताओ । इस युग की कला का भी वर्णन करो ।
 5. उन राज्यों के नाम बताओ जो सातवाहन राज्य के दक्षिण में विकसित हुए । उनके पारस्परिक संबंध किस प्रकार के थे ?
 6. चोल राजाओं के शासन के अंतर्गत तमिलनाडु के लोगों के उद्यम, मनोविनोद तथा धर्म का वर्णन करो ।
 7. संगम साहित्य से क्या अभिप्राय है ? यह वेदों से किस प्रकार भिन्न है ?
 8. रोम के व्यापार का वर्णन करो और यह भी बताओ कि दक्षिण के भारतीय राज्यों के लिए इसका क्या महत्व था ?
 9. वह कौन सा नया धर्म था जिसने इस समय भारत में प्रवेश किया ?
 10. इंडो-ग्रीक राजा कौन थे ? वे कहाँ राज करते थे ?
 11. कनिष्क ने अपने राज्य को किस प्रकार बढ़ाया और सुदृढ़ किया ? बौद्ध धर्म के प्रति उसका कैसा रुख था ?
 12. कला की मथुरा शैली और गांधार शैली से क्या अभिप्राय है ? इन दोनों के बीच किन बातों में समानता और किन बातों में अंतर है ?
 13. बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में क्या अंतर है ? बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन कैसे पहुँचा ?
 14. यूनानियों तथा अन्य लोगों के संपर्क के कारण भारतीय संस्कृति और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा ?
11. क्या नीचे दिए हुए कथन सही हैं ? प्रत्येक के लिए 'हाँ' या 'नहीं' लिखो :
1. संगम साहित्य वैदिक साहित्य का एक भाग है । ()
 2. स्तूपों में वैदिक देवताओं की पूजा की जाती थी । ()
 3. चोल राज्य के संबंध में हमारा ज्ञान मुख्यतः वैदिक साहित्य पर आश्रित है । ()

4. रोम के जहाज़ लाल सागर होकर मालाबार-तट पर आया करते थे । ()
5. अरिकमेडु आधुनिक पांडिचेरी के निकट एक प्राचीन बंदरगाह था । ()
6. इस युग के तमिल लोग केवल वैदिक देवताओं की पूजा करते थे । ()
7. विष्णु और शिव की पूजा इस युग में लोकप्रिय हो गई । ()
8. इंडो-ग्रीक राजा मिलिन्द (मिनांडर) एक बौद्ध था । ()
9. महायान बौद्ध धर्म एक सीधा-साधा धर्म था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था । ()
10. विदेशियों से, विशेषकर, यूनानियों से संपर्क के कारण भारतीय संस्कृति कई प्रकार से समृद्ध हो गई । ()

III. प्रत्येक कथन के कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से ठीक शब्द या शब्द-समूह चुनकर रिक्त स्थानों को भरते :

1. शक..... में और सातवाहन.....में राज करते थे । (दक्कन, सौराष्ट्र)
2. ईसा की दूसरी शती में..... दुर्बल हो गए और राजाओं ने राज्य-विस्तार किया । (सातवाहन, शक)
3. तक्षशिला और सारनाथ में बड़े..... थे, जबकि साँची और अमरावती में प्रसिद्ध..... थे । (स्तूप, बिहार)
4. चोल.....के प्रदेश में राज्य करते थे, पांड्य.....के प्रदेश में और चेर प्रदेश.....के तट पर था । (मद्रुरइ, तंजौर, मालाबार)
5.चेर राजा था जिसने मालाबार-तट के पास रोम के जहाजी बों को पकड़ लिया ।.....बंदरगाह था जिससे रोम के साथ व्यापार चलता था और जो आधुनिक.....के निकट स्थित है । (अरिकमेडु, पांडिचेरी, नेडनजेराल अडन)
6.एक इंडो-ग्रीक राजा था, जबकि.....एक कुषाण राजा था । (मिनांडर, कनिष्क)
7. गांधार कला यूनानी शैली से प्रभावित.....और मथुरा की कला यूनानी शैली से प्रभावित.....। (थी, नहीं थी)
8. जातक कथाएँ.....के जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं । (बोधिसत्त्वों, जैन शिक्षकों, वैदिक ऋषियों)

IV. रोचक कार्य

1. एशिया के मानचित्र में ढूँढो :

ईरान, इराक, अरब, बर्मा, मलाया ।

2. भारत के रेखा मानचित्र में दिखाओ :

(क) नासिक, सौराष्ट्र, कर्लिंग और काठियावाड़ ।

(ख) गोदावरी, कृष्णा, गंगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ।

(ग) भडौँच, साँची, अमरावती, तक्षशिला और सारनाथ ।

3. दक्षिण भारत के रेखा मानचित्र पर दिखाओ :

(अ) चोल, पांड्य और चेर राज्य ।

(आ) मालाबार-तट, अरिकमेडु, तंजौर और मदुरई ।

4. यूरोशिया (यूरोप और एशिया) के मानचित्र में देखो :

ईरान, अरब, लाल सागर, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, काबुल, भूमध्यसागर, सिकंदरिया ।

5. भारत के मानचित्र पर दिखाओ :


गंगा की घाटी, काबुल की घाटी, पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, उज्जयिनी, गांधार ।

गुप्त काल

(क) गुप्त शासक

मौर्यों के पश्चात विदेशी जातियाँ, जैसे, यवन (यूनान और रोम के निवासियों का भारतीय नाम), कुषाण और शक, भारत में आईं। वे लोग भारत में बस गए और उन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति को अपना लिया, यहाँ तक कि थोड़े दिनों के बाद वे विदेशी न रह गए। चौथी शताब्दी में मगध देश में एक नए भारतीय वंश का उदय हुआ जिसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की। यह गुप्त वंश था जिसका राज्य दो सौ वर्ष से अधिक समय तक कायम रहा। इस युग में भारतीय संस्कृति को कुछ महान उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं जिनके कारण कभी-कभी इसे 'स्वर्ण-युग' भी कहा जाता है। गुप्त सम्राट, केवल इस उप-महाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर शासन करने वाले शक्तिशाली नरेश ही न थे, बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों तथा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जिन्होंने भारतीय संस्कृति में योग दिया।

इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवि राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवि गण-जाति की अभी भी उत्तर-पूर्व भारत में प्रतिष्ठा थी। वह लगभग 320 ई० में गद्दी पर बैठा। उसने साकेत (अयोध्या का प्रदेश), प्रयाग (इलाहाबाद) और मगध पर राज किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया और उसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और अधिक शक्तिशाली बना दिया।



समुद्रगुप्त

समुद्रगुप्त के विषय में हमारा बहुत कुछ ज्ञान इलाहाबाद के स्तंभ पर खुदे हुए एक लेख पर आधारित है। इस लेख में समुद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन है। लेख समुद्रगुप्त के दरबार के एक कवि की रचना है।

समुद्रगुप्त को उसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी चुना। जब वह राजा बना, उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया और भारत के विभिन्न भागों में जाकर अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के चार राजाओं को पराजित किया और आजकल के दिल्ली प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु के राजाओं से। उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर तथा दक्कन की जंगली जन-जातियों पर भी हमला किया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं से, राजस्थान के नौ गण-राज्यों से, कृषाण राजाओं से, शकों से, श्रीलंका के राजा से तथा शायद दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुदूर टापुओं के शासकों से कर वसूल किया।




गुप्तकालीन सिक्के

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन छोटे क्षेत्र पर था। जो राज्य कर

देते थे वे गुप्त शासन के प्रत्यक्ष रूप से अधीन न थे। दक्षिण के राजा शीघ्र ही गुप्त साम्राज्य से अलग हो गए। पश्चिम में शकों ने नया खतरा खड़ा कर दिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य मुख्यतः उत्तर भारत तक ही सीमित था और मौर्य साम्राज्य के बराबर उसका विस्तार नहीं था। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही न था, वरन कवि और संगीतज्ञ भी था। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार 1980 ।

समुद्र में भारत का जलप्रवेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह
समुद्री मील की दूरी तक है ।

चंद्रगुप्त द्वितीय

चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह विक्रमादित्य के नाम से भी विख्यात है। पश्चिम भारत में उसने गुप्त नरेशों को परेशान करने वाले शकों से युद्ध करके विजय प्राप्त की। उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंधों द्वारा मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध दक्कन के वाकाटक राज्य से था।

विद्या और कलाओं को प्रोत्साहित करने वाले के रूप में उसकी सबसे अधिक याद की जाती है। प्रसन्न होने पर राजा दार्शनिकों, कवियों और लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए धन देता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान मौजूद थे।

चंद्रगुप्त के पश्चात कई शक्तिहीन राजा हुए। मध्य एशिया के रहने वाले हूणों के उत्तर की ओर से आक्रमण के खतरे ने उनकी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया। हूण एक भ्रमणशील जाति के लोग थे जिन्होंने चीन पर हमला करने की कोशिश की, परंतु वे हार गए। पराजित होकर वे मध्य एशिया में छा गए। भारत की दौलत का हाल सुनकर उन्होंने ईसा की पूर्वार्ध शताब्दी में उत्तरी भारत पर हमला किया। उनके लगातार हमलों के कारण गुप्त नरेशों की शक्ति कम हो गई और आखिरकार हूण पंजाब और कश्मीर के शासक हो गए। लगभग सौ वर्षों तक हूण शक्तिशाली रहे और इसके बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई। परंतु इस समय तक उनमें बहुत से भारत में स्थायी रूप से बस गए थे और भारतीय जन समुदाय में समा गए थे।

गुप्त शासन-प्रबंध

गुप्तों का शासन-प्रबंध मौर्यों के शासन-प्रबंध से भिन्न था। प्रांतों के गवर्नर (प्रतिनिधि शासक) मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए, उन्हें हर काम के लिए राजा की आज्ञा की जरूरत नहीं होती थी। प्रांत जिलों में बँटे थे और जिले के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन-प्रबंध में मदद करें। गवर्नर को सलाह देने के लिए जिला-समितियाँ थीं और इन समितियों में केवल सरकारी अफसर ही नहीं वरन नगर के नागरिक भी शामिल थे। पाटलिपुत्र एक विशाल समृद्धिशाली नगर

था। गुप्त शासकों के कुछ अधिकारियों को नक़द वेतन मिलता था। यह प्रथा अंतिम राजाओं के राज्यकाल में बदल गई और नक़द वेतन के बजाय अधिकारियों को ज़मीन से कर वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा।

अधिकारियों को वेतन नक़द न देकर जागीर के रूप में देने का यह परिणाम हुआ कि राजा का उन पर उतना अधिकार न रहा जितना कि मौर्य सम्राटों का अपने अधिकारियों पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज के पश्चात् जब राजा शक्तिहीन हो गए तो कुछ सुदूर प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। जब गुप्त साम्राज्य भंग हुआ, इन गवर्नरों (प्रतिनिधि शासकों) ने अपने आप को अपने छोटे-छोटे प्रांतों में स्वतंत्र घोषित कर दिया।

(ख) जन-जीवन

समाज

कुषाणों के समय में भारत के बौद्ध धर्म-प्रचारक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में प्रचार का काम करते रहे और उनमें से कुछ तो चीन तक पहुँच गए। जब चीनी लोग बौद्ध धर्म में दिलचस्पी लेने लगे तो उनके कुछ विद्वानों ने भारत में मिलने वाले मौलिक धर्म-ग्रंथों का अध्ययन करना चाहा। फ़ाहयान उनमें से एक था। वह 399 ई० में चीन से रवाना हुआ और गोबी रेगिस्तान तथा मध्य एशिया को पार कर भारत पहुँचा। उसने भारत के बौद्ध विहारों में कई वर्ष रहकर धर्म-ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठी कीं। जब वह चीन वापस लौटा, उसने अपने भारत-भ्रमण का वृत्तांत लिखा। फ़ाहयान के वृत्तांत से गुप्तकालीन भारतीय जीवन के विषय में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। फ़ाहयान का कथन है कि दूसरे स्थानों की अपेक्षा पश्चिमोत्तर भारत में बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय था और बौद्ध तथा ब्राह्मण एक साथ मेल से रहते थे। उसने देश की धन-दौलत और समृद्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। लोग कानून के मानने वाले और ईमानदार थे। कानून उदार थे और दंड-विधान कठोर नहीं था। गाँवों की संख्या बहुत अधिक थी। राज्य की आमदनी भूमि-कर से होती थी।

क्राहयान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस युग के अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि मांस भी खाया जाता था।

समाज जातियों में बँटा था और उनमें से अधिकांश आपस में मेल-जोल से रहती थीं। परंतु नगरों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग थे—अछूत। उन्हें बाकी नगर-निवासियों से दूर नगर के बाहर रहना पड़ता था। वे इतने अर्थाविवक्षित माने जाते थे कि उच्च वर्ण के लोग उनकी तरफ़ देख भी नहीं सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुप्त काल के समाज में यह बात अच्छी नहीं थी। मनुष्यों के साथ इतनी क्रूरता का व्यवहार गुप्तकालीन सभ्यता का एक गंभीर दोष था।

व्यापार

व्यापार की वृद्धि के कारण नगरों का विकास होता गया और उनकी सुख-संपदा बढ़ती गई। गुप्त युग में न केवल देश के भीतरी और पश्चिमी एशिया से व्यापार चलता था, वरन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी व्यापारिक संबंध था। बहुत से व्यापारी बाहर विदेशों को सामान ले जाते थे और वहाँ उसे बड़े लाभ पर बेचते थे। व्यापार-वृद्धि के साथ-साथ समुद्र यात्रा का और जहाज़ बनाने का ज्ञान भी बढ़ता जा रहा था। पहले से बड़े जहाज़ बनाए जाने लगे और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र-तटों के बंदरगाहों पर पहले से अधिक झुंड-के-झुंड जहाज़ इकट्ठे होने लगे।

गंगा के डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति (तामलुक) के बंदरगाह से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों, जैसे, सुवर्णभूमि (बर्मा), यवद्वीप (जावा) और कंबोज (कंबोडिया) के साथ अधिकतर व्यापार चलता था। भड़ोच, सोपारा और कल्याण पश्चिम-तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहाँ से भी दक्षिण-पूर्व एशिया को जहाज़ जाते थे। व्यापार के साथ-साथ भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृति, भारतीय कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य पक्ष अब दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुँच गए। दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति के कुछ पक्षों को पसंद किया और उन्हें अपना लिया, हालाँकि उन्होंने अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखा। आज भी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच बहुत कुछ समानता है।

मालाबार-तट के कालीकट और कोचीन आदि बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान और भूमध्य सागर के देशों को ले जाई जाती थीं। व्यापारियों के क्राफिले और धर्म-प्रचारकों की मंडलियाँ भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन को जाया करती थीं।

धर्म


गुप्त काल में हिन्दू धर्म बहुत शक्तिशाली बन गया। हिन्दू शब्द का प्रयोग आगे चलकर अरब के निवासी हिन्द के निवासियों अर्थात् भारतीयों के विषय में करने लगे। हिन्दू शिव और विष्णु के उपासक थे, क्योंकि शिव और विष्णु की पूजा उस समय बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। गुप्त काल में इसी को हिन्दू धर्म कहा गया है।

गुप्त नरेशों में अधिकांश 'वैष्णव' थे, अर्थात् वे विष्णु की पूजा करते थे। वे धार्मिक यज्ञ भी करते थे जैसे अश्वमेध। वे मंदिर बनवाने और पुस्तकें लिखने के लिए भेंट देते थे, वे शिव के उपासकों, बौद्धों और जैनियों को भी भेंट देते थे। परंतु विष्णु की पूजा करने वाले ब्राह्मणों को वे अधिक दान देते थे। धार्मिक यज्ञ भी होते थे। परंतु इतने नहीं जितने कि वैदिक युग में। अब ब्राह्मण यह कहते थे कि प्रार्थना और मंत्रों के द्वारा विष्णु की भक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास था कि कभी-कभी विष्णु पृथ्वी पर लोगों को सदाचार का जीवन बिताने की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। यही अवतार (स्वर्ग से उतरना) कहलाता है (क्योंकि वे मनुष्य या पशु का रूप धारण करते हैं)। अनेक प्राचीन ग्रंथ जैसे 'रामायण', 'महाभारत' और 'पुराण' पुनः इसी युग में लिखे गए। उनको धार्मिक साहित्य माना जाने लगा। जिस रूप में हम आज इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, यह वही रूप है जो इन्हें गुप्त काल में दिया गया।

वास्तु कला

उस युग के गुप्त नरेश तथा अन्य शासक विष्णु और शिव की पूजा के लिए मंदिर बनाने को धन देते थे। ये मंदिर उन गुफाओं की तरह नहीं थे जो कि अजंता

जौर एलोरा में काटकर बनाई गई थीं। वे ईंट और पत्थर के बने हुए होते थे। पहले के मंदिर बहुत साधारण होते थे। उनमें केवल एक ही कमरा होता था जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। इस कमरे का दरवाजा मूर्तियों से सजा हुआ होता था। धीरे-धीरे कमरों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह एक से लेकर दो, तीन, चार तक पहुँच गई और इतनी बढ़ी कि बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल बनने लगे और उनके अंदर ही कई इमारतें बनने लगीं। यदि तुम साँची जाओ तो तुम्हें बौद्धों के स्तूप के निकट इस काल का बना हुआ एक कमरे का छोटा मंदिर मिलेगा। झाँसी जिले में देवगढ़ में ऐसा ही एक और पुराना मंदिर है।



साँची का एक कमरे वाला मंदिर
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)




मथुरा के पास मिली कनिष्क की भग्न मूर्ति
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ पर बुद्ध की पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं जो भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। हिन्दू भी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने लगे जो मंदिरों में स्थापित की जाती थीं। कुछ बौद्ध विहार पहाड़ियों के किनारे काटकर गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे। उनमें से एक विहार औरंगाबाद के निकट अजंता में था। गुफाओं की दीवारें चित्रकला (भित्ति-चित्रों) से ढकी थीं जिनमें बुद्ध के जीवन का चित्रण था। ये चित्र आज भी मौजूद हैं और उनके रंग अब भी लगभग वैसे ही ताज़े बने हुए हैं जैसे उस समय थे जबकि उनकी रचना हुई।



अजंता की गुफाएँ : एक विहंगम दृश्य
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)



अजंता की चित्रकला—सत्रहवीं गुफा
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

साहित्य

धर्म के साथ-साथ दूसरी बातों में भी गुप्त नरेशों का अनुराग था। वे कवियों और लेखकों को भी प्रोत्साहन देते थे। इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप उच्च कोटि के कुछ काव्य-ग्रंथ और नाटक लिखे गए। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास कुछ वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे। उनके नाटक **अभिज्ञान शाकुंतलम्** का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उसकी ख्याति विश्व के सभी भागों में है। उनके **मेघदूत** और **रघुवंश** काव्यों में साहित्यिक गुणों के अतिरिक्त, गुप्तकालीन समाज का स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। कालिदास की भाषा सुन्दर है। उनसे पहले की संस्कृत रचनाओं

में ऐसी सुंदर भाषा नहीं मिलती। इस काल में पहले की अपेक्षा शिक्षित वर्ग में संस्कृत का और अधिक व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। एक दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ था पंचतंत्र जो कहानियों का एक संग्रह है और जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

विज्ञान

साहित्य के अतिरिक्त, इस काल में ज्ञान की अन्य शाखाओं का भी विकास हुआ। विज्ञान का भी अध्ययन होता था। ज्योतिष और गणित के ज्ञान की भी उन्नति हो रही थी। आर्यभट और वराहमिहिर नई खोजों में लगे हुए थे। आर्यभट ने यह व्याख्या की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सिद्धांत उस समय स्वीकार नहीं किया गया, परंतु अब यह बिल्कुल सत्य सिद्ध हो चुका है। भारतीय गणितज्ञों ने दशमलव पद्धति का प्रयोग किया और उन्हें 'शून्य' का भी ज्ञान था। यहाँ की गिनती की पद्धति दूसरी जगह की पद्धति से बहुत आगे थी। धातुओं के ज्ञान में लोगों की विशेष रुचि थी और कई धातुओं को मिलाकर नए प्रयोग किए जाते थे। दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ इस बात का द्योतक है कि उन दिनों कितनी उच्च कोटि का लोहा काम में लाया जाता था। आयुर्वेद के विषय में भी पुस्तकें लिखी जाती थीं। भाषा का अध्ययन किया जाता था विशेषकर व्याकरण और कोष-रचना का ज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ था।

इस प्रकार गुप्त काल में हम बहुत-सी ऐसी उपलब्धियाँ पाते हैं जो प्रायः उच्च-कोटि की सभ्यता में ही मिलती हैं। लोग समृद्ध थे और अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। शिक्षित वर्ग के पास चिन्तन करने तथा दर्शन, विज्ञान और नाट्यशास्त्र आदि विषयों पर रचना करने के लिए पर्याप्त समय था। चित्रकला और मूर्तिकला को ऐसे लोगों से प्रोत्साहन प्राप्त था, जिनकी उनमें रुचि थी। यह प्रगति का युग था।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. गुप्त राजाओं ने सत्ता अपने हाथ में कब ली और उन्होंने कितने समय तक राज्य किया ?
2. गुप्त साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के क्या कारण थे ?
3. समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन करो ।
4. गुप्त शासन-प्रबंध मौर्य राजाओं के शासन-प्रबंध से किन बातों में भिन्न था ?
5. हूण कौन थे ?
6. फ्राहयान कहाँ से आया था ? उसने गुप्तकालीन भारतीय समाज के विषय में क्या लिखा ?
7. किन देशों के साथ भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे ? वह किस बन्दरगाह से अपने जहाज भेजते थे ?
8. भारतीय धर्म और संस्कृति किस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में फैली ?
9. एशिया की पाँचवीं और छठी शताब्दियों के बौद्ध विहारों की मूर्तिकला और चित्रकला तथा मंदिरों का संक्षिप्त विवरण लिखो ।
10. कालिदास के कुछ ग्रंथों के नाम बताओ ।
11. गुप्त काल में गणित, विज्ञान तथा औषधियों में हुई उन्नति का वर्णन करो ।

II. नीचे दिए हुए कथनों के सामने 'हाँ' या 'नहीं' लिखो :


1. गुप्त काल में ब्राह्मणों का पद नीचा हो गया । (✓)
2. गुप्त काल में मनुष्यों के एक समुदाय को अछूत समझा जाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार होता था । (✓)
3. इस युग में 'रामायण', 'महाभारत', और 'पुराण' फिर से लिखे गए । (✓)
4. दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपनाया । (✗)
5. राजा की आय का मुख्य साधन खेती की जाने वाली भूमि पर लगा 'कर' था । (✓)
6. गुप्तकालीन मंदिरों की इमारतें विशाल थीं । (✓)

III. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से ठीक शब्द या शब्द समूह चुनकर निम्नांकित कथनों के रिक्त स्थानों में भरें :

1. भारतीय व्यापारी के देशों से मसाला खरीदते थे और उनको के देशों को बेचते थे ।
(दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया)
2. ताम्रलिप्ति पर सुप्रसिद्ध बन्दरगाह थी, भड़ौच पर थी ।
(पूर्वी तट, पश्चिमी तट)
3. गुप्त शासक के उपासक थे ।
(शिव, विष्णु)
4. गुप्त काल में को अधिक महत्व दिया जाता था ।
(धार्मिक बलि, प्रार्थना द्वारा भक्ति)
5. 'मेघदूत' उच्च कोटि का है और 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' एक संसार प्रसिद्ध है जिसको ने लिखा था ।
(नाटक, काव्य, बाराहमिहिर, कालिदास)
6. में एक कमरे का मंदिर, के भित्ति चित्र और का लौह-स्तम्भ गुप्त काल की ललित-कलाओं के नमूने थे ।
(महरोली, अजंता, साँची)

IV. रोचक कार्य :

1. भारत का एक रेखा मानचित्र बनाकर उसमें निम्नांकित बातें दिखाओ :
(क) समुद्रगुप्त का साम्राज्य और उसके द्वारा जीते हुए राज्य ।
(ख) चन्द्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य ।
(ग) वे स्थान जिनकी इस पाठ में चर्चा हुई है ।
2. भारत का एक मानचित्र खींचकर उसमें गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध बन्दरगाह दिखाओ । उसमें साँची, अजंता, एलोरा और देवगढ़ भी दिखाओ ।
3. अपनी स्कूल लाइब्रेरी से 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' की एक प्रति लेकर उसकी कहानी पढ़ो ।
4. गुप्तकालीन मन्दिरों, दिल्ली के लौह-स्तम्भ तथा अजंता की गुफाओं के भित्ति-चित्रों के चित्रों को लेकर उन्हें अपनी अभ्यास-पुस्तिका में चिपकाओ ।



छोटे-छोटे राज्यों का युग


(क) उत्तर

उत्तर भारत में 500 और 800 ई० के बीच एक बड़ा राज्य स्थापित करने की कोशिश हुई, परंतु वह बहुत दिनों तक कायम न रह सका। उत्तर भारत धीरे-धीरे छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया जो बराबर एक दूसरे से लड़ा करते थे।

हर्ष

हूणों के हमलों ने गुप्त साम्राज्य को निर्बल बना दिया। उनके पतन के लगभग सौ वर्ष बाद सातवीं शताब्दी में एक नए राज्य का उदय हुआ। दिल्ली के उत्तर की ओर लगभग 100 मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र के निकट एक छोटा उपनगर है जो थानेसर कहलाता है। आजकल इस उपनगर का महत्त्व नहीं है, पर एक समय था जबकि वह एक शक्तिशाली राजा का निवास स्थान था। ईसा की सातवीं शताब्दी में वह स्थानेश्वर (थानेश्वर) के राज्य की राजधानी था। यहीं पर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, जिसे प्रायः हर्ष कहकर पुकारा जाता है। अभी वह छोटा ही था कि उसे 606 ई० में अपने भाई की मृत्यु के बाद राजा बना दिया गया। परंतु आगे चलकर वह शक्तिशाली राजा हुआ और उसने उत्तर भारत में गुप्त शासकों की भाँति एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयत्न किया। बाणभट्ट ने, जो हर्ष के दरबारी कवियों में से एक था, हर्ष का जीवन-चरित्र लिखा है। दूसरे चीनी बौद्ध यात्री ह्यूनसाङ् ने हर्ष के राज्य काल में भारत की यात्रा की और जो कुछ उसने देखा उसका वृत्तांत लिखा।

हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से हटाकर कन्नौज कर दी क्योंकि कन्नौज उसके



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित

© भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार 1980

समुद्र में भारत का जल प्रवेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

राज्य के बीच में स्थित था। उसने एक लंबी विजय-यात्रा का अभियान किया और अधिकांश उत्तर भारत को जीत लिया। उसके राज्य में पंजाब, पूर्व राजस्थान और असम तक फैली हुई गंगा की घाटी शामिल थी। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाही उसे पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी वातापी अथवा बादामी उत्तर मैसूर में थी। हर्ष का राज्य भी गुप्त साम्राज्य की भाँति था। जिन राजाओं को उसने जीत लिया वे उसे राज-कर देते थे और जब वह युद्ध करता तो उसकी सहायता के लिए सैनिक भेजते थे। वे राजा हर्ष का आधिपत्य तो मानते थे, परंतु अपने-अपने राज्यों पर स्वयं ही शासन करते थे और स्थानीय मामलों में स्वयं ही फ़ैसला भी करते थे।

हर्ष को बौद्ध धर्म से प्रेम था और शायद जीवन के अंतिम दिनों में वह बौद्ध हो भी गया था। फिर भी उसने दूसरे धर्मवालों की सहायता देना बंद नहीं किया था। वह चीनी यात्री ह्यूनसाङ् से मिलने को बहुत उत्सुक था। ह्यूनसाङ् लिखता है कि

युयभुवयवर्षाईह्युइयु

हर्ष के हस्ताक्षर

उसने राजा से लंबी वार्ता की और देखा कि राजा को उस समय की रचनाओं का पूरा ज्ञान था। हर्ष ने संस्कृत में तीन नाटकों की रचना भी की थी।

सामाजिक दशा

इस युग के इतिहास के स्रोतों में से एक ह्यूनसाङ् का लिखा वृत्तांत है। ह्यूनसाङ् 26 वर्ष की आयु में करीब-करीब फ़ाह्यान की तरह चीन से रवाना हुआ और फ़ाह्यान के मार्ग का अनुसरण करता हुआ मध्य एशिया होकर भारत पहुँचा। वह मार्ग में अनेक बौद्ध विहारों में रुका, क्योंकि अब तक मध्य एशिया में अनेक बौद्ध हो गए थे। भारत में अनेक वर्षों तक अध्ययन और भ्रमण करने के बाद वह उसी मार्ग से चीन


玄奘法師聖像



弟子
維摩
居士
畫

玄奘法師 (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सीजन्य से)

वापस लौट गया। ह्यूनसाङ् ने पाया कि बौद्ध धर्म भारत के सभी भागों में उतता लोकप्रिय न था जितना कि उसने समझ रखा था। परंतु पूर्वी भारत में अब भी वह



नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

बहुत लोकप्रिय था। उसने कुछ वर्ष नालंदा के विहार में (पटना के निकट) व्यतीत किए। नालंदा उस समय देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और वहाँ पर एशिया के सभी देशों से विद्वान अध्ययन के लिए आते थे।

ह्यूनसाङ् ने जाति-प्रथा के अस्तित्व को देखा और यह भी अनुभव किया कि किस प्रकार अछूतों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें नगरों के बाहर रहना पड़ता था। प्रत्येक मनुष्य शाकाहारी न था, हालाँकि इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग मांस न खाएँ। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकानों में अंतर था। अमीरों के मकान सुंदरता से बनाए और सजाए जाते थे जबकि गरीबों के मकान सादे पर


सफेदी से पुते होते थे और उनके फर्श कच्चे होते थे। जगह-जगह के निवासियों के वस्त्रों में अंतर था। उसने लिखा है कि भारतीय उग्र स्वभाव के होते हैं और जल्दी नाराज़ हो जाते हैं परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता के विशेष प्रेमी होते हैं। अपराधियों की संख्या अधिक न थी, यद्यपि वह बार-बार लिखता है कि किस प्रकार वह यात्रा करते समय लूट लिया गया। मृत्यु-दंड नहीं दिया जाता था और आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था।

हर्ष के मरते ही थोड़े समय के लिए उत्तर भारत में अशांति फैल गई। राज्य कई छोटी-छोटी इकाइयों में बँट गया जो एक दूसरे से लड़ती थीं। इस बीच में दक्कन और दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए।

(ख) दक्कन और दक्षिण

चालुक्य

सातवाहनों के पतन के पश्चात दक्कन में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ। वाकाटकों ने एक दृढ़ राज्य की स्थापना का प्रयास किया, परंतु यह अधिक दिनों तक न चल सका। उसके बाद चालुक्य वंश आया जिसका केन्द्र वातापी था। जिन दिनों उत्तर में हर्ष राज कर रहा था, यहाँ पर चालुक्य राजा पुलकेशिन का शासन था। उसकी तीव्र इच्छा सारे दक्कन पठार पर राज करने की थी और कुछ समय तक उसे सफलता भी मिली। नर्मदा के तट पर लड़ाई के मैदान में उसकी हर्ष से मुठभेड़ हुई। हर्ष पराजित हुआ। परंतु चालुक्यों के दो शत्रु थे—उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। राष्ट्रकूट दक्कन के उत्तरी भाग में एक छोटे-से राज्य पर शासन कर रहे थे। पहले तो वे चालुक्यों के अधीन रहे परंतु ईसा की आठवीं शती में शक्तिशाली हो गए और उन्होंने चालुक्य राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। परंतु जब दक्कन में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी तब उसी समय दक्षिण में पल्लव शक्तिशाली हो रहे थे। पुलकेशिन ने पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया। परंतु कुछ वर्षों के बाद पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की यह एक बड़ी हार थी।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुमानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 1980 ।

समुद्र में भारत का जल प्रवेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है ।

चालुक्यों की राजधानी वातापी एक समृद्धिशाली नगर था। पश्चिम में ईरान, अरब तथा लाल सागर के बंदरगाहों से तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के राज्यों से पुराने व्यापारिक संबंध चले आ रहे थे। व्यापार से समृद्धि हुई। पुलकेशिन ने ईरान के बादशाह खुरी द्वितीय के पास राजदूत भेजे। सौ वर्षों के बाद जब ईरान के जोरोस्त्रियनों ने ईरान छोड़ा, वे दक्कन के पश्चिमी तट के नगरों में आकर बस गए और आगे चलकर पारसी अर्थात् 'फारस के' कहलाए। पारसी धर्म को जोरोस्तर (जरथुस्त्र) ने 600 ईस्वी पूर्व ईरान में चलाया था। ईरान के महान हखमनी सम्राट पारसी धर्म के अनुयायी थे। जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि सत् (अच्छाई) और असत् (बुराई) की अदृश्य शक्तियों में परस्पर संघर्ष चलता रहा है और अंत में सत् की विजय होती है। पारसियों की पवित्र पुस्तक जेन्दअवेस्ता है। पारसी धर्म का पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया के अनेक भागों के निवासियों के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव था। यह इस्लाम के आने तक ईरान का प्रमुख धर्म रहा।

चालुक्य नरेश कला के प्रेमी और संरक्षक थे और उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिर तथा मंदिरों के बनवाने में बहुत धन दिया। एलोरा की अधिकांश मूर्तिकला का श्रेय चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं की दानशीलता को है।

पल्लव


सुदूर दक्षिण के पल्लव लोग पहले संभवतः सातवाहन नरेशों के अधिकारी थे। जब सातवाहन राज्य का पतन हुआ तो पल्लव अपने-अपने स्थानों के शासक बन गए और धीरे-धीरे उन्होंने कांचीपुरम प्रदेश (मद्रास के निकट) के दक्षिण की ओर अपने अधिकार का विस्तार किया। उन्हें पांड्य नरेशों से अनेक युद्ध करने पड़े। इन दोनों ने पल्लवों को शक्तिशाली होने में बाधा पहुँचाई। यह सब होते हुए भी पल्लव अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने कांचीपुरम के दक्षिण का इलाका, तंजौर और पुदुकोट्टई प्रदेश जीत लिया क्योंकि यह भाग संपन्न और उपजाऊ था।

पल्लव नरेश महेन्द्रवर्मन हर्ष और पुलकेशिन का समकालीन था। अपने युग के अन्य शासकों की भाँति वह केवल योद्धा ही न था वरन् एक कवि और संगीतज्ञ भी



राष्ट्रकूट राजा द्वारा एलोरा में बनवाया गया कैलास मंदिर
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सीजन्य से)


था। वह गुरु में जैन था परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव हो गया।




महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

तमिल संत

इसी काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन-समुदाय हुआ जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर (विष्णु या शिव) की व्यक्तिगत उपासना है। यही विचारधारा आगे चलकर 'भक्ति' के नाम से विख्यात हुई। इसमें कई वर्गों के लोग शामिल थे। कई तो कारीगर और किसान थे। वे जगह-जगह विष्णु या शिव की प्रशंसा में भजन गाते हुए



महाबलीपुरम में शिल्पित वंगवतरण का दृश्य
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)



महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

घूमते थे। अत्वार विष्णु के उपासक थे और नयन्नार शिव के। कभी-कभी वे लोग कांचीपुरम में इकट्ठे होते थे और वहाँ के उत्सवों के अवसर पर भजन गाते थे। वे भजन जन-साधारण की भाषा तमिल में लिखे गए। वेद-मंत्र संस्कृत में होते थे जिन्हें केवल पुरोहित और कुछ शिक्षित लोग ही समझ सकते थे।

कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के साथ-साथ तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केन्द्र भी था। दंडी जैसे लेखकों ने संस्कृत में लिखा क्योंकि वे राजदरबार से संबंधित वर्गों तथा उच्च वर्गों के लिए लिखते थे।

मठन-निर्माण कला

पल्लव नरेशों ने अनेक मंदिर बनवाए। कुछ विशाल शिलालेखों को काटकर बनाए गए थे, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। दूसरे मंदिर पत्थर के टुकड़ों से बनाए जाते थे, जैसे कांचीपुरम के मंदिर। मंदिर के एक कोने में एक कमरे में मूर्ति रखी जाती थी और इस कमरे की छत पर एक ऊँचा शिखर बनाया जाता था। आगे आने वाली शताब्दियों में ये शिखर और ऊँचे होते गए। यदि आज तुम तमिलनाडु की यात्रा करो, तो सबसे पहले क्षितिज पर तुम्हें मंदिरों के शिखर दिखाई देंगे।

मंदिर ग्राम-निवासियों के इकट्ठे होने का स्थान बन गया। संध्या समय गाँव के लोग मंदिर के आँगन में आकर बैठते और वहाँ पर आपस में विचार-विनिमय करते और ग्राम के कल्याण से संबंधित मामलों, जैसे कर और खेतों की सिंचाई आदि पर वाद-विवाद करते। इसी स्थान पर पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे और दिन के समय यही आँगन स्कूल का काम देता था। जब उत्सव के दिन आते, गाँव में मेले लगते और मंदिरों के आँगन में नृत्य तथा नाटक किए जाते।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. ह्यूनसाङ् किस देश से भारत आया ? उसने भारत के विषय में क्या लिखा ?
2. उन राजाओं के नाम बताओ जिन्होंने हर्ष ने हरा दिया था। क्या दक्कन के राज्यों को भी उसने जीता ? यदि नहीं, तो क्यों ?
3. हर्ष का धर्म क्या था ? अन्य धर्मों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था ?
4. हर्ष के राज्यकाल के भारतीय समाज का संक्षिप्त विवरण लिखो।
5. पुलकेशिन द्वितीय ने कब और कहाँ राज्य किया ? उत्तरी भारत में उसका समकालीन राजा कौन था ?
6. पल्लवों ने सत्ता को कब धारण किया ? उनके राज में कौन-कौन से क्षेत्र थे ?

7. भवन-निर्माण कला को पल्लव राजाओं ने किस प्रकार उत्साहित किया ? उस समय के बने हुए मंदिरों की क्या विशेषता है ?
8. तमिल संत क्या कहलाते थे ? उनकी क्या शिक्षाएँ थीं ?

II. नीचे दिए हुए वाक्यों में, यदि कथन ठीक है तो कोष्ठक में 'हाँ' लिखो। यदि कथन ठीक नहीं है तो 'नहीं' लिखो।

1. हर्ष की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य अनेक राज्यों में बँट गया। ()
2. हर्ष के प्रशासन में मृत्यु-दंड घोर अपराधियों को दिया जाता था। ()
3. ह्यूनसाङ ने मध्य एशिया होते हुए भारत की यात्रा की। ()
4. हर्ष के समय में बौद्ध धर्म भारत में सर्वत्र लोकप्रिय था। ()
5. बाण हर्ष का राजकवि था। ()
6. राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पराजित किया और आठवीं शती में शक्तिशाली हो गए। ()
7. पल्लव तंजोर और पुदुकोट्टई प्रदेश नहीं जीत सके। ()
8. पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन और कन्नोज का हर्ष, दोनों समकालीन थे। ()
9. पारसी दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत आए। ()
10. तमिल संतों ने अपने भजनों की रचना संस्कृत में की। ()

III. प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द या शब्द-समूह चुनकर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों को भरें :

1. हर्ष ने अपनी राजधानी.....की.....से बदल ली। (यानेसर, ब्रिल्ली, कन्नोज)
2. हर्ष.....के चालुक्य राजा.....द्वारा पराजित हुए।
(तोरमान, पुलकेशिन, नासिक, वातापी)
3. हर्ष के जीवन चरित्र को किसने लिखा ? (कालिदास, बाण)
4.की राजधानी.....थी और.....की.....थी।
(पल्लव, चालुक्य, वातापी, कांचीपुरम)
5. महेन्द्रवर्मन पहले.....था बाद में वह.....हो गया। (शैव, जैन, वैष्णव)

IV. रोचक कार्य

1. भारत का एक मानचित्र खींचो और उसमें थानेसर, कन्नौज, नालंदा, पंजाब, राजस्थान, वातापी और गंगा की घाटी दिखाओ ।
2. हर्ष और गुप्त नरेशों के युगों के बीच समानता की बातों की सूची तैयार करो ।
3. भारत का एक रेखा मानचित्र बनाओ और उसमें तमिलनाडु, वातापी, कांचीपुरम, सौराष्ट्र, ताम्रलिप्ति और एलोरा दिखाओ ।
4. यदि हो सके तो महाबलीपुरम और कांचीपुरम के मंदिरों के चित्र पत्रिकाओं से संग्रह करो और उन्हें अपने अलबम में छिपकाओ ।




भारत और विश्व

(क) भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क

ईसा की सातवीं शती तक भारत का संबंध दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ काफी बढ़ गया था। इस संबंध का प्रारंभ उन भारतीय व्यापारियों के द्वारा हुआ जो जल-मार्ग से उन द्वीपों में अपना सामान बेचने और वहाँ से मसाला खरीदने जाया करते थे। इन मसालों से भारतीय व्यापारियों को बहुत धन प्राप्त होता था क्योंकि वे मसाले पश्चिमी एशिया के व्यापारियों के हाथ बेचे जाते थे। कुछ भारतीय व्यापारी यह सोचकर कि दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने से उनका व्यापार और चमक सकता है, वहाँ के बंदरगाहों में बस गए थे। कई लोगों ने इन देशों की स्त्रियों से शादी भी कर ली। एक भारतीय व्यापारी कौंडिन्य की कथा मिलती है जो कंबोडिया पहुँचा और वहीं बस गया। उसने वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया और उसे भारतीय आचार-विचार में ढाल लिया। ऐसा कहा जाता है कि शीघ्र ही देश के अन्य अमीरों ने भी भारतीय रस्म-रिवाज सीख लिए जिन्हें स्वयं उनकी राजकुमारी ने अपना लिया था।

धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति की कुछ बातें दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों ने स्वीकार कर लीं। परंतु उन्होंने अपनी परंपराओं को भी जारी रखा, जो अनेक बातों में भारतीय रीति-रिवाजों से मिलती-जुलती थीं। भारतीय संस्कृति का प्रचार नगरों और राजदरबार के संपर्क में आने वालों में अधिक था। गाँवों में जीवन का पुराना ढंग जारी रहा। भारतीय व्यापारी भारत के विविध भागों जैसे सौराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल से आते थे। वे अपने साथ अपने प्रादेशिक आचार-विचार भी लाते थे। सौराष्ट्र के लोग जैन



भारत के महासर्वेक्षक की अनुमानानुसार भारत सर्वेक्षण विभागोय मानचित्र पर आधारित ।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार 1980 ।

समुद्र में भारत का जल प्रवेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है ।

होते थे। दक्षिण के लोग वैष्णव और शैव होते थे और बंगाल से आने वालों में अनेक बौद्ध थे।

सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा (सुवर्ण भूमि), मलाया (सुवर्ण द्वीप), कंबोडिया (कंबोज) और जावा (यवद्वीप) से हुआ। इन देशों में भारतीय मंदिरों की भाँति, विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ जैसे कंबोडिया में अङ्कोर वाट का। साथ ही अनेक हिन्दू प्रथाएँ चल निकलीं। पुरोहित और राज वंश के लोग संस्कृत पढ़ते थे और 'रामायण', 'महाभारत' तथा 'पुराणों' की कथाएँ सुनते थे। एक नए प्रकार के साहित्य का विकास हुआ जिसमें भारतीय कहानियाँ स्थानीय कथाओं के साथ घुल-मिल गईं।




कंबोडिया के अङ्कोर वाट का मंदिर
(भारतीय पुरातत्व संबंधों के सौजन्य से)

जावा में जिस 'रामायण' का पाठ होता है वह दोनों परंपराओं का अद्भुत मिश्रण है।

बाद की शताब्दियों में हिन्दू धर्म का पतन हुआ परंतु बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ती गई। कंबोडिया में अङ्कोर वाट के निकट वियॉन के भव्य बौद्ध मंदिर का निर्माण हुआ। जावा में बोरोबोदूर अब भी उस क्षेत्र का सबसे अधिक भव्य मंदिर है।

थाईलैंड और बर्मा ने भी बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। इन देशों के मंदिर व उनकी मूर्तिकला और चित्रकला भारतीय बौद्ध मंदिरों और कला से मिलते-जुलते हैं। फिर भी इन देशों में से प्रत्येक देश की संस्कृति में उसकी अपनी विशेषता है जो वहाँ के



बोरोबोदूर का मंदिर
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सौजन्य से)

मंदिरों और वहाँ की कला को देखकर ही पहचानी जा सकती है। इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की कोरी नकल नहीं थी।

व्यापारी और धर्म-प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुँचे। इस समय भारत का चीन से बहुत निकट का संबंध था और दोनों देशों के बीच राजदूतों और धर्म-प्रचारकों का आदान-प्रदान होता था। बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया में बहुत प्रभावशाली हो गया था। इसी प्रकार तिब्बत से संबंध बढ़ा और व्यापारी और धर्म-प्रचारक हिमालय के आर-पार यात्रा करने लगे। इस प्रकार व्यापार के द्वारा भारत का अनेक स्थानों से संपर्क स्थापित हो गया। चीन और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया होकर जाता था। यह मार्ग 'प्राचीन रेशम मार्ग' कहलाता था क्योंकि व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में चीनी रेशम एक था। इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों का विशेष हाथ था। वे पश्चिम के ईरान, अरब और मिस्र के बाजारों से परिचित थे। इसके भी और आगे भारतीय व्यापारी अपनी वस्तुएँ पूर्वी अफ्रीका के समुद्र-तटीय नगरों तक ले जाते थे।

(ख) भारत में अरब लोग

सातवीं शती के बाद एशिया और उत्तरी अफ्रीका को धीरे-धीरे एक नवीन और गतिशील शक्ति का ज्ञान हुआ जिसका अरब प्रदेश में जन्म हुआ और जो दुनिया के बहुत से भागों में फैल गई। यह इस्लाम धर्म था। भारत को भी इसके उदय और विस्तार का अनुभव हुआ। इस्लाम भारत में पहले पहल अरबों के साथ आया।

पैगंबर मुहम्मद

ईसा की छठी शती के अंत में अरब देश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने न केवल अरब देश के वरन एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के इतिहास को ही बदल दिया। ये थे मुहम्मद, एक नवीन धर्म—इस्लाम के प्रवर्तक (पैगंबर)। बचपन में ही दुर्भाग्य से मुहम्मद के पिता इनके जन्म से ठीक पहले चल बसे। इनकी माता भी इनकी छोटी उम्र में ही मर गई। इनके एक चचा ने इनका पालन-पोषण किया।

अरब देश इस समय व्यापार का केन्द्र था। यहाँ जल और थल दोनों मार्गों से व्यापारिक सामान आता था। मक्का और मदीना दो प्रसिद्ध नगर थे जहाँ धनी व्यापारी रहा करते थे। उनके पास ऊँटों के बड़े-बड़े कारवाँ थे। धन इन्हीं दो नगरों तक सीमित था। जो लोग रेगिस्तान में रहते थे वे बड़े गरीब थे और उनका जीवन बड़ा कठोर था।

ऊँटों के कारवाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसे ही एक कारवाँ में काम करके मुहम्मद अपनी रोज़ी कमाते थे। इस कारण इनको एकाकी मरुभूमि में लंबी यात्राएँ करनी पड़ती थीं और चिन्तन करने को काफ़ी समय मिलता था। राजनीतिक दृष्टि से अरब समाज कई कबीलों में बँटा हुआ था जो सदैव एक दूसरे से लड़ा करते थे। मुहम्मद ने अपने देशवासियों के सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वासों के विषय में बहुत कुछ विचार किया। उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे किसी प्रकार एकता के सूत्र में बँध जाएँ, तो वे आपस में लड़ना छोड़ देंगे और समृद्ध व शक्तिशाली हो जाएँगे।

नवीन धर्म

मुहम्मद को अपनी जाति के लोगों के धार्मिक विश्वासों पर संतोष न था क्योंकि वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे। (यहूदियों और ईसाइयों की भाँति) मुहम्मद का भी विश्वास था कि ईश्वर एक है और पत्थरों की तथा ऐसी और चीजों की पूजा करना व्यर्थ है जैसा कि उस समय अरब लोग कर रहे थे। वे इन बातों के विषय में और ध्यानपूर्वक विचारने लगे। उन्हें अब यह अनुभव हुआ कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए नियुक्त किया है कि वे उसका संदेश जन साधारण तक पहुँचाएँ।

मुहम्मद का कहना था कि ईश्वर एक है जिसे अल्लाह कहा जाता है और वे स्वयं (अर्थात् मुहम्मद) उसके पैगंबर हैं। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम कहलाए और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। 'कुरान' के अनुसार, जिसे मुसलमान ईश्वर का कथन मानते हैं, जब कभी आवश्यकता होती है ईश्वर अपना एक रसूल या पैगंबर संसार के मनुष्यों के पास भेजता है। इन पैगंबरों में से केवल कुछ के नाम कुरान

में दिए हुए हैं। मुहम्मद ने पुराने पैगंबरों में से कुछ जैसे यहूदी पैगंबर अब्राहम (इब्राहम) व मोज़ेज़ (मूसा) और ईसा मसीह को पैगंबर स्वीकार किया। अपने अनुयायियों को उनका आदेश था कि वे दिन में पाँच बार 'नमाज़' पढ़ें, व्रत रखें, मक्का की तीर्थयात्रा करें और यथाशक्ति दान दें। उन्होंने आचरण संबंधी कुछ नियम भी बनाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं और मुसलमानों का वर्ग भेद या जाति भेद नहीं मानना चाहिए।

पहले उन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी और संबंधियों को मुसलमान बनाया। परंतु नए धर्म को गुप्त रखना आवश्यक था, क्योंकि यदि अरब लोगों को इसका पता लग जाता तो वे मुहम्मद से नाराज़ हो जाते।

وَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ
 وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ
 وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ
 وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ

प्राचीन कृफिक लिपि में लिखी हुई क़ुरान की कुछ पंक्तियाँ

मक्का के निवासियों को जब नवीन धर्म का पता लगा तो उन्होंने मुहम्मद को मारने की धमकी दी और इस पर वे मदीना भाग गए। यह घटना 622 ई० में हुई और मुस्लिम संवत् (हिजरी) उसी वर्ष से प्रारंभ होता है। अंत में मक्का के लोगों ने भी नए धर्म को स्वीकार कर लिया।

इस्लाम का प्रसार

632 ई० में मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का जोर-शोर से प्रचार आरंभ हुआ। एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने एक बड़े इलाके को जीत लिया। उनकी विजय-पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका के उस पार स्पेन तक फहराने लगी। इस क्षेत्र पर खलीफा का राज्य स्थापित किया गया। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा की पदवी दी जाती थी, वही देश का शासक भी होता था।

अरब राज्य बहुत विस्तृत था। अरब जाति, एक ओर पश्चिम एशिया और यूनान की प्राचीन जातियों और संस्कृतियों तथा दूसरी ओर यूरोप की संस्कृतियों के बीच सेतु बन गई। भारत पर भी इस्लाम धर्म का जो यहाँ अरब जाति द्वारा लाया गया प्रभाव पड़ा।

भारत में अरब-निवासी

712 ई० में अरबों ने सिन्ध जीत लिया और उन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी, परंतु उस प्रदेश को जिसे आज राजस्थान कहते हैं, स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिन्ध पर उनका राजनीतिक आधिपत्य रहा। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम धर्म ने जड़ पकड़ी। परंतु अरब लोग सिर्फ विजेता बनकर ही यहाँ नहीं आए। भारत के पश्चिमी तट पर अनेक व्यापारिक बस्तियाँ बस गईं जिन्हें पश्चिमी एशिया के अरब व्यापारियों ने स्थापित किया था। यहाँ वे स्थानीय निवासियों के साथ मिल-जुल कर रहते, उन्हीं में शादी करते तथा एशिया के अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में भाग लेते थे।

निकटर्ष

इस प्रकार ईसा की आठवीं शती में भारतीय सभ्यता फल-फूल रही थी और भारत की जनता सुखी थी। भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। दूसरे देशों के लोग भी इस समय में जानते थे। कभी-कभी निकट और गहरे संबंध हो जाने पर उन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान भी दिया। अरबों के साथ भारत में

केवल इस्लाम ही नहीं वरन कई नए सांस्कृतिक प्रभाव भी आए, जिनका आगे आने वाली शताब्दियों में विकास हुआ। इस प्रकार एक ओर भारत अपनी संस्कृति को बाहर भेज रहा था और दूसरी ओर एक नई संस्कृति को अपने यहाँ बुला रहा था।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय तक भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में कई परिवर्तन हो चुके थे। इन परिवर्तनों के परिणाम आने वाली शताब्दियों में देखने को मिले और इन्होंने भारतीय इतिहास को संपन्न बना दिया।

भारतीय इतिहास का प्राचीन काल अब समाप्त हो गया और भारत मध्य युग में प्रवेश करने लगा।

अभ्यास

I. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ किस प्रकार संपर्क बढ़ा ?
2. उन देशों के नाम बताओ जिन पर भारतीय संस्कृति की छाप थी। उनके प्राचीन नाम भी दो।
3. उन मंदिरों के भी नाम बताओ जो इन देशों में बने और जिन पर भारतीय प्रभाव था। साथ ही उन देशों के नाम बताओ जहाँ ये स्थित हैं।
4. क्या इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की कोरी नकल थी? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दो।
5. ईसा की सातवीं शताब्दी में अरब प्रदेश की क्या दशा थी ?
6. मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रभाव का कहाँ तक विस्तार था ?
7. इस समय अरब-निवासी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर क्या कर रहे थे ?

II. नीचे दिए हुए वाक्यों के सामने 'हाँ' या 'नहीं' लिखो :

1. भारतीय व्यापारी कौडिन्य ने कंबोडिया की विजय की।

()

प्राचीन भारत

2. भारतीय संस्कृति दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के नगरों तथा राज दरबारों में अधिक लोकप्रिय थी। ()
3. बोरोबोदूर जावा का एक हिन्दू मंदिर है। ()
4. दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रत्येक देश की संस्कृति में कुछ अपनी विशेषता है। ()
5. कंबोडिया में बेयान का मंदिर बौद्ध मंदिर है। ()
6. अरबों ने भारत के मालाबार-तट को जीता। ()
7. मुहम्मद ने प्रार्थना, दान और एक सर्वोपरि ईश्वर में विश्वास पर बल दिया। ()
8. इस्लाम में वर्णगत और वर्णगत भेदों पर जोर दिया गया है। ()

III. प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए उपयुक्त शब्द या शब्द-समूह को चुनकर रिक्त स्थान भरें :

1. बर्मा का प्राचीन नाम....., मलाया का....., कंबोडिया का.....और जावा का..... है। (यवद्वीप, कंबोज, सुवर्णद्वीप, सुवर्णभूमि)
2. दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रारंभ में.....लोकप्रिय था, बाद को.....लोकप्रिय हो गया। (बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म)
3. अङ्कोरवाट का मंदिर.....में है, बोरोबोदूर का मंदिर.....में है। (जावा, कंबोडिया)

IV. रोचक कार्य

1. भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के मानचित्र में उन देशों को ढूँढो और नाम बताओ जहाँ भारतीय संस्कृति फैली।
2. दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बने हुए हिन्दू और बौद्ध मंदिरों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें अपनी चित्रावली में चिपकाओ।
3. दक्षिण-पूर्व एशिया में मिलने वाली बुद्ध की प्रतिमाओं की तस्वीरें इकट्ठी करो।
4. विश्व के मानचित्र में अरबों द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को ढूँढो।
5. इस प्रदेश की प्राचीन मस्जिदों के कुछ चित्रों का संग्रह करो।

परिशिष्ट



महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ईसा पूर्व

2500—1700

हड़प्पा-संस्कृति ।

1500 से

आर्यों का आगमन ।

1200—800 और बाद में गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार ।

600

उत्तर भारत के 16 महाजनपदों का युग ।

599—527

महावीर ।

563—483

गौतम बुद्ध ।

542

बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बैठा ।

492

अजातशत्रु मगध का राजा बना ।

चौथी शताब्दी

मगध में नंद वंश का शासन ।

327—326

सिकंदर का आक्रमण ।

321

चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ।

303

सेल्यूकस निकेटर की चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजय ।

269—232

अशोक ।

260

कलिंग-युद्ध ।

185

मौर्य साम्राज्य का पतन ।

प्रथम शताब्दी

पश्चिमोत्तर में बैक्ट्रियन राजाओं का शासन ।

” ”

सातवाहन वंश का उदय ।

” ”

दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति का आरंभ ।

58

प्राचीन भारत में आमतौर से प्रयोग में आने वाले तिथि-क्रम विक्रम संवत् का प्रारंभ ।

प्रथम शताब्दी

पश्चिम भारत में शक ।

” ”

दक्षिण में संगम-काल ।

ईस्वी सन्

78

प्रायः विद्वान् स्वीकार करते हैं कि इस तिथि को कनिष्क गद्दी पर बैठा और इसी से शक संवत् का प्रारंभ हुआ।

तृतीय शताब्दी

" "

कुषाणों का पतन।

320

सातवाहनों का पतन।

330—380

चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त-संवत् का प्रारंभ।

380—415

समुद्रगुप्त।

405—411

चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य)।

450

भारत में फ्राहयान।

छठवीं शताब्दी

" "

गुप्त साम्राज्य पर प्रथम हूण आक्रमण।

569—632

पल्लव राज्य की स्थापना।

605—647

वातापी में चालुक्यों का उदय।

630—643

इस्लाम के प्रवर्तक (पैगंबर) मुहम्मद।

608—642

हर्षवर्धन।

सातवीं शताब्दी

622

भारत में ह्यूनसाङ्।

712

चालुक्य नरेश पुलकेशिन।

तमिल संत अल्वार और नयन्नार।

हिजरी संवत् का प्रारंभ।

अरबों द्वारा सिन्ध-विजय।

यह याद रखना आवश्यक है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख समस्या तिथियों की अनिश्चितता है। जहाँ कहीं भी स्पष्ट तिथि का उल्लेख नहीं है, प्रत्येक इतिहासकार साक्ष्य के आधार पर अपने ढंग से तिथि निर्धारित करने का प्रयत्न करता है। इस संबंध में सम्राट अशोक का राज्यारोहण एक उदाहरण है। सामान्यतः विवादास्पद तिथियों में 5 से 10 वर्ष तक का अंतर देखने को मिलता है (यद्यपि कनिष्क की तिथि के संबंध में यह अंतर 50 वर्ष से भी अधिक का है)। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की कितनी भी दो पुस्तकों में सब घटनाओं के लिए एक-सी तिथियाँ नहीं मिलतीं।

सुप्रसिद्ध विभूतियाँ

600 ई० पू० से लेकर 400 ई० पू० तक

1. गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक ।
2. महावीर जैन धर्म के प्रचारक ।
3. बिम्बिसार मगध का राजा ।
4. अजातशत्रु मगध का राजा, बिम्बिसार का उत्तराधिकारी ।

400 ई० पू० से लेकर 300 ई० पू० तक

5. सिकंदर मकदूनियाँ का राजा जिसने पश्चिम एशिया और उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण किया ।
6. चन्द्रगुप्त मौर्य मगध का शासक जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली ।
7. कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य का मंत्री जो चाणक्य के नाम से भी विख्यात है और जिसे अर्थशास्त्र का लेखक भी कहा जाता है ।
8. सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी सेनापति जो सिन्धु नदी के पश्चिम में स्थित प्रदेश पर शासन करता था और जिसे चन्द्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था ।
9. मेगस्थनीज एक राजदूत जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चन्द्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था और जो भारत के संबंध में अपनी पुस्तक इंडिका के लिए प्रसिद्ध है ।

300 ई० पू० से लेकर 200 ई० पू० तक

10. बिन्दुसार चन्द्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी ।
11. अशोक बिन्दुसार का उत्तराधिकारी और मौर्य शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध ।

200 ई० पू० से लेकर 100 ई० तक

12. सातकर्ण प्रथम दक्कन के सातवाहन शासकों में सुप्रसिद्ध नरेश ।
13. मिनांडर पश्चिमोत्तर भारत का इंडो-ग्रीक शासक जो बौद्ध हो गया था ।
14. गौतमी पुत्र सातकर्ण सातवाहन शासक जिसने ईसा की प्रथम शती में सातवाहन शक्ति को फिर से स्थापित किया ।
15. कनिष्क पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण शासकों में सबसे महान ।

100 ई० से लेकर 300 ई० तक

16. रुद्रदामन पश्चिम भारत का सबसे बड़ा शक शासक ।
17. नेडुनजेराल अडन केरल का प्रसिद्ध चेर शासक ।
18. अश्वघोष महायान शाखा का प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और कवि, बुद्ध चरित का रचयिता ।
19. चरक भारतीय चिकित्सा शास्त्र (आयुर्वेद) का एक महान आचार्य और इस शास्त्र का प्रामाणिक प्राधिकारी ।
20. सुश्रुत भारतीय आयुर्वेद का महान आचार्य, ग्रंथकार और शल्य-शास्त्री ।

300 ई० से 500 ई० तक

21. चन्द्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक ।
22. समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक जो कवि और संगीतज्ञ भी था ।
23. चन्द्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी जो विक्रमादित्य के नाम से भी विख्यात है ।
24. फ़ाह्यान एक चीनी यात्री जो गुप्त काल में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था ।

25. कालिदास भारत का एक महान कवि और नाटककार जिसने रघु-वंश, कुमार-संभव, भेधदूत, अभिज्ञान-शाकुन्तलम्, विक्रमो-र्वशीय और मालविकाग्निमित्र की रचना की।
26. आर्यभट्ट ज्योतिषी और गणितज्ञ।
27. वराहमिहिर गणित और फलित ज्योतिष का सुप्रसिद्ध ज्ञाता। पंच-सिद्धांतिका का लेखक।

500 ई० से लेकर 800 ई० तक

28. महेन्द्रवर्मन दक्षिण का पल्लव शासक।
29. पुलकेशिन द्वितीय वातापी का चालुक्य राजा जो हर्ष का समकालीन था।
30. हर्ष एक उत्तर भारतीय राज्य का शासक और संस्कृत के तीन नाटकों का लेखक।
31. वाण हर्ष का दरबारी कवि, सुप्रसिद्ध कथा कादम्बरी का रचयिता तथा हर्ष की जीवनी हर्षचरित का लेखक।
32. ह.यूनसाड एक चीनी बौद्ध यात्री जो हर्ष के समय में भारत आया।
33. विशाखदत्त नाटककार। मुद्राराक्षस नाटक का रचयिता।
34. हंडी संस्कृत गद्य-लेखक; दशकुमारचरित का रचयिता।

तुलनात्मक तिथि-क्रम

	मिस्र	इराक (मैसोपोटामिया)	ईरान	भारत	चीन
200					निःहयाह ति
300	सिकंदर को विजय	सिकंदर को बेबिलोन विजय	सिकंदर को विजय	सिकंदर का धारुवण	निःहयाह ति
400	पारसीक प्रभुत्व	पारसीक आधिपत्य	दारयवृहथ	अशोक नव वंश	कांस्य युग III
500	हेरोदोतस की यात्रा	नव बेबिलोन काल	एखिमिनिड	महोत्सव	कांस्य युग II
600		नेबुचनेत्जर	कुशथ (कार्त)	सहावीर	कनकयुगियल
700					
800					
900					
1000					
1100					
1200					
1300	रेमेसेस द्वितीय				
1400	नूतन साम्राज्य नूतन साम्राज्य रेमेसेस द्वितीय नूतन खामेन अखेनातेन	एस्तारपान काल	उत्तर कुरिस्तान	उत्तर नव-पाषाण युग	कांस्य युग II
1500		मध्य बेबिलोनी काल	पारसीकी का प्रवेश	पूर्व नव-पाषाण युग	कांस्य युग I
1600					
1700					
1800					
1900					
2000	मध्य साम्राज्य	हम्मुरबी	मध्य कुरिस्तान	उत्तर-पश्चिमी नव पाषाण युग	
2100		प्राचीन बेबिलोनी काल		दक्षिणी नव पाषाण युग	
2200		सुरेर का पुनरुत्थान			
2300		अर का जिगुराल			
2400		उत्तर अवकादी काल	उत्तर कुरिस्तान	हड़प्पा संस्कृति	
2500		अवकादी	उत्तर कुरिस्तान		
2600	सोढ़ीदार	सारगोन	उत्तर कुरिस्तान		
2700	मिन्सिमिड	अर की शाही समाधियां	उत्तर कुरिस्तान		
2800	मिन्सिमिड	आदि वंश काल	उत्तर कुरिस्तान		
2900		जमवत नल काल	उत्तर कुरिस्तान		
3000					
3100	मिस्र का एकीकरण				
3200					
3300					
3400					
3500					
3600					

पांच शासकों का युग
हिसिआ वंश
याइः शाओ तथा पान शान

चिचिंत भूबुन्द संस्कृति

याइः शाओ तथा पान शान

चाउ वंश

कांस्य युग III

निःहयाह ति

टीका और शब्द-संग्रह

अग्नि

अभिलेख

अमात्य

अम्बार

अश्वमेध

अहिंसा

आदिम अवस्था

इन्द्र

ईडिक्ट

उषा

कर

आग का देवता ।

लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी आदि पर उत्कीर्ण किया जाता था ।

मंत्री ।

विष्णु के भक्त : तमिलनाडु के वैष्णव संत ।

एक प्रकार का अनुष्ठान जिसके द्वारा राजा लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे । एक चुना हुआ घोड़ा राज-कुमारों और सैनिकों के संरक्षण में कई वर्षों तक घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और फिर विस्तृत वैदिक कर्मकांड के साथ किए गए यज्ञ में उसकी बलि दी जाती थी । यह अश्वमेध यज्ञ कहलाता था । इसका उद्देश्य यज्ञ करने वाले राजा की उन प्रदेशों पर प्रभुसत्ता घोषित करना था जिनसे होकर यज्ञ का घोड़ा गुजरता था ।

जीवित प्राणियों को कष्ट न पहुँचाने का सिद्धांत ।

सभ्यता के उदय से पहले की प्रारंभिक अथवा अत्यन्त प्राचीन काल की अवस्था ।

तूफान और युद्ध का देवता ।

आदेश जिसकी एक विशेष अधिकारी द्वारा घोषणा की जाए ।

प्रातः काल की देवी ।

जो धन राज्य की ओर से शासन का खर्च चलाने के लिए नागरिकों से मांगा जाता है ।

कांस्य-युग	वह युग जिसका नव पाषाण-युग के बाद आगमन हुआ और जब कांसे के औजार और हथियार अधिकतर प्रयोग में लाए जाते थे ।
खुरचनेवाला औजार	पत्थर का एक औजार जिससे पाषाण-युग का आदमी खालों को छील-खुरच कर कपड़ों या छाया के लिए काम में लाता था ।
गणराज्य	शासन का एक प्रकार जिसमें शक्ति जनता अथवा निर्वाचित मनुष्यों के समुदाय या निर्वाचित प्रमुख के हाथ में होती है और जिसमें वंशानुगत राजा नहीं होता ।
ग्राम	गाँव में रहनेवाली जन-जाति की एक छोटी इकाई ।
ग्रामणी	ग्राम का मुखिया ।
चकमक	एक प्रकार का कठोर पत्थर जो कंकड़ों की शकल में पाया जाता था और जो प्रायः भूरे रंग का होता था और तोड़ने पर जिसकी धार तेज होती थी और जो कूटने पर नुकीला हो जाता था ।
चित्र-लिपि	एक लिपि जिसमें चित्र संकेतों का प्रयोग होता है ।
चित्रलेख	चित्र की तरह के चिह्न जो अक्षरों या शब्दों को प्रकट करते हैं ।
चैत्य	एक पवित्र स्थान (मन्दिर) ।
जन	किसी कबीले के लोग ।
जन-जाति	एक ही प्रजाति से संबंध रखने वाले कुटुम्बों का समूह ।
जाति	वर्ण ।
ताम्र-पाषाण युग (कैल्कोलिथिक)	वह युग जिसमें ताँबे या कांसे के औजार और हथियार तथा छोटे पत्थर के औजार इस्तेमाल किए जाते थे और जिसमें मनुष्य स्थिर जीवन व्यतीत करता था ।
वस्तु	इस नाम से आर्य लोग अपने से पहले के भारत के निवासियों को पुकारते थे ।

- ब्रेवनागरी लिपि** वह लिपि जिसमें आजकल हिन्दी, मराठी, नेपाली और संस्कृत लिखी जाती है ।
- धर्म-महाभात्र** अशोक के अधिकारी जो देश का दौरा करते थे और लोगों को धर्म का पालन करने के लिए समझाते थे ।
- नयन्नार** शिव के भक्त तमिलनाडु के शैव संत ।
- नव-पाषाण युग** एक युग जब मनुष्य पालिश किए हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पशु पालता था, खेती करता था और गाँवों में स्थिर जीवन बिताता था ।
- निर्वाण** बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की वह स्थिति जब जन्म-मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाती है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता ।
- पारसी धर्म** एक धर्म जिसे ईरान के ज़रथुस्त्र ने बनाया ।
- पाषाण-युग** पाँच लाख वर्ष से भी अधिक पुराना युग जब मनुष्य पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करता था ।
- पितृ-प्रधान कुटुम्ब** एक कुटुम्ब जिसमें सबसे बड़ा-बूढ़ा सदस्य कुटुम्ब का मुखिया समझा जाता है ।
- पुरातत्त्व-विज्ञान** वह विज्ञान जो मानव जाति के भौतिक अवशेषों के आधार पर उसके प्रारंभिक इतिहास एवं संस्कृतियों का अध्ययन करता है । संक्षेप में, प्रारंभिक समाजों और संस्कृतियों के भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पुरातत्त्व-विज्ञान है ।
- पुरातत्त्ववेत्ता** पुरातत्त्व-विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति । पुरातत्त्व-विज्ञान में प्राचीन समय के अवशेषों के आधार पर मनुष्य के पूर्व इतिहास और उसकी संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है ।
- पुरोहित** पुजारी जो धार्मिक कृत्य करवाता था ।

पूर्व-पाषाण युग

(पुराना पत्थर का युग)

प्राकृत

बलि

बाँका (चोपर)

बोधिसत्त्व

ब्राह्मी

भ्रमणशील या खानाबदोश

मंडल या क्षेत्र

मातृ देवी

मुखिया

मुहर

युक्त

राज्य

विश

बिहार

श्रेणी

संगम साहित्य

वह युग जब मनुष्य पत्थर के भद्दे औजार और हथियार बनाता था और घूमने-फिरने वाला जीवन व्यतीत करता था।

प्राचीन भारत में आमतौर से बोली जाने वाली भाषा धार्मिक रीति से किसी देवता को (पशु या पौधे की) बलि चढ़ाना।

पत्थर का औजार जिससे छेदा या काटा जाता था।

बौद्ध धर्म की महायान शाखा में वह व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्त करने के योग्य होकर भी मानवता की सेवा के लिए उस लक्ष्य का परित्याग कर देता है। बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले बुद्ध की स्थिति।

प्राचीन भारत में प्रयोग में आने वाली लिपि।

जन-जातियाँ, जो भोजन की तलाश में जगह-जगह घूम कर जीवन बिताती हैं।

प्रांत।

देवी।

गाँव का प्रधान।

मिट्टी या पत्थर का बना हुआ एक ठप्पा जिसके एक ओर डिजाइन बना रहता था।

मौर्य साम्राज्य का एक अधिकारी, जो करों का हिसाब रखता था।

वह इलाका जिसमें राजा राज करता था और जिस पर उसका अधिकार होता था।

गाँवों का समुदाय, जन-साधारण।

वह स्थान या मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे।

संगठित कारीगरों का समुदाय, गिल्ड या कंपनी।

तमिल में कविताओं का संग्रह जिनकी रचना ईसा पूर्व की अन्तिम और ईस्वी सन् की प्रारंभिक सदियों में हुई।

सभा

एक कबीले के विशिष्ट पुरुषों की जमात ।

सभ्यता

मानव इतिहास की वह स्थिति जिसमें नगरों की स्थापना के बाद-मनुष्य ने अधिक संगठित और व्यवस्थित जीवन बिताना आरंभ किया ।

सभिति

संस्थान जहाँ एक जन-जाति के लोग अपनी समस्याओं पर विचार करते थे ।

स्तूप

बौद्ध अवशेषों का टीला ।

साहित्यिक-साक्ष्य

अतीत को जानने के लिए जो साक्ष्य हमें साहित्य से मिलते हैं ।

सूर्य

प्रकाश का देवता ।

हड़प्पा-संस्कृति

वह संस्कृति जो ई० पूर्व 2500 से लेकर ई० पूर्व 1700 तक सिन्धु, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और गुजरात में फैली हुई थी । हड़प्पा इस संस्कृति का एक स्थान है । सिन्धु इस प्रदेश का मुख्य नदी होने के कारण यह सिन्धु-घाटी की सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है ।

हस्तलिपियाँ (पाँडुलिपियाँ) हाथ की लिखी पुस्तकें अथवा प्रपत्र ।

नागरिक शास्त्र

हमारा नागरिक जीवन

दि० सी० मुले
अमी चंद शर्मा

संपादन मंडळ

अध्यक्ष

डा० वीर बहादुर सिंह

सदस्य

डा० मुहम्मद अनस

कु० अहिल्या चारी

प्रो० सत्य भूषण

डा० दि० सी० मुले

श्री अर्जुन देव

संयोजक

प्रो० भा० स० पारख

प्राक्कथन

'हमारा नागरिक जीवन' माध्यमिक-स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक माला की प्रथम पुस्तक है। कक्षा 6 की इस पाठ्यपुस्तक में उन महत्त्वपूर्ण स्थानीय संस्थाओं पर विचार किया गया है जो हमारे नागरिक जीवन के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं तथा राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर शासकीय कार्यों के संबंध में विचार किया जाएगा। कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में उन सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों पर विचार किया जाएगा जिनका सामना आज हमारे देश को करना पड़ रहा है।

इस पाठ्यपुस्तक में मूल नागरिक प्रक्रियाओं के संबंध में समाज सापेक्ष ज्ञान-सामग्री दी गई है और प्रयास किया गया है कि इनसे नागरिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में सहायता मिले। स्थानीय संस्थाएँ जैसे ग्राम पंचायतें, नगरपालिकाएँ, सहकारी समितियाँ आदि, हमारे ऐसे प्रजातंत्र के आधार हैं जिसमें मंपूर्ण जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है। इस पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों को इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराना और संस्थाओं के प्रति उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना है।

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के रीडर, डा० दि० सी० मुले और प्रवक्ता श्री अमीचन्द शर्मा ने यह पाठ्यपुस्तक लिखी है। पुस्तक की पांडुलिपि संपादन मंडल द्वारा पढ़ी गई और मंडल के सुझावों के अनुसार लेखकों ने पाठ्यपुस्तक को संशोधित किया। संपादन मंडल इनके प्रति आभारी है। प्रो० भा० स० पारख, प्रो० मुहम्मद अनस, कु० अहित्या चारी और श्री अर्जुन देव के प्रति भी उनके सहयोग और योगदान के लिए हम आभारी हैं।

पांडुलिपि मूलतः हिंदी में लिखी गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के यूरोपीय इतिहास विभाग के मेरे सहयोगी डा० के० सी० श्रीवास्तव ने मेरी प्रार्थना पर बहुत थोड़े समय में ही इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। श्री सी० के० वाजपेयी ने पाठ्यपुस्तक के चित्रों की रूपरेखा

नैयार की और इनकी रचना श्री के० सी० बाघ और कु० रजना वाजपेयी ने की। संपादन मंडल इन सबके प्रति कृतज्ञ है।

वी० ब० सिंह


अध्यक्ष,

संपादन मंडल, माध्यमिक स्तर सामाजिक विज्ञान

विषय-सूची

प्राक्कथन	v
अध्याय 1—नागरिक जीवन की तैयारी	1
अध्याय 2—हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप	7
अध्याय 3—गाँवों का पिछड़ापन और सामुदायिक विकास	15
अध्याय 4—हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता	23
अध्याय 5—ग्राम पंचायत	29
अध्याय 6—पंचायती राज	36
अध्याय 7—नगरपालिकाएँ तथा नगर निगम	47
अध्याय 8—ज़िला प्रशासन	55
अध्याय 9—सार्वजनिक संपत्ति	65
अध्याय 10—नागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग	71

हम सब भारतीय हैं



नरसा और इमारत बसति हैं कि भारत हमारा घर है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख
ईसाई हम सभी इस घर में रहते हैं

नागरिक जीवन की तैयारी

गायन्ति देवाः किल गीतकानि,
धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे ।

हम सब भारत के नागरिक

हम सब भारत के निवासी हैं। भारत के निवासी होने के कारण हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक चीनी चीन देश का नागरिक होता है। प्रत्येक जापानी जापान देश का नागरिक होता है। उसी तरह प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक कहलाता है। भारत हम सबका देश है। हमारे देश में लगभग साढ़े पाँच लाख गाँव और ढाई हजार शहर हैं। इन गाँवों और शहरों में हम सब सामूहिक रूप से रहते हैं।

सहयोग से ही जीवन संभव है

हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। हमें खाने को भोजन चाहिए। हमें पहनने को वस्त्र और रहने को मकान चाहिए। इन सारी आवश्यकताओं को हम स्वयं पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें माता-पिता, पड़ोसी, ग्रामवासियों, मजदूर, किसान, दुकानदार आदि की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है।

तुमने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा होगा कि आदिम मानव किस तरह भोजन की खोज में जंगलों में इधर-उधर भटकता था। धीरे-धीरे उसने खेती करना सीखा और वह एक जगह स्थायी रूप से समाज बनाकर रहने लगा। प्राचीन काल में लोगों का जीवन सरल था। उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वे पास की नदी या झील से

पीने के लिए पानी लेते थे। गाँव में जो कुछ अनाज आदि पैदा होता था वही उनका भोजन होता था। आसपास मिलने वाली मिट्टी, फूस और लकड़ी आदि से वे अपने घर बना लेते थे। परन्तु आज कई छोटे और बड़े शहरों में पीने का पानी नलों के द्वारा प्राप्त होता है। खाने की वस्तुएँ देश के कई भागों से आती हैं। उसी तरह मकानों के लिए पक्की ईंट, पत्थर, लोहा और सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आज का मनुष्य भोजन, वस्त्र और मकान के अलावा, शिक्षा और मनोरंजन भी चाहता है। उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। इनको पूरा करने के लिए कई मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए रेल, डाक, तार, बिजली आदि के प्रबन्ध के लिए लाखों कर्मचारी-पुरुष और स्त्री मिलकर हमारी सहायता करते हैं। इस सहायता से हमारा जीवन चलता है।

समाज और नियम


इस तरह हम देखते हैं कि समूह में रहने की भावना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने कुटुंब और समाज का निर्माण किया। हम प्रत्येक पल कुटुंब या समाज में रहते हैं। जिस तरह हम हवा को प्रत्येक पल अपने फेफड़ों में लेते हैं और निकालते हैं, लेकिन उसका आभास हमें हर पल नहीं होता, उसी तरह कुटुंब और समाज में चौबीस घंटे रहते हुए भी उसका हमें आभास नहीं होता। तुम्हारे माता-पिता और भाई-बहिन मिलकर कुटुंब कहलाते हैं। तुम अपने कुटुंब के एक सदस्य हो। यह कुटुंब तुम्हारा समाज है। तुम स्कूल में पढ़ते हो। तुम्हारे स्कूल में अन्य विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। तुम्हें स्कूल में बहुत से शिक्षक पढ़ाते हैं। इन विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलाकर तुम्हारे स्कूल का समाज बनता है। उसी तरह तुम्हारे पड़ोस, गाँव या शहर में रहने वाले लोगों को भी समाज कहते हैं।

कुटुंब, स्कूल और पड़ोस में लोगों की जो गतिविधियाँ चलती हैं, उन्हें हम नागरिक जीवन कहते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, नागरिक जीवन सहयोग पर आधारित है। जब कई व्यक्ति एक साथ रहते हैं और मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो उन्हें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है।

नागरिक जीवन की तैयारी

स्कूल और नागरिक जीवन

तुम्हारे स्कूल के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन प्रत्येक छात्र को करना होता है। तुम्हारा स्कूल 10 बजे सुबह शुरू होता है। प्रत्येक छात्र को समय पर स्कूल में आना आवश्यक है। यदि कोई छात्र समय पर स्कूल नहीं आता है तो उसे दंड दिया जाता है। समाज में भी कई व्यक्ति नियमों को कभी-कभी तोड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दंड देने के लिए एक संगठन या सत्ता की आवश्यकता होती है। तुम्हारा स्कूल भी एक संगठन है। तुम्हारे अध्यापक और शिक्षक मिलकर स्कूल के नियम बनाते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर वे दंड भी देते हैं।



पास-पड़ोस को स्वच्छ रखने में हम अपने स्कूल और स्थानीय शासन
को मदद कर सकते हैं।

जो कार्य हमें नियम के अनुसार करना होता है, उसे हम कर्त्तव्य भी कह सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना हमारे हित में होता है। समय पर स्कूल में आना, स्कूल में दिए काम को ठीक ढंग से करना और मन लगाकर पढ़ना तुम्हारी भलाई के लिए है। इसलिए ये सब तुम्हारे कर्त्तव्य हैं। तुम्हारे स्कूल में खेल-कूद प्रति-

योगिता, संगीत, वाद-विवाद आदि कार्यक्रम होते होंगे। इन सबमें भाग लेना भी तुम्हारा कर्त्तव्य है। इस तरह तुम्हारे स्कूल के नागरिक जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। एक—स्कूल के नियमों का पालन करना, दूसरा—शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों को उनके कामों में सहायता करना और तीसरा—स्कूल के सारे कार्यक्रमों में रुचि लेना और अपनी योग्यता के अनुसार उनमें भाग लेना।

कुटुंब और नागरिक जीवन

कुटुंब को नागरिक जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई माना जाता है। नागरिक जीवन की बहुत-सी आवश्यक बातें तुम कुटुंब में सीख सकते हो।



कुटुंब में हम नागरिकता के कई गुण सीखते हैं

तुम्हारे कुटुंब में बहुत-से छोटे-बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे, तुम्हें या तुम्हारी बहिन को स्कूल में शिक्षा दिलाना है या नहीं। उन्हें किस स्कूल में प्रवेश दिलाना है। उन्हें किस तरह के और कौन से कपड़े सिलवाने हैं? किस दर्जी से सिलवाने हैं? इस तरह की कई बातों में रोज निर्णय लिए जाते हैं। शायद ये बातें तुम्हारे माता-पिता निश्चित करते होंगे। लेकिन कुटुंब के इन सब निर्णयों में रचि लेना और संभव हो सके तो उनमें भाग लेना, तुम्हारा भी कर्तव्य है। उसी तरह अपने भाई-बहिन और माता-पिता को उनके कामों में मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है।

गाँव, शहर और नागरिक जीवन

तुम्हारे पड़ोस, गाँव या शहर में अनेक कुटुंब रहते हैं। इस तरह गाँव या शहर में बहुत से व्यक्ति रहते हैं। बहुत-से व्यक्तियों को एक जगह सामूहिक रूप से रहने के कारण कई प्रश्न और समस्याएँ पैदा होती हैं। सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत का प्रश्न, बिजली या रोशनी के प्रबन्ध का प्रश्न, महामारी या छूत की बीमारी फैल जाये तो उसे रोकने का प्रश्न, गाँव या शहर में पीने के पानी के प्रबन्ध करने की समस्या आदि प्रश्न सुलझाने होते हैं। इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए सारे नागरिक एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन को हम स्थानीय शासन कहते हैं। लेकिन तुम भी इन प्रश्नों को हल करने में शासन की सहायता कर सकते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम स्वयं साफ और स्वच्छ रहोगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, तो तुम्हारे गाँव या शहर में कई बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। यदि घर का कूड़ा-करकट सड़क पर न फेंका जाए, तो तुम्हारे गाँव या शहर की सड़कें साफ रखने में मदद मिल सकती है।

कुटुंब, स्कूल, गाँव और शहर के जीवन में तुम्हारा बहुत महत्त्व है। इन सबके लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन यह सब करने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। पहले स्थानीय शासन के विषय में जानना होगा। अपनी नागरिक योग्यताएँ बढ़ानो होंगी। नागरिक शास्त्र की इस पुस्तक में आगे तुम यही सब बातें सीखने वाले हो।

हमारा नागरिक जीवन

अभ्यास

1. नागरिक जीवन किसे कहते हैं ? केवल चार वाक्यों में लिखो ।
2. कोई एक उदाहरण देकर बताओ कि कैसे सहयोग से हमारा जीवन चलता है ।
3. स्कूल को ठीक ढंग से चलाने के लिए जो बातें आवश्यक हैं, उनमें से केवल दो मुख्य बातें बताओ ।
4. अपने कुटुंब के सदस्यों की तुम किन-किन बातों में मदद करते हो ?

कुछ करने को

अपने स्कूल के किसी कार्यक्रम की गतिविधियों को ध्यान से देखो । पता लगाओ शिक्षक और विद्यार्थी किस तरह एक-दूसरे की सहायता करते हैं ।

हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप

हमारे गाँव

हमारा देश वास्तव में गाँवों का देश है। हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं। तुम पहले पढ़ चुके हो कि भारत में साढ़े पाँच लाख से भी अधिक गाँव हैं। इनमें से कुछ गाँव शहरों तथा कस्बों के पास बसे हैं लेकिन अधिकतर गाँव शहरों से दूर हैं।

खेती ग्रामवासियों का मुख्य धंधा होता है। इसलिए गाँव में मुख्यतः किसान रहते हैं। किसानों के अतिरिक्त कुम्हार, बढ़ई, लुहार, धुनिया, नाई आदि व्यक्ति भी गाँव में रहते हैं। अधिकतर ग्रामवासियों के मकान मिट्टी के बने होते हैं और उनपर फूस के छप्पर होते हैं। गाँव वालों के मकान में प्रायः एक या दो कमरे होते हैं। इन मकानों में गुसलखाने आदि की व्यवस्था नहीं होती। लगभग सभी गाँव वाले किसी न किसी प्रकार का पालतू पशु अपने साथ रखना पसन्द करते हैं। गाँव वालों का रहन-सहन सादा होता है। कुर्ता, धोती, सिर की पगड़ी उनका मुख्य पहनावा है। पैरों के लिए गाँव के मोची द्वारा बनाए सीधे-सादे चमड़े के जूते होते हैं। गाँव की गलियाँ सकरी और तंग होती हैं। प्रायः गाँव अनियोजित ढंग से बसे होते हैं।

जमींदारी

भारत की स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में गाँव बहुत ही पिछड़े हुए थे। इनके सुधार और प्रगति के लिए अंग्रेजी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता से पहले गाँव में जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा गाँव के विकास में बाधक थी। जमींदार लोग केवल अपने ही स्वार्थ की बात सोचते थे। वे किसानों की गरीबी और निर्धनता का अनुचित लाभ उठाते थे। जमींदारी गाँव की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण थी।

हमारे गाँव बदल रहे हैं



गाँवों की पुरानी परिस्थितियाँ बाईं ओर बर्शाई गई हैं और बदलती हुई परिस्थितियाँ दाईं ओर।
बाईं ओर बिना हुआ पक्षी बीमारी और ज्वाली का द्योतक है

गाँव का पिछड़ापन

स्वतंत्रता से पहले खेती की सिंचाई के लिए आधुनिक साधन नहीं थे। कई जगह चरस की सहायता से गाँव में खेतों की सिंचाई होती थी। कुछ जगह तो हाथ से पानी खींचकर सिंचाई होती थी। कहीं-कहीं रहट भी दिखाई दे जाते थे। बिजली से चलने वाली मोटर की संख्या नहीं के बराबर थी। ग्रामवासियों का सोचने का ढंग बड़ा पुराना था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रामवासी परिचित न थे। अच्छे बीज और खाद का तो किसानों को पता ही न था। कुछ उन्नतिशील गाँव ही सड़कों से जुड़े थे। इनके अतिरिक्त लोगों को पैदल या गाड़ी के कच्चे रास्ते से एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता था। वर्षा के दिनों में तो इन गाँवों का संबंध आसपास के सभी जगहों से टूट जाता था।

शिक्षा के लिए कुछ ही गाँवों में प्राइमरी स्कूल थे। हाई स्कूल और कालेज केवल नगरों में ही थे। बीमारों के इलाज के लिए गाँववालों को नीम हकीम वैद्यों या हकीमों पर निर्भर रहना पड़ता था। मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। टेलिविज़न की तो बात ही क्या, रेडियो और ट्रांज़िस्टर तक लोगों ने नहीं देखा था।

गरीबी, निरक्षरता, बीमारियाँ तथा अन्ध विश्वास हमारे गाँवों की प्रमुख समस्याएँ हैं। मनुष्य के विकास में यह सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश की सरकार ने अपना पहला ध्यान गाँवों के विकास की ओर लगाया।

पंचवर्षीय योजनाएँ

इन समस्याओं का समाधान एक या दो वर्ष में संभव नहीं है। अतः इनके समाधान के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामवासियों की सभी क्षेत्रों में उन्नति करना है। इसके अन्तर्गत ग्रामवासियों का स्वास्थ्य, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई, अच्छे बीज, रासायनिक खाद तथा अच्छे औजार का प्रबन्ध, स्कूल, अस्पताल और पोस्ट आफिस, आवागमन के साधन इत्यादि का विकास आदि बातें आती हैं। इन योजनाओं की सफलता सरकार और जनता के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है।

गाँवों की प्रगति और विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे गाँव बदल रहे हैं। आज देश के प्रायः प्रत्येक गाँव में प्रगति और विकास की कोई न कोई झलक दिखाई पड़ती है। गाँवों की प्रगति में जमींदारी प्रथा सबसे प्रमुख बाधा थी, इसलिए इस प्रथा को मिटाना बहुत आवश्यक था। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश की सरकार ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा का अन्त किया।

भूमिहीन मजदूर

हमारे देश में खेती करने वाले बहुत से मजदूर भूमिहीन होते हैं। ये मजदूर दूसरे लोगों के खेतों पर काम करते हैं और अनाज पैदा करते हैं। लेकिन इनकी स्वतः की कोई ज़मीन नहीं होती, जिसपर ये खेती कर सकें। हमारे देश में इन भूमिहीन मजदूरों का हमेशा से शोषण होता रहा है। गाँव के जमींदार और बड़े किसान इनका अनुचित फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन अब इन भूमिहीन लोगों को जमीनें दी जा रही हैं। अब ये अपने स्वतः के खेतों पर काम कर सकेंगे और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ यह अपनी गरीबी से भी मुक्त हो सकेंगे।

हमारे देश की खेती की उपज में कई गुना वृद्धि हुई है। देश के बहुत से किसान अब अच्छे खाद और बीज का उपयोग करते हैं। कई किसान खेती के लिए सुधारें हुए यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। देश की कई नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाए गए हैं, जैसे भाखरा-नांगल, तुंगभद्रा, नागार्जुनसागर, हीराकुंड आदि। सिंचाई के लिए नहरों का विस्तार किया गया है। देश के कई भागों में लाखों की संख्या में नलकूप लगाए गए हैं। इन नलकूपों से खेती में अच्छी सिंचाई होती है। अब तो अनेक गाँवों में ट्रैक्टर, शिशम-मशीन आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह गाँवों में खेती के कई कामों के लिए मशीनें उपयोग में आने लगी हैं।

शिक्षा

शिक्षा से मनुष्य का जीवन प्रगतिशील बनता है। शिक्षित किसान खेती के नए

और वैज्ञानिक तरीके जान सकते हैं और उन्हें अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसलिए गाँव में शिक्षा के प्रसार को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। मामूली जनसंख्या वाले सभी गाँवों में भी प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। प्राइमरी शिक्षा सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त कर दी गई है। जिन वयस्कों को बचपन में शिक्षा नहीं मिली, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है। रात्रि-पाठशालाएँ खोली जा रही हैं।



वयस्कों के लिए रात्रि-पाठशाला

स्वास्थ्य सेवा


शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत प्रगति हुई है। गाँव में जगह-जगह दवाखाने खोले जा रहे हैं और डाक्टर भेजे जा रहे हैं। पहले चेचक, हैजा जैसे रोगों से हमारे गाँव में हर साल हजारों व्यक्ति मर जाते थे। अब इन बड़े रोगों की रोकथाम

कर दी गई है। जगह-जगह पर परिवार नियोजन केन्द्र खोले गए हैं जिनसे हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने में मदद मिलती है।

ग्राम विकास

अनेक गाँवों को आसपास के कस्बों तथा नगरों से कच्ची तथा पक्की सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया है। अब मोटर, बस तथा माल से भरे ट्रक इन गाँवों में पहुँचने लगे हैं। अब गैरों का माल सरलता से बाहर ले जाया जा सकता है और बाहर से माल सरलता से गाँव में लाया जा सकता है। इससे गाँवों की आर्थिक उन्नति में बहुत मदद मिलती है। बहुत से गाँवों में डाकघर खोले गए हैं। कुछ गाँवों में बैंकों की शाखाएँ भी खोली गई हैं। किसानों की आय बढ़ाने तथा उनके बच्चों को रोजगार दिलाने हेतु लघु उद्योग धंधों का विकास ग्रामों में किया जा रहा है। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, टोकरी, चटाई आदि बनाना लघु उद्योग कहलाते हैं।

गावों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने में विद्युतिकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि सभी राज्यों में गाँवों का विद्युतिकरण किया जा रहा है। पंजाब,



बिजली हमारे गाँवों में प्रगति ला रही है

हरियाणा, मद्रास, महाराष्ट्र तथा दिल्ली जैसे राज्यों ने विद्युत्करण में काफी प्रगति की है। गाँवों में बिजली पहुंच जाने से खेती के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह बिजली के द्वारा जीवन की अनेक सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। रात्रि में रोशनी, संगीत, नाटक, समाचार आदि को सुनने के लिए रेडियो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अब तो प्रायः सभी गाँवों में ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त तुमने गाँव में लोगों के पास घड़ी, टार्च आदि भी देखी होंगी।

इन सब बातों से पता चलता है कि गाँवों में प्रगति हो रही है। गाँवों का चित्र बदल रहा है। लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरे उन्नत देशों की तुलना में हमारे गाँव अभी भी पिछड़े हुए हैं।

गाँवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 'सामुदायिक विकास योजना' शुरू की गई है। अगले पाठ में तुम इस योजना के विषय में विस्तार से पढ़ोगे। इस पाठ से तुमको पता लगेगा कि गाँवों के विकास के लिए ग्रामवासी और सरकार क्या कदम उठा रहे हैं।


अभ्यास

1. गाँवों की किन्हीं चार बातों का उल्लेख करो ?
2. स्वतंत्रता के पूर्व कृषि की क्या दशा थी ?
3. उन तीन बातों का उल्लेख करो जिनके कारण हमारे देश की खेती की पैदावार में वृद्धि हुई है।
4. गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ने से जो लाभ हुआ है उनमें से किन्हीं तीन का उल्लेख करो ?
5. गाँव के रहन-सहन में बिजली आने से क्या परिवर्तन हुआ है ?
6. स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे गाँवों में किन क्षेत्रों में प्रगति हुई ?
7. कृषि की उन्नति के लिए किसानों की शिक्षा क्यों आवश्यक है ?

कुछ करने को

तुम्हारे पास-पड़ोस में कोई गाँव अवश्य होगा या तुम किसी गाँव में रह रहे होगे। वहाँ जाकर यह पता लगाओ कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाता है।

ग्राम सेवक



वह ग्रामवासियों का दोस्त और मार्गदर्शक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्राम सेवक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है

गाँवों का पिछड़ापन और सामुदायिक विकास

हमारे गाँवों की उन्नति की गति बहुत धीमी है। विकसित देशों में केवल कुछ लोग ही खेती करते हैं। ये कुछ लोग न केवल अपनी सारी जनसंख्या के लिए वरन् विदेश को भेजने के लिए भी खाद्य पदार्थ पैदा कर लेते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनता खेती करती है। परन्तु अक्सर हमारे किसान इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते जो अपने देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। खेती से उनको इतनी आमदनी नहीं होती कि वह अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकें और एक सुखी जीवन के लिए जरूरी चीजें बाजार से खरीद सकें।

स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश की उन्नति की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। स्वतंत्रता के बाद यह अनुभव किया गया कि हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा हमारी ग्रामीण जनता का पिछड़ापन है। गाँव के पिछड़ेपन के कई कारण हैं।

असमानता

गाँव के कुछ किसानों के पास बहुत अधिक जमीन है। ऐसे किसान भूमिहीन मजदूरों या गरीब किसानों की मदद से खेती करते हैं। मजदूरों को दूसरों के खेतों पर काम करने में इतनी रुचि नहीं होती जितनी उनको अपनी स्वतः के खेतों पर होती है। उनके पास स्वतः की कोई जमीन नहीं होती जिस पर वे खेती कर सकें। इसका पैदावार पर भी बहुत असर पड़ता है। अतः जमीन के पुनः बँटवारे की आवश्यकता महसूस होने लगी है और राज्य की सरकारें इसके लिए प्रयत्न भी कर रही हैं। भूदान आंदोलन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। अब सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि फालतू जमीन भूमिहीन मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों में बाँट दी जाए।

हमारे समाज में जाति-पाति की बड़ी समस्या है। हमारा समाज ऊँची और नीची जातियों में बँटा हुआ है। दलित वर्ग के लोग गाँवों की प्रगति के लिए कितना काम करते हैं फिर भी उन्हें कई लोग नीचा समझते हैं। दलित वर्ग को जबतक हम नीचा समझेंगे तबतक उससे देश की उन्नति में पूरा सहयोग नहीं मिल सकेगा। जाति-पाति के भेद-भाव से देश कमजोर होता है।

देश की उन्नति के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है।

कुप्रथाएँ

गाँव में एक और समस्या उधार की है। समय-समय पर किसान को अपने खेत के लिए हल, बैल, बीज और खाद खरीदना पड़ता है। उसको प्रति वर्ष निश्चित समय पर लगान और सिंचाई का कर देना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर उनको गाँव के किसी महाजन से ऋण लेना पड़ता है। ये महाजन उनसे काफी सूद लेते हैं। कभी-कभी किसान कर्जों के बोझ से जीवन भर के लिए दब जाता है। किसान को इन सूदखोरों से बचाने की आवश्यकता है।

अनेक कुप्रथाओं के कारण ग्रामीण जनता की कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। सगाई, विवाह और जन्म-मरण के संस्कारों पर गाँव के लोग बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि इन अवसरों पर बड़ें-बड़े भोज देने के लिए उन्हें ऊँचे दर पर कर्जा लेना पड़ता है। कभी-कभी खेत, मकान, जेवर भी गिरवी रखने पड़ते हैं। बढ़ते-बढ़ते यह रकम इतनी बढ़ जाती है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है और उनके खेत, मकान आदि बिक जाते हैं। दहेज भी हमारे देश की बहुत बड़ी कुप्रथा है। इन कुप्रथाओं को हमें मिटाना होगा।

अंध विश्वास और अज्ञानता

अज्ञानता और निरक्षरता के कारण ग्रामीण समाज पिछड़ा हुआ है। कई लोग अज्ञानता के कारण परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। अधिक बच्चों के होने से

उनको अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कुटुंब की गरीबी बढ़ती जाती है। अनेक ग्रामीण और नगर निवासी चेचक और दूसरी बीमारियों को देवी-देवताओं का प्रकोप समझ कर उनको झाड़-फूंक से अच्छा कराने का प्रयत्न करते हैं। देवी का प्रकोप समझकर वे बच्चों को चेचक का टीका भी नहीं लगवाते हैं। चेचक के कारण कई बच्चे अंधे हो जाते हैं, उनका चेहरा बिगड़ जाता है। ये सब अंधविश्वास के कारण हैं। नासमझी के कारण किसान गोबर को ईंधन के तौर पर जला देते हैं। वे गाँवों में लाल दवाई, क्लोरीन इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। इससे गाँव का पानी दूषित और खराब हो जाता है। इसी पानी को पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। कई लोग सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते। वे गलियों और नालियों में कूड़ा-करकट फेंक देते हैं। इन सबसे गन्दगी फैलती है। गन्दगी का उनके स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है।

खेती की पैदावार वैज्ञानिक ढंगों के अपनाने से ही बढ़ सकती है। खेत में फसल की किस्मों को बदलने, उसमें रसायनिक खादों का प्रयोग करने अथवा सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध करने पर एक या दो की जगह तीन फसलें तक उगाई जा सकती हैं। अच्छा उन्नत बीज भी पैदावार को बढ़ाता है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए कीट नाशक दवाइयों का छिड़कना भी आवश्यक है। अनाज को भी दवाई छिड़ककर घुन से बचाया जा सकता है। यह सब तभी संभव है जब गाँव के लोग अंधविश्वास को छोड़ दें और खेती के नए तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने का प्रयत्न करें। पढ़ा-लिखा किसान ही एक अच्छा किसान बन सकता है।

ग्रामीण स्त्रियाँ

गाँव में अभी भी स्त्रियों की दशा पिछड़ी है। बहुत-से लोग स्त्रियों को अधिक शिक्षा देने का विरोध करते हैं। इससे ग्रामीण जनता की उन्नति में बाधा पड़ती है। बच्चों के चरित्र निर्माण का दायित्व बहुत कुछ माताओं पर ही होता है। स्त्रियों को पिछड़ा रखना देश की संतानों को पिछड़ा रखना है। देश की स्त्रियाँ पूरी जनसंख्या का

आधा भाग हैं। उनको पिछड़ा रखना देश के आधे भाग को पिछड़ा रखना है। देश की उन्नति के महान कार्य में पुरुष और स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े सबका महत्व है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

भारतीय गाँव के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए “सामुदायिक विकास” नामक कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम का समारंभ दो अक्टूबर 1952 को किया गया। सबसे पहले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ गाँवों को चुना गया। धीरे-धीरे यह कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। आज भारत के लगभग सभी गाँव इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सारे देश में सामुदायिक विकास खंड बनाए गए। सारे देश में सामुदायिक खंडों की संख्या लगभग 5,000 है। प्रत्येक खंड में लगभग सौ गाँव होते हैं। एक खंड की जनसंख्या लगभग 1,00,000 होती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव का विकास करना है। यह विकास तीन बातों पर निर्भर करता है। एक—क्षेत्र में पैदा होने वाले अनाज तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि; दो—ग्रामीण जनता का पूर्ण विकास, और तीन—ग्रामीण जनता का गाँव के विकास में सहयोग। इन तीनों बातों को इस कार्यक्रम में महत्व दिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है।

कार्य

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, वे इस प्रकार हैं :

1. गाँव की बंजर तथा बेकार भूमि का उपयोग।
2. सिंचाई के साधनों का विकास।
3. अच्छे बीज, खेती करने के नए औजार, अच्छी नस्ल के पशु तथा खाद इत्यादि का प्रबन्ध।
4. गाँव में फल, बाग, सब्जी, बेड लगाने का प्रबन्ध।

5. गाँव में बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था ।
6. गाँव में स्वच्छता रखने के लिए खाद के गड्ढों, नालियों आदि का प्रबन्ध । ब्रामारों के लिए औषधालय की व्यवस्था । स्त्रियों और बच्चों के लिए उपचार का विशेष इन्तज़ाम ।
7. ग्रामवासियों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक औज़ार इत्यादि की जानकारी कराने का प्रबन्ध ।
8. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना । छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना द्वारा गाँव के लोगों की बेकारी दूर करना ।
9. हवादार, सस्ते तथा पक्के मकान बनाने का प्रबन्ध करना ।
10. मनोरंजन की सुविधा के लिए मेले, नाटक, कीर्तन-मंडली, सिनेमा, खेल-कूद, नृत्य, संगीत, इत्यादि का प्रबन्ध करना ।

बी० डी० ओ०

इन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है । ज़िला स्तर पर विकास कार्य ज़िला परिषदों द्वारा किया जाता है । ज़िले को कई खंडों या ब्लाकों में बाँट दिया जाता है । प्रत्येक ब्लाक-स्तर पर एक ब्लाक समिति कार्य करती है । इस समिति को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए एक अधिकारी होता है जिसे बी. डी. ओ. (ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर) या खंड विकास अधिकारी कहते हैं । बी.डी. ओ. को कार्यक्रम सम्बन्धी सभी जानकारी होती है । उसकी मदद के लिए कई विस्तार अधिकारी होते हैं । यह अधिकारी कृषि, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा इत्यादि के विशेषज्ञ होते हैं । बी. डी. ओ. इन सरकारी कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करता है ।

ग्राम सेवक

ग्राम सेवक गाँव के स्तर पर विकास के कार्यों में सबसे अधिक मदद करता है । ग्राम सेवक का पद बड़े महत्व का है । खेती किस प्रकार की जाए, खाद का ठीक प्रयोग

किस प्रकार किया जाए, अच्छे बीज की क्या पहचान है, पशुओं की प्रारंभिक चिकित्सा किस प्रकार की जाए, गाँव के लोग स्वस्थ जीवन किस प्रकार बिताएँ इत्यादि बातों में वह गाँव वालों को सलाह देता है। प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में लगभग 10 गाँव होते हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कारण हमारे गाँवों में उन्नति हुई है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है। इसकी सफलता ग्रामवासियों के एक-दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत और पंचायत राज की स्थापना की गई। इसके विषय में तुम अगले पाठों में पढ़ोगे।

अभ्यास


1. भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं ? भूमिहीन मजदूर की दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?
2. अधिक बच्चों के कारण परिवार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?
3. ऐसी चार कुप्रथाओं का उल्लेख करो जिनके कारण ग्रामीण जनता की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं ?
4. उन तीन वैज्ञानिक ढंगों का नाम बताओ जिनका पालन करने से खेती की पैदावार बढ़ सकती है ?
5. सामुदायिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन कामों पर ध्यान दिया जाता है उनमें से किन्हीं चार का उल्लेख करो।
6. ग्राम सेवक, ग्रामवासियों की किस प्रकार सहायता करता है ?
7. कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरो ?

- (क) सामुदायिक कार्यक्रम का समारंभ.....किया गया। (26 जनवरी, 1950, 30 मार्च, 1953, 2 अक्टूबर, 1952)
- (ख) सामुदायिक कार्यक्रम का उद्देश्य.....है। (वैदेशिक संबंधों में सुधार, पुलिस सेवा में सुधार, ग्रामीण जनता की उन्नति)

कुछ करने को

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी गाँव में हुई चार उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी एक सूची बनाओ।

सहकारिता हमारे भविष्य की आशा



स्कूल सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, कृषि साख समितियाँ सभी जनता की आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करती हैं। इनकी सफलता हम सबके सहयोग पर निर्भर है।"

हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता

आर्थिक प्रश्न और नागरिक जीवन

किसी भी देश के नागरिक जीवन पर उसके आर्थिक जीवन का गहरा प्रभाव पड़ता है। “बुभुक्षितः किं न करोति पापम्।” इस संस्कृत कहावत का अर्थ है कि जो भूखा है, वह व्यक्ति कौन से पाप नहीं कर सकता ? समाज में यदि गरीबी हो तो उस समाज का नागरिक जीवन भी निचले दर्जे का होता है। गरीबी और अज्ञानता अच्छे नागरिक जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

हमारी अधिकाँश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञान है। गरीबी के कारण किसान अच्छे बीज और अच्छे खाद नहीं खरीद सकता। उसे धन का हमेशा अभाव रहता है। उसे साहूकार से ऋण लेना पड़ता है। साहूकार किसान की इस लाचारी का फ़ायदा उठाकर उससे मनमाना सूद वसूल करता है। और इस तरह किसान हमेशा के लिए ऋण के बोझ से दब जाता है। अज्ञानता के कारण किसान खेती के नए तरीके भी नहीं जान पाता और अपनी पैदावार बढ़ा नहीं पाता।

उसी तरह शहरों में भी कई आर्थिक प्रश्न हैं। मँहगाई होने के कारण शहर की गरीब जनता न अच्छा खा सकती है और न अच्छा पहन सकती है। शहरों में व्यापारी और दुकानदार वर्ग कीमतों को बढ़ा कर अधिक मुनाफ़ा लेने का प्रयत्न करता है।

इन सब आर्थिक प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न सरकार कर रही है। लेकिन जनता को स्वयं भी अपनी कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सहयोग और मिल-जुल कर काम करने से इन प्रश्नों को मुलजाने में काफी मदद मिल सकती है।

सहकारिता क्या है ?

सहकारिता का अर्थ है मिल-जुल कर काम करना। आपसी सहयोग का ही दूसरा नाम है सहकारिता। सहयोग और सहकारिता के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यदि सहयोग है तो कोई काम ऐसा नहीं जो न किया जा सके।

किसी आर्थिक उद्देश्य को लेकर कुछ लोग मिलकर सहकारी समिति बना लेते हैं। तुम्हारे स्कूल में शायद किताबों की सहकारी दुकान होगी। सहकारी समिति में प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए सदस्यता की फीस देनी पड़ती है। इस तरह समिति के पास कुछ पैसा जमा हो जाता है। इन पैसों से कुछ चीजें थोक बाजार से खरीद ली जाती हैं। इन चीजों को उचित दामों में जनता को बेच दिया जाता है। सहकारी समिति इन चीजों पर उतना ही मुनाफ़ा लेती है जिससे उसका खर्च चल सके।

सहकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से सहकारी समिति के सदस्य बनते हैं। सब सदस्यों को समान अधिकार होते हैं। सहकारी समिति को जो लाभ होता है उसे सदस्यों में बाँट दिया जाता है। स्पर्धा और स्वार्थ को सहकारिता में जगह नहीं है। सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं।

सहकारिता से लाभ

मुनाफ़ाखोरी से बचाव : बाजार की प्रायः प्रत्येक चीज़ कई व्यापारियों के हाथों से गुजरती है। जो चीज़ जहाँ पैदा होती है, वह हमेशा वहीं नहीं बिक जाती। उसको थोक के व्यापारी खरीद लेते हैं और मुनाफ़े पर फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं। फुटकर दुकानदार भी अपना मुनाफ़ा लेकर जनता को बेच देता है। इस तरह प्रत्येक व्यापारी अधिक-से-अधिक लाभ लेना चाहता है। उपभोक्ता के पास पहुंचने तक चीज़ का दाम बहुत बढ़ जाता है।

सहकारी समिति थोक से अच्छा सामान खरीदकर अपने सदस्यों और जनता को सही दाम पर देती है। इस प्रकार वह अपने सदस्यों और जनता को मुनाफ़ाखोरों से बचा लेती है।

कई जगह उपभोक्ता सहकारी समितियाँ खोली गई हैं। ये समितियाँ उपभोक्ताओं को चीजें सही दामों पर बेचती हैं। इनके सामान में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। उपभोक्ता सहकारी समितियों का उद्देश्य बाजार में बढ़ती हुई कीमतों को रोकना भी है।

कई स्कूलों में स्कूल की सहकारी समितियाँ विद्यार्थियों को सही दामों पर पुस्तकें, कपियाँ आदि बेचती हैं। वैसे स्कूल सहकारी समितियों का उद्देश्य मुख्यतः शैक्षणिक होता है। इन समितियों के द्वारा विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना और संगठन चलाने की योग्यता पैदा की जाती है।

सूदखोरी से रक्षा

गरीब किसान, मजदूर इत्यादि कमजोर वर्ग को कभी-कभी मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है। इस मजबूरी का फायदा उठाकर महाजन अधिक से अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं।

कई सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को कर्ज भी देती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों को उनकी उचित आवश्यकताओं के लिए कम से कम सूद पर कर्ज देती हैं। इस तरह सदस्य सूदखोरी से बच जाते हैं।

किसान को साहूकार की सूदखोरी से बचाने के लिए प्राथमिक कृषि साख (उधार) समितियाँ बनाई गई हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया उधार देती हैं। ये समितियाँ सूद लेती हैं, परन्तु उतना ही जितना इनके लिए आवश्यक होता है। समितियों के कुछ दफ्तर के खर्चे होते हैं और कुछ रुपया सुरक्षित कोष के लिए आवश्यक होता है। यदि इसके बाद भी कुछ रुपया बच जाता है तो ये समितियाँ उसको शिक्षा आदि के लिए दान कर देती हैं।

कर्जा ऐसे कामों के लिए दिया जाता है जिससे किसान के खेत की पैदावार बढ़े। परन्तु कभी-कभी महाजन का कर्जा चुकाने और विवाह आदि के खर्च के लिए भी ऋण दिया जा सकता है।

कृषि में सहायता : हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांशतः छोटे किसान हैं जो गरीब हैं और पुराने ढंग से खेती करते हैं। इनकी पैदावार बहुत कम

है। ये किसान वर्ष में कुछ महीने बेकार भी रहते हैं। यदि इनको नए और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में सहायता और बेकारी के समय काम करने की सुविधा मिले तो उनकी आय बढ़ सकती है।

सहकारी समितियाँ किसानों को अच्छे और सस्ते बीज, खाद, खेती के औजार, सिंचाई के लिए पानी, अनाज को रखने के लिए गोदाम, पैदावार बेचने के लिए बाजार, गाय-बैल-भैंस आदि खरीदने के लिए उधार आदि का प्रबन्ध करती हैं। इससे किसान की आय बढ़ सकती है और वह सुखी और संपन्न हो सकता है।

बहुदेशीय समितियाँ

पहले साख समितियाँ केवल रुपया उधार देने का काम करती थीं। अब ऐसी समितियाँ भी बनाई गई हैं जो कई काम एक साथ करती हैं। ऐसी सहकारी समितियों को बहुदेशीय या बहुध्येयी समितियाँ कहा जाता है। किसान को रुपया उधार देने के साथ-साथ ये समितियाँ उनको बीज, खाद और खेती के औजार भी बेचती हैं।

कुछ सहकारी समितियाँ व्यापार का काम भी करती हैं। ये दूध, रूई और कपास को खरीदती और बेचती हैं। उत्तर प्रदेश में घी, पंजाब में अंडे और बंबई में फल और सब्जियों का बहुत-सा व्यापार समितियाँ करती हैं।

अन्य लाभ

किसानों के अतिरिक्त मजदूरों, शिल्पकारों, दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सहकारी समितियाँ सहायता करती हैं। सहकारी समितियों द्वारा कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। सूत कातना, कपड़े बुनना (खादी, धोती, साड़ी, लुंगी, रेशमी कपड़ा इत्यादि), मिट्टी, धातु और चीनी के बर्तन बनाना और मछली पकड़ना इत्यादि उद्योगों की सहायता के लिए सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया उधार देती हैं। वे इन उद्योगों के लिए औजार और कच्चा माल देती हैं। माल तैयार होने पर उसके बेचने का प्रबन्ध भी करती हैं।

शहरों में तुमने सहकारी समितियों द्वारा बनाए कुछ मकान और बास्तियाँ देखी होंगी। सहकारी समितियाँ मकान बनाती हैं और फिर उनको अपने सदस्यों को दे देती हैं। मकान की कीमत सदस्यों से किशतों में वसूल की जाती है।

सहकारी बैंक

सहकारी समितियाँ कई तरह के कार्य करती हैं। जैसे, रुपया उधार देना, उद्योग धन्धे चलाना, व्यापार करना, बिक्री के लिए तरह-तरह का सामान खरीदना, इत्यादि। इन सब कार्यों के लिए सहकारी समितियों के पास पर्याप्त धन नहीं होता। इसलिए इनको बैंकों से रुपया उधार लेना पड़ता है।

सहकारी बैंक सहकारी समितियों को रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनता के लिए साधारण बैंकों का काम जैसे रुपया जमा करना, चेक भुनाना इत्यादि करते हैं। बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करना अच्छी आदत है। हमारे यहाँ कई लोग बचे हुए धन को गहने और सिक्के के रूप में घर में रखते हैं। गहनों की धातु घिसती रहती है और इस प्रकार पूँजी घटती जाती है। इनकी चोरी हो जाने का भी डर रहता है। बचे हुए धन को बैंक में रखने से जान-माल का डर नहीं रहता। उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। इस प्रकार धन सुरक्षित रहता है और बढ़ता भी जाता है। जनता में बचत करने की आदत पड़ती है। बैंक में जमा धन का उपयोग देश की कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए किया जाता है। इसलिए व्यक्ति कुटुंब और देश सभी को लाभ होता है।

सहकारिता और सामुदायिक विकास

सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास के बिना सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए सहकारिता और सामुदायिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

सहकारी समितियाँ ऐच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। केन्द्र की सरकार और

राज्य की सरकारों ने इन समितियों को अनेक प्रकार की सहायता दी है। सहकारिता व सामुदायिक विकास विभाग के सरकारी कर्मचारी जनता में सहकारिता का प्रचार करते हैं। वे इन समितियों को परामर्श देते हैं और उन्हें हर तरह की मदद करते हैं।

अभ्यास

1. गरीबी और अज्ञानता नागरिक जीवन की प्रवृत्ति में किस प्रकार बाधक हैं ?
2. सहकारिता हमें मुनाफ़ाखोरी से किस तरह बचाती है ?
3. सहकारिता से किसान को कौन-कौन से लाभ हैं ?
4. बहुध्व्येयी सहकारी समितियों के तीन कार्यों का उल्लेख करो ?
5. सहकारी बैंक से जनता को कौन-से फ़ायदे हैं ?
6. सहकारिता और सामुदायिक विकास किस तरह एक दूसरे से सम्बन्धित हैं ? चार वाक्यों में लिखो।
7. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यों पर (✓) चिह्न लगाओ तथा गलत वाक्यों को सही करो :
 - (क) सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया कमाने में मदद देती हैं।
 - (ख) लोग अपनी इच्छानुसार ही सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं।
 - (ग) सहकारी समितियों से बड़े उद्योगों को सहायता मिलती है।
 - (घ) सहकारी समितियाँ जनता को मुनाफ़ाखोरी से बचाती हैं।

कुछ करने को

स्कूल की सहकारी दुकान में जाकर पता लगाओ कि वह दुकान किस तरह चलाई जाती है।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत


सुखी मानव जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, रहने की सुविधा, आवागमन की सुविधा तथा पर्यावरण की स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, बीमारियों की रोकथाम तथा पास-पड़ोस की स्वच्छता आवश्यक है। अपने घर की सफाई तथा अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनुष्य स्वयं प्रयत्न करता है। किन्तु यदि एक स्थान पर हजार, दो हजार अथवा दस हजार व्यक्ति रहे रहे हों, तब एक ऐसे संगठन की जरूरत पड़ती है जो यह सब कार्य कर सके।

चाहे गाँव हो या शहर दोनों को ही समान रूप से कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, गाँव तथा शहर दोनों प्रकार की बस्तियों में रहने वाले लोगों को पीने के योग्य पानी, चारों ओर की सफाई, अच्छा स्वास्थ्य, रोशनी का प्रबन्ध, पढ़ने के लिए स्कूल तथा आवागमन के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त सुविधाओं तथा ऐसे ही अनेक जनकल्याण के कार्यों के लिए, भारत के लगभग सभी गाँवों में ग्राम-पंचायतें बनाई गई हैं। परन्तु हमारे देश में कई इतने छोटे गाँव भी हैं जो अपनी अलग पंचायत न बनाकर, दूसरे गाँवों के साथ मिलकर, मिली-जुली पंचायत बना लेते हैं।

पंचायत का अर्थ

'पंचायत' का शाब्दिक अर्थ पांच पंचों की समिति से है। प्राचीन काल से गाँव के झगड़ों का निबटारा पांच पंचों की समिति करती आई है। उसी से पंचायत शब्द का जन्म हुआ है।



पंचायतों के द्वारा गाँवों के लोग अपनी समस्या सुलझाते हैं

ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में प्राचीन काल में पंचायतें ही आपसी झगड़ों का फैसला करती थीं। परन्तु अंग्रेजी शासन के समय में ये सब धीरे-धीरे समाप्त हो गईं और इनका काम सरकारी कर्मचारी करने लगे।

स्वतंत्रता के बाद देश का नया संविधान बना। उसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना और उनके विकास पर विशेष बल दिया गया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की।

ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गाँवों की उन्नति करना और ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है।

ग्राम पंचायतों का संगठन

लगभग सभी राज्यों के गाँवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत होती है। इन तीनों के विषय में अलग-अलग समझना आवश्यक है।

ग्राम सभा

गाँव के जो स्त्री और पुरुष 21 वर्ष के या इससे अधिक आयु के होते हैं, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऐसे सभी पुरुष और स्त्रियों को वयस्क कहा जाता है। ये सब मिलकर 'ग्राम सभा' बनाते हैं। इनकी संख्या सौ से लेकर हजार तक भी हो सकती है।

ग्राम सभा के ये सदस्य अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं जिनकी संख्या सात से लेकर पचास तक हो सकती है। ये चुने हुए लोग मिलकर 'ग्राम पंचायत' बनाते हैं। ग्राम पंचायत में परिगणित जातियों और महिला सदस्यों का होना भी आवश्यक है। यदि किसी कारण से इनका चुनाव नहीं हो पाता तो सरकारी अधिकारी इनको नामजद कर देते हैं। ग्राम सभा के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायतें ही वास्तव में गाँव की उन्नति के कार्यों को चलाती हैं। इनको पंचायत के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य, सफ़ाई, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना, संपत्ति रखना, खरीदना या बेचना इत्यादि कार्य

ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत अपने आय और व्यय का हिसाब रखती है। इस हिसाब को हर साल ग्राम सभा के सामने रखना पड़ता है।

पंचायत के पदाधिकारी और समितियाँ

ग्राम पंचायतों का एक प्रधान होता है जिसको कुछ राज्यों में सरपंच भी कहते हैं। कई जगह इसका चुनाव गाँव की समस्त वयस्क जनता करती है और कई अन्य जगह वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। प्रधान पंचायत की बैठकें बुलाता है और उनका सभापतित्व करता है। प्रधान का पद बड़े महत्व का होता है।

ग्राम पंचायत उप-प्रधान भी चुनती है और काम की सुविधा के लिए समितियाँ बनाती है। पंचायत के प्रधान की अनुपस्थिति में उसका काम 'उप-प्रधान' करता है। यदि प्रधान, उप-प्रधान अथवा अन्य चुने हुए पदाधिकारियों का कार्य संतोषजनक न हो तो ग्राम पंचायत उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उनको पद से हटा सकती है। पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान और अन्य सदस्य अवैतनिक होते हैं। पंचायत का चुनाव कहीं पर चार वर्ष और कहीं पर पाँच वर्ष बाद होता है। दुबारा चुनाव में न चुने जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है।

ग्राम पंचायतों का लेखा-जोखा रखने के लिए एक सवैतनिक कर्मचारी भी होता है। कुछ स्थानों में इसको पंचायत-सचिव कहा जाता है। इस कर्मचारी का काम पंचायत के कामों का ब्यौरा तैयार करना तथा दूसरे कागजों और रजिस्ट्रों को भरना और उनकी देख-रेख रखना है। यह स्थायी कर्मचारी होता है।

आय के साधन

पंचायतों की आमदनी के कई साधन हैं। इनमें मुख्य हैं मेला और दुकानों पर कर लगाना, मवेशियों के मेले में जानवरों के खरीदने और बेचने की रजिस्ट्री की फीस लेना, मकानों पर टैक्स लगाना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना और सार्वजनिक संपत्ति को बेचना। इन सभी साधनों से पंचायतों को जो आय होती है उसको पंचायतें गाँव के विकास पर खर्च करती हैं।

पंचायत के मुख्य कार्य

पंचायत के कार्यों को हम अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यों के बीच बाँट सकते हैं। अनिवार्य कार्यों में पंचायत के क्षेत्र में आने वाली सड़कों, कच्चे रास्तों तथा जलमार्गों को अच्छी दशा में बनाए रखना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर पुलिया बनवाना, उन्हें चौड़ा या गहरा करना तथा उन पर पेड़ लगाना।

ग्राम पंचायत को गाँव की स्वच्छता और सफाई रखनी पड़ती है। इसके लिए ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों का प्रबन्ध करती है। अगर किसी गाँव वाले की नाली, पेशाबघर, पाखाने आदि से गाँव में गन्दगी फैलती हो तो वह मकान मालिकों को नोटिस देकर उन्हें ठीक करा सकती है। सार्वजनिक कुएँ, तालाब, जोहड़, गड्ढा आदि की मरम्मत का कार्य भी ग्राम पंचायत ही करती है।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी जैसे अमीन, लेखपाल, सिपाही, चौकीदार, टीका लगाने वाले, चपरासी आदि के विरुद्ध शिकायत है तो ग्राम पंचायत उनकी रिपोर्ट ऊपर के अधिकारी को कर सकती है।

अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायतें कुछ ऐच्छिक कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं। ऐच्छिक कार्यों में मुख्य रूप से जो कार्य आते हैं वे इस प्रकार हैं : चिकित्सा, अस्पताल व औषधालय का प्रबन्ध करना, हाट-बाजार इत्यादि लगवाना, पशुओं की चिकित्सा व उन्नति के लिए काम करना, अखाड़े या खेलकूद का प्रबन्ध करना, खाद इकट्ठा करने के लिए स्थान नियत करना, रास्तों के दोनों ओर पेड़ लगवाना, रेडियो का प्रबन्ध करना इत्यादि।

न्याय पंचायत

गाँवों के छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की गई हैं। कई ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत इस न्याय पंचायत के लिए कुछ सदस्य चुनती है। कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता।

न्याय पंचायत केवल छोटे-छोटे दीवानी और फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई करती है। उसे जुमना करने का अधिकार है, जेल भेजने का नहीं। न्याय पंचायतों में वकील आदि की आवश्यकता नहीं होती और न अर्जी आदि पर ही विशेष खर्च होता है। न्याय पंचायतों द्वारा मुकदमों का फैसला शीघ्र हो जाता है तथा उन पर खर्च भी कम आता है। यदि कोई पक्ष न्याय-पंचायत के फैसले से असंतुष्ट हो तो वह ऊपर की अदालतों में जा सकता है।

ग्राम पंचायत का महत्व

ग्राम पंचायत गाँव की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी कठिनाइयों को हल करने में पूरी सहायता करती है। ग्राम पंचायत के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गाँव वालों का सहयोग मिलता है। पहले गाँव के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब ग्राम पंचायतें बन जाने पर, यह निर्भरता कम हो गई है। पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनता अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही है। गाँव के लोग अब समझने लगे हैं कि अपनी समस्याओं का हल उन्हें स्वयं करना पड़ेगा। इसी में गाँवों की और देश की उन्नति है।

ग्राम पंचायत पंचायती राज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायती राज के विषय में तुम अगले पाठ में पढ़ोगे।

अभ्यास

1. पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्राम पंचायतें किस उद्देश्य से स्थापित की गई हैं?
2. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या भेद है?
3. ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं?
4. पंचायतों के प्रधान का चुनाव किस प्रकार होता है? उसके दो मुख्य कार्यों का उल्लेख करो?

5. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्य में किस प्रकार सहयोग देता है ?
6. ग्राम पंचायतों की आय के कौन-से साधन हैं ? इस धन को वे किस प्रकार खर्च करती हैं ?
7. न्याय पंचायतें किस प्रकार के मुद्दमों की सुनवाई करती हैं ?
8. ग्राम पंचायतों से ग्रामीणों को जो लाभ पहुँचे हैं उनमें से तीन का उल्लेख करो।
9. सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :
 - (क) ग्राम पंचायत में.....संवैतनिक अधिकारी होता है।
(पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान, न्याय पंचायत का प्रधान)
 - (ख) पंचायत के प्रधान का कार्य.....है।
(रजिस्टर रखना, पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायत समिति की नियुक्ति करना)
 - (ग) न्याय-पंचायत को.....का अधिकार है।
(केवल जुर्माना करने, बेंत लगवाने, जेल भेजने)

कुछ करने को

1. किसी न्याय पंचायत में जाकर वहाँ की कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार करो।
2. कक्षा में ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करो।

पंचायती राज

पंचायती राज क्या है ?

पिछले पाठ में तुमने ग्राम पंचायतों के विषय में पढ़ा। ग्राम पंचायत केवल एक गाँव के लिए कार्य करती है। गाँव बहुत छोटे होते हैं। वे अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी नहीं कर सकते। उन्हें आसपास के अन्य गाँवों का सहयोग लेना आवश्यक होता है। गाँव अपने आसपास के गाँवों से अलग रहकर विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक गाँव के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल, डाक्टर, कृषि विशेषज्ञ, इंजीनियर आदि मिलना असंभव है और फिर आसपास के गाँवों के बीच अनेक तरह के प्रश्न और समस्याएँ होती हैं। इसलिए ग्राम पंचायतों के ऊपर कुछ गाँवों को मिलाकर एक क्षेत्र या ब्लॉक बनाया गया है। इस क्षेत्र या ब्लॉक के स्तर पर एक संस्था काम करती है, जिसे क्षेत्र या ब्लॉक समिति कहते हैं।

कुछ कार्य ब्लॉक समिति के लिए करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ समितियों को मिलाकर एक ज़िला परिषद् बनाई जाती है। ज़िला स्तर पर काम करने वाली संस्था को ज़िला परिषद् कहते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए तीन संस्थाएँ काम करती हैं। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक समिति और ज़िला के स्तर पर ज़िला परिषद्। स्थानीय शासन की इन तीन संस्थाओं को पंचायती राज कहते हैं। इस तरह पंचायती राज व्यवस्था में तीन सरकारें काम करती हैं।

पंचायती राज क्यों ?

सामुदायिक विकास के विषय में तुम पहले ही पढ़ चुके हो। सामुदायिक विकास

के लिए जो कार्य होते हैं उनमें स्थानीय जनता का सहयोग और योगदान बहुत आवश्यक है। इससे दो मुख्य फायदे होते हैं। एक तो स्थानीय लोग दूसरों पर निर्भर न रहकर अपनी समस्याएँ स्वयं सुलझाने लगते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है और दूसरे, लोगों में पहल करने की और सहयोग से विकास करने की भावना पनपती है। यह भावना हमारे देश के प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है।

इस तरह जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता को चुनी हुई संस्थाएँ स्थापित करना जरूरी समझा गया। पंचायती राज की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई। सामुदायिक विकास में जनता का सहयोग और योगदान प्राप्त करना पंचायती राज का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।


स्थानीय शासन की आवश्यकता

इसके अतिरिक्त, स्थानीय शासन की जरूरतों को पूर्ण करना भी पंचायती राज का उद्देश्य है। अलग-अलग स्थानों की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। किसी गाँव में पीने के पानी की समस्या है, तो किसी अन्य गाँव में माध्यमिक-स्कूल की समस्या है। इसी तरह किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की आवश्यकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को स्थानीय लोग ही अनुभव कर सकते हैं। इन जरूरतों को पूरा करने में भी स्थानीय लोग ही अधिक रुचि लेते हैं।

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकतीं। इन सरकारों को बहुत अधिक स्थानों की अलग-अलग आवश्यकताएँ पूरा करने में कठिनाई होती है। एक तो देर लगती है और खर्च भी अधिक होने की संभावना होती है।

गाँव में स्कूल खुलने पर अथवा पीने के पानी का कुआँ बनने पर सभी लोगों को फायदा होता है, इसलिए इस तरह के कार्यों में उनकी रुचि भी अधिक होती है। लोगों की इच्छा यह भी होती है कि कार्य जल्दी से जल्दी हो और खर्च कम लगे। इस तरह के कामों के लिए लोग टैक्स के रूप में पैसे देने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं।

ये सब काम स्थानीय शासन द्वारा अच्छी तरह हो सकता है। जो व्यक्ति स्थानीय शासन चलाते हैं, वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय शासन देश के



पंचायती राज

शासन का एक छोटा रूप है। स्थानीय-स्तर पर काम करने पर प्रतिनिधियों को शासन चलाने का प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है। ये प्रशिक्षण और अनुभव राज्य और देश की बड़ी सरकारों को चलाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। अनेक राष्ट्रीय नेता समाज-सेवा और राजकाज की शिक्षा स्थानीय संस्थाओं में पाते रहे हैं। स्वयं पं० जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश काल में इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर काम किया था।

स्थानीय शासन की एक और दृष्टिकोण से जरूरत पड़ती है। स्थानीय शासन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के भार को हल्का करता है। यदि स्थानीय सरकारें न हों, तो बिजली, पानी, सड़क, सफाई आदि के कार्य देश की अथवा राज्य की सरकारों को करना होगा। स्थानीय सरकार उन्हें इस परेशानी से बचा लेती है।

इस तरह इन कारणों को लेकर पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज से जनता को स्थानीय शासन के सब लाभ मिलते हैं।

ब्लॉक समिति

रचना

ब्लॉक-स्तर पर जो समिति काम करती है उसे राज्यों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। किसी राज्य में उसे खंड समिति, तो किसी राज्य में क्षेत्र समिति और किसी अन्य राज्य में पंचायत समिति कहा जाता है। यह समिति ब्लॉक-स्तर पर काम करती है, इसलिए हम इसे इस पुस्तक में ब्लॉक समिति ही कहेंगे। ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद् के बीच की कड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है।

भिन्न-भिन्न राज्यों में पंचायती राज से संबंधित अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। इसी ब्लॉक समिति और जिला परिषद् के चुनाव, रचना, कार्य आदि के विषय में भिन्नताएँ हैं।

ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव की जनता करती है। लेकिन ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं नहीं करती। ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायतों के प्रधान और पंच होते हैं, ये सब मिलकर ब्लॉक समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् एवं भारत की लोक सभा तथा राज्य सभा

के जो सदस्य उस ब्लॉक से संबंधित हैं, वे भी ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं। ब्लॉक में आने वाले नोटीफ़ाइड और टाउन एरिया कमेटी के प्रधान भी इसके सदस्य होते हैं।

प्रत्येक ब्लॉक समिति में कम से कम दो स्त्री सदस्य तथा परिगणित जातियों और जनजातियों के चार सदस्य होने चाहिए। यदि न हों तो समिति के सदस्य उन्हें स्वयं चुनकर सदस्य बना लेते हैं।

ब्लॉक समिति के ये सारे सदस्य एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ब्लॉक समिति का अध्यक्ष दैनिक काम की देख-रेख करता है। यदि समिति के सदस्य अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो वे उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पास होने पर अध्यक्ष को अपने पद पर से हटना पड़ता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य संभालता है। ब्लॉक समिति के निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं।

प्रत्येक पाँचवें साल ब्लॉक समिति का चुनाव होता है। इस तरह ब्लॉक समिति के सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

कार्य


तुमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत अपने गाँव की सफ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करती है। गाँव के और अधिक विकास के लिए विशेषज्ञों और धन की आवश्यकता होती है। ब्लॉक समिति के पास विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं जैसे, कृषि विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, जानवरों के डॉक्टर इत्यादि। ये विशेषज्ञ ब्लॉक समिति के अन्तर्गत आने वाले गाँवों में जाकर गाँवों के विकास में ग्रामीण जनता की मदद करते हैं। किसानों को उत्तम और सुधरे बीज दिलवाना, खाद इत्यादि वितरित करना, शिक्षा का प्रचार करना, बीमार जानवरों की दवा दारू करना, जानवरों की नस्ल सुधारना इत्यादि काम ये विशेषज्ञ करते हैं।

निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना ब्लॉक समिति का महत्त्वपूर्ण काम है। ग्राम पंचायतों के काम की देख-रेख को ब्लॉक समिति ही करती है।

आय के साधन


ब्लॉक समिति के कार्यों से हमें पता चलता है कि उसे अपने क्षेत्र के सामुदायिक विकास के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। इस धन को वह दो मुख्य साधनों द्वारा इकट्ठा करती है। एक तो कर लगाकर और दूसरे राज्य सरकार से अनुदान और वित्तीय सहायता लेकर। ब्लॉक समिति मकान और जमीन पर कर लगा सकती है और बिजली पानी आदि सेवाओं के लिए उपयोग करने वाले व्यक्तियों से उसका खर्च ले सकती है। मेला और बाजारों में कर लगाना और जनता से चंदा अथवा धर्म के रूप में सहायता लेना भी ब्लॉक समिति के अधिकार में आता है।

कई राज्यों में राज्य सरकार लगान का कुछ हिस्सा ब्लॉक समिति को अनुदान के रूप में दे देती है। इसके अलावा भी राज्य सरकार इन संस्थाओं को कई तरह से वित्तीय सहायता देती है।



ब्लॉक समिति और सामुदायिक विकास

ब्लॉक समिति और सामुदायिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा हम देख चुके हैं कि सामुदायिक विकास योजना पहले शुरू की गई। इसके पश्चात् विकास कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करने के हेतु ब्लॉक समितियाँ और जिला परिषद् बनाई गई।



पंचायती राज संस्थाओं के कार्य

क्षेत्र विकास अधिकारी (बी० डी० ओ०) सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति के साथ ही काम करता है। जिस तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने गाँव के विकास की योजना बनाती है उसी तरह प्रत्येक ब्लॉक समिति इन ग्राम विकास योजनाओं के आधार पर अपने ब्लॉक के विकास की योजना बनाती है। इस विकास योजना को कार्यान्वित करना बी० डी० ओ० का मुख्य कार्य है। ब्लॉक समिति की सफलता समिति के प्रधान और बी० डी० ओ० पर निर्भर है। यदि ये क्षेत्रों मिलकर सहयोग से काम करते हैं तो उस ब्लॉक में विकास के बहुत कार्य पूरे हो जाते हैं।

ज़िला परिषद्

ज़िला परिषद् पंचायती राज की तीसरी और सबसे ऊँचे स्तर की श्रेणी है। भारत की स्वतंत्रता के पहले से ज़िला प्रशासन का महत्वपूर्ण घटक रहा है। इस स्तर पर स्थानीय प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे कलेक्टर और ज़िला न्यायाधीश काम करते हैं। ज़िला जनता का जाना पहचाना स्थान है क्योंकि किसी न किसी काम से लोग इस जगह आते रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर पंचायती राज की एक श्रेणी बनाना बहुत आवश्यक था।

रचना

ज़िला परिषद् की रचना बहुत कुछ ब्लॉक समिति की रचना जैसी होती है। जो व्यक्ति समितियों के प्रमुख चुने जाते हैं, वे ज़िला परिषद् के सदस्य बन जाते हैं। ज़िले के चुने गए राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य तथा संसद के लिए चुने गए सदस्य भी ज़िला परिषद् के सदस्य होते हैं। ब्लॉक समितियों की भाँति ज़िला परिषद् भी स्त्री, परिगणित जाति आदि के प्रतिनिधियों को सदस्य बना सकती है।

वैसे ज़िला परिषद् की रचना और कार्यों के विषय में राज्यों में अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में ज़िला परिषद् के कुछ सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं करती है।

प्रत्येक परिषद् में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ब्लॉक समिति के समान इन्हें भी अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जिला परिषद् में भी ब्लॉक समिति के समान प्रत्येक निर्णय बहुमत के द्वारा लिया जाता है।

कार्य

जिला परिषद् का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितियों के कार्यों पर देख-रेख रखना है। वह इनके कार्यों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देती है। पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जिला परिषद् का उत्तरदायित्व है। वह जिले की खेती के उत्पादन, निर्माण कार्य इत्यादि पर नज़र रखती है। जिले की ब्लॉक समितियों की विकास योजनाओं के आधार पर जिला परिषद् संपूर्ण जिले की योजना तैयार करती है।

कार्य की सुविधा के लिए ब्लॉक समितियाँ और जिला परिषदें अपनी उप-समितियाँ बना लेती हैं। ये उप-समितियाँ भिन्न-भिन्न विषयों पर काम करती हैं, जैसे निर्माण कार्य, उत्पादन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त, जन कल्याण इत्यादि।

आय के साधन

ब्लॉक समिति के समान जिला परिषद् के भी अनुदान और कर आय के मुख्य साधन हैं। राज्य सरकार से जिला परिषद् को अनुदान और वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद् को अपने मकानों तथा दुकानों से किराया भी मिलता है।

पंचायती राज और राज्य सरकार

भारत के संविधान के विषय में कुछ बातें तुमने चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पढ़ी होंगी। इस संविधान में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना करनी चाहिए। निर्देश में आगे कहा

गया है कि इन ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार देकर मजबूत बनाना चाहिए।

इस निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकारें पंचायत और अन्य पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए हर तरह की मदद देती हैं। पंचायती राज की संस्थाएँ अभी नई हैं। हमारे गाँव के लोग अधिकतर अनपढ़ और गरीब हैं। इन सब कारणों से पंचायती राज की संस्थाओं पर राज्य सरकार देख-रेख और नियंत्रण रखती है।

ज़िले के स्तर पर कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। कलेक्टर ज़िले के शासन की देखभाल करता है। वह शासन के अधिकारी और पंचायती राज की संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय लाने का प्रयत्न करता है। इसी तरह का कार्य बी० डी० ओ० ब्लॉक स्तर पर करता है। बी० डी० ओ० राज्य सरकार का अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति और ब्लॉक के विशेषज्ञों के बीच सहयोग का वातावरण बनाने का कार्य करता है।

अभ्यास

1. पंचायती राज किसे कहते हैं ?
2. पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के नाम लिखो। ये संस्थाएँ किन-किन स्तरों पर काम करती हैं ?
3. पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है ?
4. स्थानीय शासन क्यों आवश्यक है ?
5. ब्लॉक समिति की रचना ज़िला परिषद् की रचना से किस तरह समान है ?
6. ब्लॉक समिति के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ?
7. पंचायती राज और राज्य सरकार का आपस में क्या संबंध है ?
8. ज़िला परिषद् के सदस्य कौन होते हैं ? सही (✓) चिह्न लगाओ :
(क) ब्लॉक समिति के प्रमुख

- (ख) लोक सभा के सदस्य
- (ग) सामुदायिक विकास मंत्री
- (घ) बी० डी० ओ०
- (ङ) विधान सभा के सदस्य

कुछ करने को

1. ब्लॉक समिति के कार्यालय जाकर उसके कार्यों की सूची बनाओ ।
2. एक चार्ट बनाओ जिसमें पंचायती राज की विभिन्न श्रेणियों के आय के साधन दिखाओ ।



नगरपालिका हमारे पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुन्दर बनाती है

नगरपालिकाएँ तथा नगरनिगम

पीने का पानी, रोशनी, साफ़ सड़कें और गलियाँ, औषधालय, शिक्षा, पार्क आदि ऐसे विषय हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। इन सबका प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-सी संस्थाएँ करती हैं, यह तुम जान चुके हो। शहरी क्षेत्रों में इन सब सुविधाओं की व्यवस्था नगरपालिकाएँ तथा नगरनिगम करते हैं।

नगरों की आबादी घनी और उनकी समस्याएँ अधिक जटिल होती हैं। इनको पूरा करने के लिए उनके पास साधन भी अधिक होते हैं। इसलिए नगरों का स्थानीय शासन गाँवों से बहुत कुछ भिन्न होता है। किस नगर का स्थानीय शासन किस प्रकार का होगा, इसका निश्चय राज्य अथवा केन्द्र की सरकारें कानून द्वारा करती हैं। जो नगर केन्द्रीय क्षेत्रों में होते हैं उनके लिए केन्द्रीय सरकार कानून बनाती है, जैसे दिल्ली तथा चंडीगढ़। नगरों के स्थानीय शासन को जनसंख्या तथा आय के आधार पर बांटा जाता है। कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों की स्थानीय संस्थाओं को नगरपालिकाएँ कहते हैं। अधिक जनसंख्या वाले बड़े-बड़े नगरों की स्थानीय संस्थाओं को नगरनिगम, महानगरपालिका अथवा कार्पोरेशन कहते हैं। इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इस श्रेणी में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना, जबलपुर आदि आते हैं। देश में लगभग 30 से भी अधिक नगरनिगम हैं।

नगरपालिकाएँ

नगरपालिकाओं के अधिकतर सदस्य नगर की जनता द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। यह संख्या पन्द्रह से लेकर लगभग साठ तक होती है। जनता द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि कभी-कभी कुछ

अनुभवी सदस्यों को भी चुनते हैं जिनको विशिष्ट सदस्य (एल्डर मैन) कहा जाता है। ये सब मिलकर नगरपालिका बनाते हैं।

चुनाव-प्रणाली

चुनाव के लिए प्रत्येक नगरपालिका वार्डों में बाँट दी जाती है। हरिजनों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। नगरपालिकाओं के चुनाव में मतदान के लिए एक व्यक्ति को देश का नागरिक और उस नगर का निवासी होना चाहिए। उसका नाम मतदाताओं की सूची में भी होना आवश्यक है। नगरपालिका के लिए मतदाता की आयु कम से कम 21 वर्ष और सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।

नगरपालिकाओं के पदाधिकारी

प्रधान तथा उप-प्रधान : नगरपालिकाओं के प्रधानों का चुनाव कुछ राज्यों में सीधे जनता द्वारा तथा कुछ राज्यों में चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रधान के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका में एक या दो उप-प्रधान भी चुने जाते हैं। प्रधान की अनुपस्थिति में उप-प्रधान कार्य संचालन करते हैं।

स्थायी अधिकारी : निर्वाचित अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका में कुछ वेतन पाने वाले उच्च अधिकारी भी होते हैं। वे इस प्रकार हैं : एकजीक्यूटिव आफिसर, सेक्रेटरी, स्वास्थ्य अधिकारी, सेनीटरी इन्स्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर, ओवरसियर, चुंगी अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ आदि।

नगरपालिकाओं के कार्य

नगरपालिकाएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करती हैं :

सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कार्य

तुम्हें यह कहावत मालूम होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वस्थ शरीर के बिना कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। खेती-बाड़ी, उद्योग धन्धे,

वाणिज्य-व्यापार, देश की रक्षा और उसका शासन सभी के लिए हृष्ट-पुष्ट नागरिकों की जरूरत होती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पहली जरूरत सफाई की है। शहरों में बड़ी तेजी से कूड़ा-कचरा जमा होता है। इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। नगरपालिकाएँ इसको बाहर फेंकने का प्रबन्ध करती हैं। गंदे पानी को शहर या गाँव से बाहर ले जाने के लिए नालियों की जरूरत होती है। स्वास्थ्य के लिए मकानों को हवादार होना चाहिए। इसके लिए नगरपालिकाएँ नियम बनाती हैं।

जनता को महामारी और दूसरे रोगों से बचाने के लिए चेचक, हैजा, तपेदिक आदि के टीकों का भी प्रबन्ध, नगरपालिकाएँ करती हैं। सड़कों तथा दूसरे स्थानों पर गन्दगी न हो इसलिए पेशाबघर और पाखाने भी बनाए जाते हैं। बीमारों के इलाज के लिए नगरपालिकाएँ औषधालय एवं अस्पताल भी खोलती हैं।

सार्वजनिक सुविधा

सार्वजनिक सुविधा के लिए अच्छी और चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है। टूटी-फूटी सड़कें सभी के लिए हानिकारक हैं। शहर के भीतर की सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य नगरपालिकाओं द्वारा ही पूरा किया जाता है। सड़कों के साथ-साथ घरों, सरकारी और व्यापारी दफ्तरों तथा उद्योग-धंधों में बिजली तथा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए नगरपालिकाएँ बिजली और पानी का प्रबन्ध करती हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी नगरपालिकाएँ लगवाती हैं। वृक्षों से आसपास के क्षेत्र की मुन्दरता बढ़ जाती है। वृक्षों के कारण स्थान का तापमान ठीक बना रहता है और वर्षा भी अच्छी होती है। कुछ नासमझ व्यक्ति इसका महत्त्व नहीं समझते और अपने स्वार्थ के लिए इनको काट देते हैं।

सार्वजनिक शिक्षा

शिक्षा का मानव-जीवन में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा व्यक्ति को

कौशल सिखाती है। शिक्षा उसे अच्छा नागरिक बनाती है। शिक्षा से जीवन सुखी और समृद्ध तथा समाज उन्नत होता है। नगरपालिकाएँ शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करती हैं।

शिक्षा कार्य स्कूल की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं होता। उसके और भी साधन हैं, जैसे पुस्तकालय, अजायबघर, चिड़ियाघर आदि। नगरपालिकाएँ इनका भी प्रबंध करती हैं।






सार्वजनिक सुरक्षा

आग बुझाने के लिए दमकलों या फायर इंजन का प्रबंध करना तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, सार्वजनिक मार्गों पर से रूकावट हटाना आदि कार्य भी नगरपालिकाओं के अंतर्गत आते हैं।

देश की सभी नगरपालिकाओं के कार्य समान नहीं हैं। नगरपालिकाओं के कार्यों का निश्चय राज्यों की सरकारें कानून द्वारा तय करती हैं। यदि कोई नगरपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करना चाहे तो उसको अपनी राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

आय के साधन

(1) नगरपालिकाओं की आय के मुख्यतः निम्नलिखित साधन हैं :



नगरपालिका की आय के मुख्य साधन

नगरपालिकाएँ तथा नगरनिगम

- (अ) नगर में बाहर से आने वाले माल पर ~~कर~~ ^{चुंगी} No.
(आ) मकानों और जमीनों पर कर।
(इ) व्यापार और पेशों पर कर।
(ई) पानी, रोशनी, सफ़ाई, इत्यादि सुविधा प्रदान करने की फीस।
(उ) सवारी, इक्के, ताँगे, बग़्गी, मोटर, नाव, गाड़ी, ठेले, साइकिल इत्यादि पर कर।
- (ऊ) म्युनिसिपल जायदाद जैसे मार्केट, मकान इत्यादि से आमदनी।
(2) सरकारी सहायता : प्रायः प्रत्येक नगरपालिका को राज्य सरकार की ओर से एक बंधी हुई वार्षिक सहायता मिलती है।
(3) ऋण : नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की अनुमति से ऋण लेने का अधिकार होता है।

नगरपालिकाओं की कार्य पद्धति

नगरपालिका अपना कार्य सदस्यों तथा कर्मचारियों के सहयोग से चलाती है। नगर का शासन-प्रबन्ध विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन विभागों में निम्नलिखित विभाग मुख्य हैं :

शिक्षा विभाग : इस विभाग का मुख्य कार्य लड़के-लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना है। इस विभाग की देख-रेख एक शिक्षा अधीक्षक (सुपरिन्टेंडेंट) करता है। शिक्षा विभाग नगर के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की देखभाल भी करता है।

चुंगी विभाग : यह विभाग एक चुंगी अधिकारी के अधीन कार्य करता है। नगर के चारों ओर चुंगी वसूल करने की चौकियाँ होती हैं। उन स्थानों की देख-रेख करना तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना जो चुंगी न दें, इस विभाग का मुख्य कार्य होता है।

पानी एवं बिजली विभाग : इस विभाग का कार्य नगर में पानी एवं बिजली को उचित व्यवस्था करना होता है।

स्वास्थ्य विभाग : यह विभाग एक स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्य करता है।

स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता के लिए अनेक सफ़ाई दरोगा (सेनीटरी इन्स्पेक्टर), टीका लगाने वाले इत्यादि रखे जाते हैं। चिकित्सालयों का प्रबन्ध भी इसी विभाग द्वारा होता है।

इंजीनियरिंग विभाग : यह विभाग एक सुयोग्य म्युनिसिपल इंजीनियर के आधीन होता है। विभाग का मुख्य कार्य सड़कों, गलियों, नालियों, तालाबों, बाजारों, पाठ-शालाओं तथा नगरपालिका के आधीन भवनों का निर्माण तथा उनकी देख-रेख करना होता है।

नगरनिगम

भारत के लगभग सभी बड़े-बड़े नगरों में नगरनिगमों द्वारा स्थानीय शासन के कार्य पूरे किए जाते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े-बड़े नगरों के अलावा कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, पटना आदि अनेक बड़े नगरों में भी नगरनिगम स्थापित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार के अन्य बड़े नगरों में भी नगरनिगमों की स्थापना की जा रही है।

नगरनिगम का संगठन : नगरनिगमों के अध्यक्ष को महापौर (मेयर) कहा जाता है। महापौर का चुनाव नगरनिगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। महापौर के अलावा एक उपमहापौर तथा लगभग 50 से लेकर 150 तक सभासद होते हैं। इनका चुनाव पाँच वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जनता द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि कभी-कभी कुछ अनुभवी सदस्यों को चुनते हैं जिनको विशिष्ट सदस्य (एल्डर मैन) कहा जाता है। ये सब सदस्य मिलकर नगरनिगम बनाते हैं।

समितियाँ : नगरनिगम का दिन-प्रतिदिन का कार्य कुछ समितियों द्वारा किया जाता है। इन समितियों में पाँच से लेकर बारह तक सदस्य होते हैं; प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष होता है। ये समितियाँ मुख्यतः शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, निर्माण समिति आदि नामों से जानी जाती हैं।

मुख्य नगर अधिकारी (म्युनिसिपल कमिश्नर) : प्रत्येक नगरनिगम में एक मुख्य पदाधिकारी होता है। यह पदाधिकारी जनता द्वारा चुना नहीं जाता। इसकी नियुक्ति होती है। इसका मुख्य कार्य नगर सभा के निर्णय और नगर प्रमुख के आदेशों का पालन

करना है। इस कार्य में अन्य कई कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं। उनमें इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षाविद् मुख्य हैं। मुख्य नगर अधिकारी इन विभागाध्यक्षों के काम की देख-रेख रखता है।

नगरनिगम के कार्य

नगरपालिकाओं तथा नगरनिगम के कार्य लगभग एक समान हैं। इन कार्यों को अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यों के अन्तर्गत बाँटा जा सकता है। अनिवार्य कार्यों में स्वास्थ्य की देख-रेख, सड़कों तथा गलियों का निर्माण तथा रख-रखाव, रोशनी का प्रबन्ध और प्रारंभिक शिक्षा शामिल हैं। पार्क, अजायबघर और स्नानागार बनाना आदि ऐच्छिक कार्य माने जाते हैं। इन सभी कार्यों को नगरनिगम, नगरपालिकाओं की भाँति पूरा करते हैं।

नगरपालिकाओं और नगरनिगमों के कार्यों पर राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारों की देख-रेख रहती है। यदि वे इनके कार्यों से संतुष्ट न हों तो वे इनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। यदि ये संस्थाएँ ठीक ढंग से कार्य न कर रही हों तो सरकार इन्हें भंग कर सकती है। वैसे नगर की स्थानीय संस्थाओं और राज्य सरकारों का आपसी संबंध सहयोग का है, संघर्ष का नहीं। सबका उद्देश्य एक ही है—जनता की सेवा और देश की उन्नति। इसलिए इन सबमें सहयोग होना आवश्यक है।

अभ्यास

1. नगरनिगम तथा नगरपालिका में क्या अंतर होता है ?
2. नगरपालिका किन-किन व्यक्तियों को मिलाकर बनाई जाती है ?
3. नगरपालिकाओं का चुनाव किस प्रकार होता है ?
4. नगरपालिका के चार स्थायी अधिकारियों के नाम बताओ।
5. नगरपालिकाएँ सार्वजनिक, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सुविधा के लिए क्या-क्या कार्य करती हैं ?

6. स्कूल के अतिरिक्त, शिक्षा के तीन अन्य साधनों के नाम बताओ।
7. नगरपालिकाओं के आय के मुख्य स्रोत क्या हैं ?
8. नगरनिगम किन व्यक्तियों को मिलाकर बनाया जाता है ?
9. नगरनिगम के मुख्य कार्य क्या हैं ?
10. सही शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए :
 - (क) नगरपालिका के आय-व्यय का वार्षिक बजट.....तैयार करता है।
(मुख्य नगर अधिकारी, शिक्षाविद, शिक्षा अधिकारी)
 - (ख) नगरपालिका के खर्चों के लिए कुछ धन-राशि.....से प्राप्त होती है।
(सरकार, सदस्यों, कर्मचारियों)
 - (ग) स्थानीय शासन जनता से.....वसूल करता है।
(आयकर, चुंगी, बिक्री कर)

कुछ करने को

नगरपालिका के दफ्तर जाकर उसके विभागों और उनके कार्यों की सूची बनाओ।

जिला शासन

हमारा देश विशाल प्रजासत्ताक देश है। हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख बर्ग किलोमीटर है। अतः एक ही स्थान से इतने बड़े देश का शासन चलाना न तो आसान कार्य है और न ही देश के लिए हितकर। आज के युग में राज्य के कार्य भी इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनको पूरा करने के लिए लाखों कर्मचारियों और बहुत धन की आवश्यकता होती है। जैसा तुम जानते हो, समस्त भारत में 22 राज्य व 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों व प्रदेशों को कमिश्नरी, जिलों, सब-डिवीजनों, तहसीलों तथा परगनों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक भाग एक अधिकारी को देख-रेख में कार्य करता है। इन भागों में जिला एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिलों के अच्छे शासन प्रबन्ध पर ही सारे राज्य की उन्नति निर्भर करती है। अतः जिले के शासन प्रबन्ध का ज्ञान देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए।

जिले के शासन प्रबन्ध को हम मुख्यतः चार भागों में बाँट सकते हैं। जिला शासन का पहला कार्य शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखना है। दूसरा कार्य जिलों के किसानों से भूमिकर आदि वसूल करना है। तीसरा कार्य न्याय संबंधी है। चौथा कार्य नागरिक सुविधाएँ एवं सेवाओं को सही दशा में बनाए रखना है।

जिले के शासन प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिए सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों में से जिलाधीश या कलेक्टर (कहीं-कहीं इसे डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं), डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, नियोजन अधिकारी, पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, थानेदार, जेलर, सिविल सर्जन, जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, मुंसिफ, जिला विद्यालय, निरीक्षक, सब जज, कृषि अधिकारी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) की उच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो। ज़िले के भीतर होने वाले लगभग सभी कार्यों की देखभाल उसी को करनी पड़ती है। ज़िले में शान्ति व्यवस्था कायम करना, मालगुज़ारी वसूल करना, ज़िले की जेलों, शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों, सड़कों, इमारतों आदि की देखभाल करना। उसके मुख्य कार्य हैं।

शान्ति और व्यवस्था

ज़िला शासन प्रबन्ध के अन्तर्गत पहली और मुख्य बात ज़िले में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना है। ज़िले के कलेक्टर की सफलता इसी बात से जानी जा सकती है कि वह ज़िले में शान्ति बनाए रखने में कहाँ तक सफल होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए ज़िले के सारे पुलिस कर्मचारी, पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, थानेदार इत्यादि उसी की देख-रेख में काम करते हैं।

कभी-कभी ज़िले के नगरों या गाँवों में बड़े पैमाने पर झगड़े तथा दंगे हो जाते हैं। ऐसे समय में ज़िले में शान्ति तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कलेक्टर को विशेष उपाय करने पड़ते हैं। परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाने पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। दफा 144 भी लगा दी जाती है। अधिक व्यक्तियों को एक ही स्थान पर इकट्ठा होने को मनाही कर दी जाती है। लाठी, बल्लम आदि शस्त्र लेकर चलना मना हो जाता है।

शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की भूमिका मुख्य होती है। आम जनता तो पुलिस को ही सरकार समझती है। पुलिस का सिपाही ही आम जनता के सबसे अधिक संपर्क में आता है। पुलिस दो प्रकार की होती है—एक साधारण और दूसरी खुफ़िया। दोनों प्रकार की पुलिस के अपने अलग-अलग कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। खुफ़िया पुलिस का काम गुप्त संगठनों तथा अपराधों का पता लगाना होता है।

ज़िले की पुलिस अधिकारी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस (एस० पी०) कहलाता है। प्रायः वही व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता है जिसने अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) की परीक्षा में सफलता पाई है। एस० पी० की सहायता के लिए डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस, सर्किल इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर, हेड

कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों का काम अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति कायम रखना होता है। प्रत्येक ज़िले में पाँच या छः सर्किलें होती हैं। सर्किल का अधिकारी सर्किल इन्स्पेक्टर कहलाता है। प्रत्येक सर्किल में लगभग 10 थाने होते हैं। जिनका अधिकारी सब इन्स्पेक्टर पुलिस कहलाता है। प्रत्येक थाने में मुंशी या मोहरिर होते हैं जो जुर्मों की रिपोर्ट लिखते हैं। इनके अलावा हर एक थाने में आठ या दस सिपाही तथा हेड कांस्टेबिल होते हैं। थाने के आधीन कुछ चौकियाँ (पुलिस आउटपोस्ट) होती हैं जो एक हेड कांस्टेबिल के आधीन कार्य करती हैं। कुछ अन्य सिपाही उसकी सहायता करते हैं। प्रत्येक गाँव में पुलिस की ओर से एक चौकीदार होता है। यह अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करता है।

जेलों का प्रबन्ध

प्रत्येक ज़िले में एक जेल होती है। वहाँ पर वे सभी अपराधी रखे जाते हैं जो कानूनों को तोड़ते हैं। जेल के बड़े अफसर को 'जेलर' कहते हैं। उसके नीचे के अधिकारी को 'डिप्टी जेलर' कहते हैं। स्त्रियों तथा बच्चों के लिए वैसे तो अलग-अलग जेलों का प्रबन्ध है किन्तु जहाँ ऐसा संभव नहीं, वहाँ उनके लिए ज़िला जेल में ही अलग वार्ड बना दिया जाता है।

स्वतंत्रता से पूर्व जेलों की दशा बहुत ही खराब थी। जेलों से निकलकर अपराधी एक संभव नागरिक के स्थान पर और भी भयंकर अपराधी बन जाते थे। अपराधियों को अच्छा बचाने की कोशिश नहीं की जाती थी। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। आजकल हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। कैदियों को कई प्रकार के काम जैसे डरी बुनना, कालीन बुनना आदि सिखाए जाते हैं।

पुलिस को सहयोग

हमने पढ़ा कि पुलिस का काम नागरिकों की सहायता करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि पुलिस को शान्ति बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम में सहायता करें। नागरिकों की सहायता से ही पुलिस अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकती है। अपराधियों का पता बताना, उन्हें किसी प्रकार

की सहायता या शरण न देना, न्यायालय में उनके विरुद्ध गवाही देना आदि कार्य द्वारा नागरिक पुलिस के कार्य में सहयोग कर सकते हैं।

भूमि प्रबन्ध, कर तथा मालगुजारी की वसूली


किसानों के भूमि संबंधी सभी कागज़ों की देखभाल, करों और मालगुजारी की वसूली करना, जिला शासन का दूसरा मुख्य कार्य है। भूमि संबंधी मामलों की देखभाल और भूमि से संबंधित झगड़ों के फैसलों के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल (पटवारी) जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। प्रत्येक जिला कुछ तहसीलों में बँटा होता है। प्रत्येक तहसील में कुछ परगने तथा अनेकों गाँव होते हैं। तुमको यह भली-भाँति मालूम है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अतः कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, उसकी नाप, उसमें पैदा होने वाली उपज तथा लगान (भूमि कर) की वसूली आदि का ब्यौरा रखना आवश्यक होता है। तहसील-स्तर पर ये सब कार्य तहसीलदार की देख-रेख में होते हैं। इस कार्य में उसकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल होते हैं। लेखपाल तीन या चार गाँवों के भूमि संबंधी कागजात रखता है। वह भूमि संबंधी कई कार्यों के लिए गाँव वालों की सहायता करता है।

ज़िला प्रशासन को कभी-कभी अचानक आई हुई विपत्तियों का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसी विपत्तियों में अकाल, महामारी तथा बाढ़ प्रमुख हैं। जिला-धीश और उसके आधीन हज़ारों कर्मचारियों को ऐसे समय में बहुत अधिक कार्य करना होता है। नागरिकों को भी ऐसे समय में जिला प्रशासन की हर संभव सहायता करनी चाहिए।

न्याय शासन प्रबन्ध

ज़मीन, मकान, कर्जा आदि बातों को लेकर कभी-कभी नागरिकों में आपस में और कभी-कभी नागरिकों तथा जिले की सरकार में मुकदमेबाज़ी हो जाती है। ये मुकदमे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के मुकदमों का फैसला दीवानी अदालतों

द्वारा तथा दूसरे प्रकार के मुकदमों का फैसला फौजदारी अदालतों द्वारा होता है। दीवानी अदालतों में केवल उन मुकदमों की सुनवाई होती है जिनका संबंध जायदाद, रुपए का लेन-देन इत्यादि से होता है। फौजदारी के मुकदमे चोरी, मारपीट, हत्या आदि से संबंधित होते हैं।



न्यायालयीन व्यवस्था

अतः प्रत्येक ज़िले में न्याय के लिए दीवानी तथा फौजदारी नामक दो प्रकार की अदालत होती हैं। दीवानी अदालतों में ज़िला जज, सिविल जज, मुंसिफ आदि की अदालतें होती हैं। फौजदारी अदालतों में, ज़िला-स्तर की सबसे बड़ी अदालत सेशन जज की होती है। सेशन जज की अदालत में फौजदारी के संगीन मुकदमे जैसे हत्या, बड़ी डकैतियां आदि की सुनवाई होती है। सेशन जज की अदालत से नीचे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की अदालतें होती हैं। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दो वर्ष तक की सज़ा और एक हजार रुपया तक जुर्माना कर सकता है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट छः महीने की सज़ा और दो सौ रुपया तक का जुर्माना और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट एक महीने तक की सज़ा और पचास रुपया तक का जुर्माना कर सकता है।

नागरिक सुविधाएँ एवं सेवाओं का प्रबन्ध

नागरिक सुविधाओं एवं सेवाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात का प्रबन्ध, सरकारी इमारतों व सड़कों की देखभाल आदि कार्य आते हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल का मुख्य उत्तरदायित्व 'सिविल सर्जन' का होता है। ज़िले के सभी सरकारी अस्पतालों की देखभाल सिविल सर्जन करता है।

ज़िला-स्तर पर शिक्षा विभाग की देखभाल ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों की देखभाल उसके आधीन होती है। स्कूलों का निरीक्षण, उनमें पढ़ाई का उचित प्रबन्ध करना तथा अध्यापकों के अधिकारों की रक्षा करना उसी का काम है।

सरकारी इमारतों तथा राज्य की मुख्य सड़कों का निर्माण तथा देखभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन होता है। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर होता है।

कलेक्टर और पंचायती राज

हम पहले पढ़ चुके हैं कि कलेक्टर ज़िला शासन का मुख्य अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार की ओर से ज़िले के शासन की देख-रेख करता है। इस नाते वह

पंचायती राज और अन्य स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर भी नज़र रखता है। वह इन संस्थाओं के चुनाव का प्रबन्ध करता है। यदि ये संस्थाएँ ठीक ढंग से कार्य न कर रही हों, तो वह राज्य सरकार को रिपोर्ट देकर इन संस्थाओं को भंग कर सकता है।

आज के युग में ज़िले का शासन प्रबन्ध बहुत ही जटिल हो गया है। ऐसी अवस्था में शासन प्रबन्ध को केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। नागरिकों को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही ज़िले का शासन सही रूप में चल सकेगा।

अभ्यास

1. प्रशासन की दृष्टि से भारत को किस प्रकार बाँटा गया है ?
2. ज़िला शासन के पाँच बड़े सरकारी अधिकारियों के नाम बताओ ?
3. ज़िलाधीश या कलेक्टर के मुख्य कार्य बताओ ?
4. ज़िले में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस किस प्रकार से सहायता पहुँचाती है ?
5. अपराधियों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए आजकल जेलों में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?
6. भूमि-संबंधी मामलों की देखभाल में कलेक्टर को कौन-कौन-से अधिकारी सहायता देते हैं ?
7. मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं ?
सेशन जज की अदालत किस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है ?
8. कलेक्टर और पंचायती राज में क्या संबंध है ?
9. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :
(क) ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी.....होता है।

(ख) तहसीलदार के काम दो प्रकार के होते हैं :


(क)

(ख)

कुछ करने को

पास के किसी घाने में जाकर उसके कार्यों का पूरा लगाओ और यह भी जानकारी प्राप्त करो कि पुलिस जनता की किस प्रकार सहायता करती है ?

हमारी सार्वजनिक सम्पत्ति



रेल, बस, सरकारी इमारतें, बाँध, स्कूल, ऐतिहासिक स्मारक इत्यादि हमारी संपत्ति हैं।
इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है

सार्वजनिक संपत्ति

सार्वजनिक संपत्ति क्या है ?

नागरिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हम सब सामूहिक प्रयत्न करते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम रोज़ ही सड़क, रेल और बस, नल और बिजली, स्कूल और कालिज, अस्पताल और खेल के मैदानों का उपयोग करते हैं। हम और हमारी सरकार ने मिलकर इस सारी संपत्ति का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों ने भी मन्दिर, मस्जिद, गिरजे और गुरुद्वारे, किले, मीनारें और अन्य ऐतिहासिक स्थान बनाकर हमें दिए हैं। इन सबको बनाने में काफी धन और परिश्रम लगा है। ये संपत्ति किसी एक की नहीं है, हम सबकी है। जिस संपत्ति पर हम सबका अधिकार है, उसे हम सार्वजनिक या राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं।

तुम्हारी पुस्तक, रबड़, पेंसिल इत्यादि तुम्हारी निजी संपत्ति हैं। इन वस्तुओं पर तुम्हारा निजी अधिकार है। तुम्हारी अनुमति के बिना अन्य कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में कपड़े, चारपाई, मेज़, कुर्सी, बर्तन, रेडियो इत्यादि तुम्हारे घर की निजी संपत्ति है। इन वस्तुओं का उपयोग करने का तुम्हारे घर के लोगों को अधिकार है। लेकिन स्कूल की इमारत, पुस्तकालय, खेल-कूद के मैदान, ग्राम पंचायत घर, नगरपालिका कार्यालय आदि सार्वजनिक संपत्ति कहलाते हैं। इनका उपयोग करने का सबको अधिकार है।

सार्वजनिक संपत्ति के दो प्रकार

सार्वजनिक संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार में सड़क, बस, रेल, पीने के पानी की बड़ी टंकियाँ और जलाशय, बिजली का कारखाना, स्कूल, अस्पताल, पार्क

इत्यादि आते हैं। इस तरह की संपत्ति का उपयोग हम रोज के जीवन में करते हैं। दूसरे तरह की संपत्ति में ऐतिहासिक स्थान और स्मारक आते हैं, जैसे पुराने मन्दिर, मस्जिद, मीनार, किला आदि।

स्कूल की संपत्ति

प्रत्येक स्कूल में चटाई, टाट-पट्टी, मेज, कुर्सियाँ, डेस्क, श्यामपट्ट, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का सामान होता है। यह सब स्कूल की संपत्ति है। ये सब वस्तुएँ विद्यार्थियों की फीस के पैसे से जोड़ी जाती हैं। इसलिए इन वस्तुओं को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने का अर्थ है—हम सभी का नुकसान।

कुछ विद्यार्थी स्कूल की वस्तुओं को तोड़ते-फोड़ते देखे गए हैं। वे पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के पन्ने फाड़ लेते हैं। विशेषतः चित्रों और नक्शों को अवसर फाड़ लिया जाता है। प्रयोगशाला की चीजें चुरा ली जाती हैं। इस तरह की बातों से हम सबको हानि होती है। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उनके इस तरह के कार्यों से उनको स्वयं को नुकसान होता है। इन सब वस्तुओं को बनाने और खरीदने में उनके स्वयं के माता-पिता का भी पैसा—जो वे कर के रूप में देते हैं—लगा है। इसके साथ-साथ अन्य साथी और विद्यार्थियों को भी असुविधा होती है। वे उन तोड़ी या फाड़ी गई वस्तुओं का फायदा नहीं उठा पाते।

यातायात के साधनों की रक्षा

हमारे नागरिक जीवन में रेल और बस जैसे यातायात के साधनों का बहुत महत्त्व है। हमारा देश इतना घनाड्य नहीं है कि बहुत-सी रेलें और बसें बनाई जा सकें या खरीदी जा सकें। घनाड्य देशों में भी जहाँ इन साधनों की कमी नहीं है, रेल और बसों की तोड़-फोड़ सहन नहीं की जाती। हमारे देश में तो इन साधनों की कमी है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सब इनकी रक्षा का ध्यान रखें।

कुछ समाज विरोधी लोग रेल और बसों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग बस की सीटों को ब्लेड से काटकर खराब कर देते हैं। कुछ व्यक्ति रेल की पटरियों को

उखाड़ देते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। रेल के डिब्बों में से कई चीजों की चोरी कर ली जाती है। बिजली के पंखे और बसों की चोरी होने से सभी यात्रियों को बहुत कष्ट होता है। रेल और बसों के दुर्घटना के कारणों से जीवन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है।


बहुत-से लोग अपने कारखानों या कारखानों के काम करने, रेल वा बस से जाते हैं। उसी तरह कई विद्यार्थी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने रेल और बस से जाते हैं। यदि ये रेल और बसें समय पर न चलें, तो दुकानदारों, मित्तों और कारखानों, स्कूल और कॉलेजों का काम भी रुक जाएगा। बीमारों को समय पर डॉक्टरों सहायता नहीं पहुँचाई जा सकती।

समय पर यात्रा न होने या समाचार न मिलने पर देश के व्यापार को नुकसान पहुँचता है। रेलों में बहुत-सा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। रेल की दुर्घटना होने पर दुकानदारों को और जनता को माल समय पर नहीं मिल पाता। माल न पहुँचने पर चीजों की कमी हो जाती है और उर्वका काम उस जगह बढ़ जाता है। रेलों में अनाज भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कई स्थानों पर सूखा या अकाल पड़ जाता है। ऐसी जगहों पर समय पर अनाज नहीं पहुँचे, तो बहुत-से लोग भूखे मर सकते हैं।

कई व्यक्ति डाकखानों के लेटरबक्सों को तोड़ डालते हैं। इससे लोगों की चिट्ठियाँ समय पर नहीं पहुँचतीं। मित्तों और संबन्धितों को मालों का समाचार मिलने में देर हो जाती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए लोगों की भक्ति पहुँचते हैं। यदि नुकसान पहुँचाने वालों को उनके बुरे कार्यों के परिणाम मालूम हो जाएँ तो शायद बहुत से व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे।

कुछ व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति की तोड़-फोड़ क्यों करते हैं? इसके कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी करते हैं। कुछ अपने जीवन की कई परेशानियों के कारण तोड़-फोड़ में एक अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। कुछ समाज विरोधी लोग अपनी माँगों के लिए तोड़-फोड़ और हिंसा करते पाए गए हैं। कारखानों के मजदूर, आफिस के कर्मचारी, स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी अपनी माँगों के लिए आन्दोलन और हड़ताल इत्यादि करते हैं। इन

आन्दोलनों में वे भावनाओं में बहकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। अपनी माँगों को पूरा कराने के लिए शान्ति का रास्ता भी होता है। हमारा देश स्वतंत्र है और सरकार हमारी है। इसलिए अपनी माँगों को पूरा करने के लिए हम सभी को शान्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए।



सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है

पिछले पाठ में तुमने पढ़ा था कि सामूहिक जीवन के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग से ही सार्वजनिक संपत्ति निर्माण की जाती है। नागरिकों से कर या टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं। इस धन से और समाज के लोगों की मेहनत से सार्वजनिक संपत्ति बनाई जाती है। इस संपत्ति का उपयोग सभी की सुविधा के लिए किया जाता है। इसलिए संपत्ति का नुकसान समाज के सभी नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इस संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा

हमारे देश में जगह-जगह पर किले, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बद्वारे जैसे ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं। इन सब पर हमारे पूर्वजों का काफी धन और श्रम लगा है। ये ऐतिहासिक स्मारक हमें प्राचीन गौरव की याद दिलाते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी भी हैं। इनसे हमें प्राचीन काल के विषय में कई तथ्यों का पता चलता है।

इनकी उपयोगिता और ऐतिहासिक महत्त्व के कारण सरकार इनके संरक्षण के लिए काफी धन खर्च करती है। लेकिन कई व्यक्ति इन स्मारकों से मूर्ति इत्यादि की चोरी करते हैं। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि कई लोग इन स्थानों के दरवाजों और दीवारों पर अपना नाम इत्यादि लिखकर इन्हें खराब और गंदा कर देते हैं। हमारे देश में (प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958) कानून के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया जा सकता है। ऐतिहासिक स्थानों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सरकार इन सब पर पूरी तरह और हर समय निगरानी नहीं रख सकती। इसलिए हम सबको इन स्थानों के संरक्षण के लिए सरकार की सहायता करनी चाहिए।

राष्ट्रीय संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। इस संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से हम सबका नुकसान है। इस संपत्ति को हानि पहुँचाने से देश दुर्बल और गरीब होता है। संपत्ति के फिर से बनाने में हम सबको पैसा देना पड़ता है। देश की उन्नति में बाधा पड़ती है। अतः अपनी और पूर्वजों की बनाई हुई राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हम

सबका कर्तव्य है। उसी तरह देश को समृद्ध बनाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को रक्षित करना हमारा कर्तव्य है।

अभ्यास

1. सार्वजनिक संपत्ति किले कहते हैं ? इसके चार उदाहरण दो।
2. सार्वजनिक और निजी संपत्ति में क्या अंतर है ? दोनों के दो-दो उदाहरण देकर समझाओ।
3. सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हमारा स्वतः का नुकसान है। उदाहरण की सहायता से समझाओ।
4. कल्पना करो कि दीपावली की छुट्टी में तुम अपने संबंधियों के यहाँ रेलगाड़ी से जा रहे हो, और दंगा-फसाद करने वाले कुछ लोगों ने तुम्हारी गाड़ी को किसी बीच के स्टेशन पर रोक दिया है। वे तुम्हारी गाड़ी को आगे नहीं जाने देते। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें जो-जो असुविधाएँ और कठिनाइयाँ होंगी, उनकी सूची बनाओ।
5. ऐतिहासिक स्मारकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ? नागरिकों को इनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए ?

कुछ करने को

1. अपने पास-पड़ोस का निरीक्षण करके सार्वजनिक संपत्ति की सूची तैयार करो।
2. अपने स्कूल का निरीक्षण करो और पता लगाओ कि स्कूल की वस्तुओं का विद्यार्थी किस तरह दुरुपयोग करते हैं। स्कूल की वस्तुओं की ठीक देखभाल में तुम किस तरह सहयोग दे सकते हो ?

नागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग

गाँवों और शहरों की बहुत-सी आवश्यकताएँ स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूरी होती हैं। नागरिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में स्थानीय संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्त्व है। वास्तव में गाँवों और शहरों का नागरिक जीवन स्थानीय संस्थाओं पर निर्भर है। यदि स्थानीय संस्थाएँ ढंग से काम न कर रही हों, तो वहाँ का नागरिक जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है।

जिस तरह गाँवों में गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन की समस्या है, उसी तरह शहरों में बढ़ती हुई आबादी और विस्तार के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, आवास इत्यादि की समस्याएँ हैं। इन सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न हमारी स्थानीय संस्थाएँ करती हैं।

स्थानीय संस्थाएँ हमारी संस्थाएँ हैं। हम इन्हें चुनते हैं। हम इन्हें बनाते हैं। ये हमारे हित के लिए कार्य करती हैं। इसलिए इनके कार्यों में रुचि लेना और सहयोग देना हम में से प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

नागरिक बोध

नागरिक बोध का अर्थ होता है अपने अधिकार और कर्तव्यों का बोध। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा रहता है। अधिकार और कर्तव्य अलग-अलग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को उसके माता-पिता और समाज को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इस शिक्षा के पाने के अधिकार से जुड़ा हुआ बच्चे का एक कर्तव्य भी है। मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है। उसी तरह स्थानीय संस्थाओं से नागरिक सुविधाएँ


जैसे पीने का पानी, बिजली इत्यादि प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन पानी, बिजली इत्यादि का उचित उपयोग करना और पानी-बिजली का बिल समय पर चुकाना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

कोई भी स्थानीय संस्था नागरिकों की सहायता और सहयोग के बिना अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकती। सड़कों की सफाई का काम स्थानीय संस्था को ही देखना होता है। हम सबका कर्त्तव्य है कि हम सड़कों पर कागज़, केले के छिलके और कूड़ा-करकट न फेंके। हमारे इस सहयोग से सड़कें साफ़ रखने में बहुत मदद मिलती है।

स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में रुचि लेना और उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेना भी प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

मत का उचित उपयोग

स्थानीय संस्थाओं का चुनाव होता है और इस चुनाव के द्वारा इन संस्थाओं में



मत का उचित उपयोग

जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपना मत अवश्य दें। मत उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहिए, जो जनता के हित में कार्य करते हैं। यदि हम अपने मत सही व्यक्तियों को नहीं देते, तो स्थानीय संस्थाएँ गलत व्यक्तियों के हाथ में आ जाती हैं और फिर ये संस्थाएँ जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर पातीं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने मत का सदुपयोग करें।

मत देने के पश्चात् भी स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर नज़र रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। यदि नागरिक जागरूक रहें और संस्थाओं के कार्यों में रुचि लें, तो संस्थाएँ जनता के हित में अधिक कार्य करती हैं।

कानूनों और नियमों का पालन

अपने कार्यों को करने के लिए प्रत्येक स्थानीय संस्था कुछ कानून और नियम बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिया जाता है—हम सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन दंड के भय से नहीं, वरन् स्थानीय संस्थाओं को सहयोग देने के दृष्टिकोण से करना चाहिए। नियमों का पालन न होने पर अव्यवस्था फैल जाती है। गाँव व शहरों में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। बस या रेल के स्टेशनों पर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। यदि सारे लोग लाइन में खड़े न होकर एक साथ खिड़की पर जमा होने की कोशिश करें तो जो गड़बड़ी और अव्यवस्था उत्पन्न होगी, उसकी कल्पना तुम कर सकते हो।

सामूहिक जीवन के लिए नियम आवश्यक होते हैं। नियम हम सबके हित के लिए बनाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा नियम तोड़ने पर समाज को नुकसान तो पहुँचता ही है, उस व्यक्ति को भी कभी-कभी खतरा पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए शहरों में रास्ते पर चलने के लिए नियम होते हैं। इन नियमों को तोड़ने पर कभी-कभी व्यक्ति को जान का खतरा रहता है।

कर देना

हम सबको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि स्थानीय संस्थाएँ हमारे हित और

विकास के लिए बनाई जाती हैं। कोई भी संगठन बिना धन के नहीं चलाया जा सकता। स्थानीय संस्थाओं के लिए कर आय का मुख्य साधन होता है। करों के धन से ही हमें कई तरह की नागरिक सुविधाएँ दी जाती हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह करों का भुगतान समय पर स्वेच्छा से करे।

अनुशासन और सहयोग

तुमने पहले पाठ में पढ़ा ही है कि मनुष्य को जीवन की सुरक्षा और प्रगति के लिए कई संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। कुटुंब, स्कूल, स्थानीय संस्थाएँ, देश और राज्य की सरकारें इत्यादि। संस्थाएँ नागरिक जीवन के विकास के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इन संस्थाओं के प्रति निष्ठा रखें। लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु अनुशासन है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और नागरिक जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन के बिना नागरिक जीवन और उसके साथ स्थानीय संस्थाएँ अव्यवस्थित हो जाती हैं। देश की प्रगति रुक जाती है।

अनुशासन का अर्थ है, कर्त्तव्यों और नियमों का पालन। आज हमारे देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपना काम समय पर ठीक ढंग से करें। हमारे अनुशासन से स्थानीय संस्थाओं को बल मिलता है। अनुशासन के द्वारा ही हम इन संस्थाओं को अधिक सहयोग दे सकते हैं।

अभ्यास

1. 'नागरिक बोध' का क्या अर्थ है ? उदाहरण देकर समझाओ।
2. मत का उपयोग करते समय किस विशेष बात का ध्यान हमको रखना चाहिए ?
3. कल्पना करो कि तुम बस की लाइन में खड़े हो। बस के आने पर लाइन टूट जाती है। ऐसी स्थिति में तुम्हें जो सुविधाएँ हो सकती हैं, उनका वर्णन करो।
4. स्थानीय शासन को हम किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं ?

कुछ करने को

1. पास-पड़ोस में जाकर देखो कि स्थानीय शासन ने जगह की साफ-सफ़ाई के लिए नागरिकों को कौन-कौन सी सुविधाएँ दी हुई हैं। यह भी पता लगाओ कि पड़ोस के लोग पड़ोस की सफ़ाई में किस हद तक स्थानीय शासन की मदद करते हैं।
2. सड़क पर चलने के नियमों की सूची बनाओ। पता लगाओ तुम्हारे शहर में इन नियमों का पालन कहाँ तक होता है।